मुख्य परीक्षा 2022 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I

प्रश्न: 1. स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: मूर्ति केवल सजावट का साधन नहीं होती बल्कि क्षेत्र की राजनीति, संस्कृति, इतिहास, धर्म, कर्मकांड और स्मारक आदि को चित्रित करने के लिये विभिन्न परिस्थितियों में मूर्तिकला का उपयोग किया जाता है। मूर्तिकला समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यह एक स्पर्शशील रचनात्मक रूप है जो अपने दर्शकों के साथ ही समान स्थान पर मौजूद है। कांस्य मूर्तियाँ, भव्य मूर्तियाँ या परिष्कृत पत्थर की नक्काशी जैसे मूर्तिकला रूप प्राचीन संस्कृतियों की सटीक छवियों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- सबसे प्रचलित संदेशों में से एक है कि एक मूर्ति धर्म के विभिन्न रूपों में सभ्यता के विकास के बारे में बताती है।
- बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान, बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पदचिह्नों, स्तूप, कमल सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से चित्रित किया गया है।
- मूर्तिकला या तो साधारण पूजा या सम्मान का संकेत देती है या कभी-कभी जीवन की घटनाओं की ऐतिहासिकता को दर्शाती है।
- जातक कथाएँ भी मूर्तिकला के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण थीं।
- संपूर्ण बौद्ध कला में धर्मचक्र के प्रतिनिधित्व के रूप में चक्र की आकृति महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- पहिया बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र के केंद्र में तीन छल्ले हैं जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों- बुद्ध [(शिक्षक), धर्म (बुद्ध की शिक्षाएँ) और संघ (समुदाय)] का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- धर्म की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने के लिये धर्मचक्र का प्रयोग किया गया है।
- गांधार मूर्तिकला में बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार मूर्तिकलाओं का संगम था जो समाज की संरचना और परंपरा को प्रकट करती हैं।
- मथुरा में स्थानीय मूर्तिकला परंपरा इतनी मज़बूत हो गई कि यह परंपरा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित हो गई।
    - इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियाँ हैं।
- मथुरा में वैष्णव (मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूप) और शैव (मुख्य रूप से लिंग और मुखलिंग) धर्मों के चित्र भी पाए जाते हैं। यह समाज के धार्मिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है।
- चोल मूर्तिकारों ने दसवीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कांस्य ढलाई शुरू की, इसी दौर में निर्मित नटराज की प्रतिमा अपने विभिन्न रूपों में पहला स्थान रखती है।

जीवन के विशिष्ट परिदृश्य मूर्तिकला में दिखाए जाते हैं। लगभग सभी मूर्तियाँ और चित्रकलाएँ आस-पास के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों से प्रेरित हैं। मूर्तियों सहित कला के सभी कार्यों का उद्देश्य अंततः एक संदेश देना है। विचारों, धार्मिक विचारों, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और यहाँ तक कि वीर पौराणिक कथाओं को व्यक्त करने के लिये कलाकारों द्वारा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।

प्रश्न: 2. अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्याबल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताएँ। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीयों की भर्ती की गई थी क्योंकि वे भारत की स्थितियों से परिचित थे। भारतीय कम पारिश्रमिक लेने के लिये भी तैयार थे। नतीजतन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समग्र व्यय अनुबंधित ब्रिटिश सेना के जवानों की तुलना में सस्ता था। ब्रिटेन की भारत से अत्यधिक दूरी के कारण, ब्रिटिश अपने लोगों को भारत में स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने स्वयं के अधिकार को मज़बूत करने के लिये युद्ध और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के हर उपलब्ध साधन को लागू किया था।

उत्कृष्ट सैन्य और आयुध रणनीति

- अंग्रेज़ों के पास तोप और असॉल्ट राइफलें थीं जो भारतीय हथियारों की तुलना में रेंज और शूटिंग की गति के मामले में अधिक उन्नत थीं।
- कई भारतीय शासक यूरोपीय हथियार लाए, लेकिन वे ब्रिटिश अधिकारियों की तरह युद्ध रणनीति बनाने में असमर्थ थे।

सशस्त्र विनियमन, समर्पण और लगातार पारिश्रमिक

- ब्रिटिश एक नियमित आय और एक कठोर आचार संहिता के लिये अत्यधिक प्रतिबद्ध थे जो कमांडरों और सैनिकों की वफादारी की गारंटी देता था।

- भारत के शासकों के पास नियमित वेतन भुगतान करने के लिये आवश्यक संसाधनों की कमी थी।
- कुछ राजा अनियंत्रित और विश्वासघाती भाड़े के सैनिकों पर अपनी निजी रक्षा के लिये निर्भर थे।

प्रभावी नेतृत्व

- रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एलिफिन्स्टन, मुनरो और अन्य लोगों ने असाधारण नेतृत्त्व का प्रदर्शन किया।
- अंग्रेज़ों को सर आयर कूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेज़ली और अन्य जैसे दूसरी पंक्ति के कमांडरों से भी लाभ हुआ, जो अपने देश के हितों और सम्मान के लिये खड़े थे।
- जबकि भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधवराव सिंधिया और जसवंत राव होल्कर जैसे उत्कृष्ट कमांडर थे, जिनमें नेतृत्व क्षमता की कमी थी।

एक ठोस वित्तीय नींव

ब्रिटिश व्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया, जिसके कारण धन और अन्य संसाधनों के रूप में उन्हें सरकारी सहायता मिली।

राष्ट्रीय गौरव और एकीकरण का अभाव

- भारतीय शासकों में एक सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक राष्ट्रवाद का अभाव था, जिसका उपयोग अंग्रेज़ों ने उनके बीच गृहयुद्ध भड़काने के लिये कुशलतापूर्वक किया।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक निजी सेना थी। इसका उपयोग कर लगाने, आधिकारिक तौर पर अनुमोदित लूटपाट करने, भारतीय सरकारों और रियासतों को अधीन करने आदि के लिये किया गया।

प्रश्न: 3. औपनिवेशिक भारत की अठारहवीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताएँ। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: अकाल को "नियमित खाद्य आपूर्ति की कमी के परिणामस्वरूप एक क्षेत्र की आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली तीव्र भूख की स्थिति" के रूप में परिभाषित किया गया है।

- बंगाल में वर्ष 1769-70 का अकाल दो वर्षों की अनियमित वर्षा होने से पड़ा, लेकिन चेचक की महामारी से इसकी स्थिति और भी बदतर हो गई।
- पश्चिमी भारत में वर्ष 1812-13 का अकाल, जिसने विशेष रूप से काठियावाड़ क्षेत्र को प्रभावित किया, टिड्डियों और चूहों के हमलों के कारण कई वर्षों के फसल नुकसान का परिणाम था।
- वर्ष 1832-33 के गुंटूर अकाल ने फसल के नष्ट होने के साथ-साथ किसानों पर कराधान के अत्यधिक और अनिश्चित स्तर में भी वृद्धि की।
- ओडिशा में वर्ष 1865-71 के अकाल ने किसानों को प्रभावित किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा भोजन के आयात से लगातार इनकार करने से यह स्थिति और भी खराब हो गई।

सूखा

वर्ष 1870-1920 की अवधि में बंबई में अकाल, सूखे के कारण पानी की अत्यधिक कमी से फसलों का नष्ट होना जारी रहा। अकाल का निकटतम कारण, बिना किसी अपवाद के खाद्य कीमतों में तेज़ी से वृद्धि था, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मज़दूरी को कम कर दिया गया था जो मुख्य रूप से खेतिहर मज़दूर समूहों के बीच भुखमरी, कुपोषण और महामारी का कारण बना।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

ऋण हमेशा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक लगान और अवैध कराधान के कारण किसानों पर भारी कर्ज़, जो अकाल की शुरुआत में परिणत होने वाली गंभीर सूखे जैसी परिस्थितियों की शुरुआत से बढ़ गया था।

ब्रिटिश नीति

- औपनिवेशिक शासन के दौरान विनाशकारी अकालों का मुख्य कारण भारतीयों पर शोषण और दमन नीति थी।
- अंग्रेज़ों द्वारा इंग्लैंड को कृषि उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण भारत में खाद्य आपूर्ति की कमी हो गई जो अंततः गंभीर अकाल में परिणत हुई।
- कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस रणनीति से किसानों को भूमि के स्वामित्व से बेदखल कर दिया गया, जिसने भारत के कृषि इतिहास में पहली बार ज़मींदारों और तालुकदारों को वास्तविक स्वामी बनाया।
- वर्ष 1943 का अकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उद्देश्यों के लिये खाद्यान्न की बड़ी खरीद के कारण हुआ था।

औपनिवेशिक काल के दौरान हुए अकालों का अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि संस्कृति पर भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। अकालों ने निस्संदेह जनसंख्या वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। यह संस्कृति की प्रगति में भी एक बड़ी बाधा है। साम्राज्यवादी नीति ने आबादी को लंबे समय तक पीड़ा, गरीबी, शोषण और उत्पीड़न के अधीन किया।

प्रश्न: 4. प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है क्योंकि ये चट्टान के निर्माण के क्रम में बनने वाली पहली चट्टानें हैं और इनमें कोई कार्बनिक अवशेष नहीं मिलता है। जब तप्त एवं तरल मैग्मा ठंडा होकर पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक परतों में जमकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

विशेषताएँ

- आग्नेय चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर संघटन एवं जीवाश्म रहित होती हैं।
- इन चट्टानों में चुम्बकीय लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं।
- मैग्मा के निर्माण के समय अवशेषों और जीवाश्मों के जल जाने के कारण ही इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है इसलिये इन चट्टानों से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयले की प्राप्ति नहीं होती है।
- इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है तथा ये चट्टानें कठोर एवं रवेदार होती हैं।

चट्टानों के पिघलने के स्वरूप के आधार पर इनको दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

- **आंतरिक आग्नेय चट्टानें:** ये तब बनती हैं जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर गहराई में फँस जाता है जहाँ यह लाखों वर्षों के बाद धीरे-धीरे ठंडा होकर जम जाता है। धीमी गति से ठंडा होने से इसके टुकड़े बड़े आकार के, जैसे- डायबेस, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट और पेरिडोटाइट होते हैं।
- **बाह्य आग्नेय चट्टानें:** जब मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर (या बहुत निकट) ठंडा होता है तो ये चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी में विस्फोट के

कारण बनती हैं, इसलिये पिघली हुई चट्टानें सतह पर फट जाती हैं, मैग्मा ठंडा हो जाता है और वातावरण के अपेक्षाकृत ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर जम जाता है। त्वरित शीतलन का अर्थ है कि खनिज क्रिस्टल के पास बढ़ने के लिये अधिक समय नहीं होता है, इसलिये इन चट्टानों में बहुत महीन कणों की बनावट भी होती है।

प्रश्न: 5. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिये मौसम-संबंधी चेतावनियों के लिये निर्धारित रंग-संकेत के अर्थ की चर्चा करें।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: IMD मौसम की स्थिति की तीव्रता को दर्शाने के लिये चार रंग संकेत वाली मौसम चेतावनियों का उपयोग करता है और लोगों को संभावित व्यवधान या जीवन के लिये खतरे के बारे में सचेत करता है:

- **हरा (कोई खतरा नहीं):** कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।
- **पीला (सतर्क रहें):** पीला रंग आने वाले दिनों में गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देता है। इससे यह भी पता चलता है कि मौसम खराब हो सकता है, जिससे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- **ऑरेंज (तैयार रहें):** ऑरेंज अलर्ट बेहद खराब मौसम की चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें सड़क और रेल बंद होने तथा विद्युत आपूर्ति में रुकावट के साथ आवागमन में व्यवधान की संभावना होती है।
- **लाल (कार्रवाई करें):** जब बेहद खराब मौसम की स्थिति निश्चित रूप से यात्रा और विद्युत सप्लाई को बाधित करने वाली हो और जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम हो, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है।

चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में, IMD राज्य सरकार के अधिकारियों को चार चरणों में चक्रवात चेतावनी जारी करता है:

- **चक्रवात-पूर्व परिदृश्य:** यह चेतावनी 72 घंटे पहले जारी की जाती है और इसमें उत्तर हिंद महासागर में एक चक्रवाती विक्षोभ के विकास के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है।
- **चक्रवात सतर्कता:** यह चेतावनी तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावित शुरुआत से कम-से-कम 48 घंटे पहले जारी किया जाता है।
- **चक्रवात चेतावनी:** यह कम से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इस स्तर पर लैंडफॉल प्वाइंट की भविष्यवाणी की जाती है।
- **चक्रवात-पश्चात् परिदृश्य:** यह चेतावनी लैंडफॉल के अपेक्षित समय से कम-से-कम 12 घंटे पहले जारी की जाती है। यह अपने लैंडफॉल के बाद चक्रवात की गति को संभावित दिशा देती है।

चेतावनी अवस्था	कलर कोडेड
चक्रवात सतर्कता	पीला
चक्रवात चेतावनी	नारंगी
चक्रवात-पश्चात् परिदृश्य	लाल

प्रश्न: 6. 'दक्कन ट्रैप' की प्राकृतिक संसाधन-संभावनाओं की चर्चा कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: दक्कन ट्रैप पश्चिम-मध्य भारत में स्थित मोटी बेसाल्टिक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है और पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है।

दक्कन ट्रैप पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से, जैसे- महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में विस्तृत हैं।

दक्कन ट्रैप में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन

मिट्टी और चट्टानें

- **काली मिट्टी:** इसे "रेगुर मिट्टी" या "काली कपास मिट्टी" के रूप में भी जाना जाता है।
- काली मिट्टी लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से भरपूर होती है और इसमें पोटेशियम भी होता है। हालाँकि, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी है।
- कपास, दालें, बाजरा, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, खट्टे फल, अलसी आदि की खेती मुख्य रूप से काली मिट्टी में की जाती है।

चट्टानें

प्राचीन गुफा मंदिरों को कई स्थानों पर दक्कन के बेसल से उकेरा गया है। मुंबई (बॉम्बे) के एक छोटे से द्वीप पर स्थित एलीफेंटा गुफाएँ ऐसी ही एक जगह है।

अलौह खनिज

- **बॉक्साइट:** भारत के बॉक्साइट के भंडार देश को आत्मनिर्भर रखने के लिये पर्याप्त हैं।
- झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में प्रमुख भंडार पाए जाते हैं।

लौह खनिज

- भारत में लौह अयस्क के काफी प्रचुर संसाधन हैं। भारत ही एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है।
- महाराष्ट्र और गोवा भी लौह अयस्क के महत्त्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरे हैं।

प्राकृतिक गैस

- यह सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त की जाती है, लेकिन विशेष भंडार पूर्वी तट के साथ-साथ त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र में अपतटीय कुओं में स्थित हैं।
- हाल ही में, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) ने दक्कन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति पर ध्यान दिया है जो तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है।

भू-तापीय ऊर्जा

ज्वालामुखी दक्कन ट्रैप के पश्चिमी किनारे, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, में कई गर्म झरनों की उपस्थिति है जिससे यहाँ भू-तापीय ऊर्जा की भी संभावना है।

प्रश्न: 7. भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिये एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: तेज़ वायु के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन उर्जा के उत्पादन के लिये खुले स्थानों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और फिर इसे टर्बाइन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।

भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएँ

- भारत में लगभग 60 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है।
- यह संभावना है कि यह क्षमता काफी बढ़ जाएगी क्योंकि समय के साथ बहुत कम क्षमता वाले कुछ पुराने पवन ऊर्जा स्टेशनों को उच्च क्षमता वाले पवन टर्बाइनों से बदला जा सकता है।

- एक और अनन्वेषित क्षेत्र महासागरों में स्थित है। दुनिया भर में, इस क्षेत्र में अन्वेषण प्रारंभिक अवस्था में है। भारत के पूर्वी हिस्से में बहुत सारे चक्रवात हैं जो तट से टकराते हैं।
- भारत लगभग 7.516.6 किमी. लंबी तटरेखा वाला देश है और इसके सभी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (चेन्नई में स्थित) द्वारा यह पाया गया है कि पश्चिमी राज्यों में वायु के निरंतर तीव्र प्रवाह के कारण बड़ी संभावनाएँ विद्यमान हैं।
- वर्ष 2022 में, तमिलनाडु सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादकों में से एक है।

पवन ऊर्जा के सीमित स्थानिक प्रसार के कारण

- पवन ऊर्जा स्रोतों को अन्य कम लागत वाले ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है।
- पवन ऊर्जा परियोजनाएँ तथा स्थानीय वन्यजीवों को प्रभावित कर सकते हैं।
- एक पवन परियोजना को सार्वजनिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है यदि इसे स्थापित करने के लिये सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमि पर कब्ज़ा किया जा रहा हो।
- अनुसंधान एवं विकास करने के लिये बुनियादी ढाँचे और संस्थानों की कमी।

प्रश्न: 8. पारिवारिक संबंधों पर 'वर्क फ्रॉम होम' के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत में कोविड-19 के प्रकोप की बढ़ती लहर ने देश में कॉर्पोरेट जगत् को व्यापक रूप से 'वर्क फ्रॉम होम' करने के लिये मजबूर किया। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये देश में आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने और बनाए रखने के लिये वर्क फ्रॉम होम एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था।

वर्क फ्रॉम होम का पारिवारिक संबंधों पर असर

- **मज़बूत पारिवारिक बंधन:** 'वर्क फ्रॉम होम' के समय एक व्यक्ति परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करता है, जो पारिवारिक बंधन को मज़बूती प्रदान करता है।
- **बच्चों पर उचित ध्यान:** वर्क फ्रॉम होम माता-पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने का अवसर प्रदान करता है, जो माता-पिता तथा बच्चों के संबंध को मज़बूत करता है।
- **वृद्ध लोगों की बेहतर देखभाल करना:** वर्क फ्रॉम होम के समय युवा पीढ़ी अपने बूढ़े माता-पिता की बेहतर देखभाल कर सकती है और उन पर अपेक्षित ध्यान दे सकती है।
- **घरेलू हिंसा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार:** जब आप घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) कर रहे होते हैं तो कार्य का तनाव और परिवार एक ही कार्यस्थल पर होता है जिससे पत्नी और बच्चों पर कार्य संबंधी कुंठा निकलने की संभावना होती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में कम-से-कम 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की है।
- **तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध:** जब एक पति और पत्नी घर से बाहर निकले बिना लंबे समय तक एक साथ समय बिताते हैं, तो उनके बीच विवादों की संभावना बढ़ जाती है जिससे पहले से तनावपूर्ण रहे वैवाहिक संबंध बिगड़ जाते हैं।
- **परिवार में विवाद:** घर से काम करते समय एक ही कार्यस्थल परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नी, पुत्र, बहन, भाई) के साथ साझा किया जाता है, जो व्यक्ति घर में काम करता है वह इंटरनेट, कंप्यूटर, पंखे आदि संसाधनों का परिवारजनों के साथ साझा कर रहा होता है। यदि कार्य समय या बैठक के समय में टकराव होता है तो यह तर्क-वितर्क की ओर ले जाता है।
- **निराशा की ओर जाना:** घर से काम करने से कुछ लोग आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण निराश हो जाते हैं।
- **घर के कामों में परेशानी:** पति-पत्नी दोनों के कार्य का एक ही समय होने के कारण यह नियमित घरेलू कार्यों की लापरवाही का कारण बनता है जिससे दोनों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

प्रश्न: 9. उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सरकार के अनुसार 50,000 और 1,00,000 के बीच की आबादी वाले शहरों को भारत में टियर 2 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यवर्ग का दर्जा ऐसे व्यक्तियों और परिवारों को दिया गया जाता है जो आमतौर पर एक सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम के भीतर श्रमिक वर्ग और उच्च वर्ग के बीच आते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में मध्यवर्ग के व्यक्तियों के पास कामगार वर्ग की तुलना में कॉलेज की डिग्री का अनुपात अधिक होता है, उनके पास उपभोग के लिये अधिक आय उपलब्ध होती है और उनके पास अधिक संपत्ति भी हो सकती है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर पेशेवर, प्रबंधक और सिविल सेवकों के रूप में कार्यरत होते हैं।

नए मध्यवर्ग और टियर 2 शहरों के बीच संबंध

- **उद्यमिता में वृद्धि:** बढ़ती उद्यमी गतिविधि के परिणामस्वरूप एलपीजी युग के दौरान टियर 2 शहरों में सफेदपोश रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में अत्यंत वृद्धि हुई है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50% से अधिक है तथा टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में 64% से अधिक रोज़गार के लिये यह ज़िम्मेदार है जो वैश्वीकरण का परिणाम है।
- बढ़ी हुई मज़दूरी, डिजिटल क्रांति और वैश्वीकरण के तहत पश्चिमीकरण ने लोकप्रिय संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान दिया और इस वर्ग के उपभोग के तरीके को बदल दिया।
- **सरकारी प्रयास:** मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, जैम ट्रिनिटी, उड़ान आदि जैसी योजनाओं ने खर्च करने योग्य आय में वृद्धि करके उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

टियर-2 भारतीय शहरों के उभरने के पीछे के कारण प्रमुख वास्तविक वृद्धि दर के रूप में उभरे

- **बड़ी फर्मों के लिये आकर्षक विकल्प:** जयपुर, पटना, इंदौर और सूरत जैसे टियर 2 शहरों ने 40% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर का अनुभव किया है।
- वर्ष 2030 तक 80% परिवारों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है। भारत में उपभोक्ता का व्यवहार पूंजी के मूल्य से काफी प्रभावित होता है।
- **ई-कॉमर्स:** 15 मिलियन से अधिक पारंपरिक 'किराना' स्टोर, या खुदरा बाज़ार का 88%, भारत में मौजूद हैं। कई परिवार प्रत्येक दो से तीन दिनों में ताज़े उत्पादन का भंडारण करने आते हैं।

- टियर-2 शहर ग्रामीण स्थानों से संभावित कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें रोज़गार के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं।
- टियर-1 शहरों में रहने की मध्यम लागत बेहतर जीवन शैली के बाद से अधिक खपत को प्रोत्साहित करती है।

प्रश्न: 10. भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिये?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा एक ही श्रेणी में रहने वाले या जंगल पर निर्भर समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया था, जिन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) कहा गया।

भारत में जनजातियों में मेघालय की मातृसत्तात्मक खासी से लेकर राजस्थान तथा गुजरात की पितृसत्तात्मक जनजातियों की व्यापक विविधता पाई जाती है। यह विविधता गुजरात के अफ्रीकी मूल के सिद्दी और अंडमान तथा निकोबार की स्वदेशी जनजातियों, जैसे- प्रहरी आदि के आधार पर भी हैं।

अनुसूचित जनजातियों को एक श्रेणी में शामिल करने के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अलावा, कई सामाजिक-आर्थिक आधार हैं जो उन्हें एक ही श्रेणी में बाँधते हैं। जैसे:

- वे आमतौर पर भौगोलिक रूप से अलग-थलग होते हैं।
- वे टैटू, ताबीज़ और आभूषण जैसी समान धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं और जादू-टोने में विश्वास करते हैं।
- आमतौर पर वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनमें प्रकृति पूजा बहुत आम है।
- वे अपनी आजीविका के लिये ज़्यादातर जंगल पर निर्भर हैं और एक संतुलित वातावरण को बनाए रखते हुए प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
- उनकी सामाजिक संरचना समतावादी है तथा जाति के स्तर पर कम स्तरीकृत है।
- वे जीवात्मवाद (एनिमिस्टिक) में विश्वास करते हैं।
- उनमें से अधिकांश प्रादेशिक समूह हैं तथा वे अपनी जनजाति और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं।
- उनमें से अधिकांश आदिम व्यवसायों जैसे कि स्थानांतरित खेती आदि का अभ्यास कर रहे हैं।
- उनके पास अधिकांश स्वदेशी राजनीतिक संगठन हैं, अर्थात् वैदिक काल की सभाओं और समितियों जैसी बुज़ुर्गों की परिषदों का अस्तित्व है।
- उनका समाज आमतौर पर आत्मनिर्भर होता है।

उनमें से अधिकांश मुख्यधारा के समाज से भिन्न हैं। डॉ. अंबेडकर ने उनकी विशिष्ट सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा की भी वकालत की थी और उन्हें एक अलग, एकल और विशिष्ट श्रेणी में शामिल करने की मांग की थी।

प्रश्न: 11. राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: अपने शासन की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से शुरू होने वाले राज्यों में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। तब से राज्यों का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया रही है।

चरण-1: वर्ष 1850 से 1947 तक

- 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने निरंतर राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया।
  - मध्य प्रांत के रूप में नई प्रेसीडेंसी बनाई गई।
  - कई स्वतंत्र राज्य, जैसे- असम, अवध मुख्य प्रशासन प्रांतों का हिस्सा बन गए।
- उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, वर्ष 1901 में पंजाब प्रांत के उत्तर-पश्चिमी ज़िलों को एकीकृत करके बनाया गया था।
- वर्ष 1905 में धर्म और भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ।

चरण 2: वर्ष 1947-2022

- वर्ष 1950 में, भारतीय संविधान में राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पर भारतीय संघ के राज्यों- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D का वर्गीकरण शामिल था।
- वर्ष 1953 में, राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिये फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का गठन किया गया था।
  - इसके बाद, 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसने इकाइयों के दो वर्गीकरण- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निर्धारित किये।
  - आंध्र प्रदेश भाषायी आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना।
- पुर्तगालियों (गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और पुदुच्चेरी) से प्राप्त कई क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल किया गया था (गोवा को बाद में राज्य का दर्जा दिया गया था)।
- छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मौजूदा राज्यों के भीतर से क्षेत्रीय सीमाओं और राजनीतिक क्षेत्रों को विभाजित करके संभव बनाया गया था।
- वर्ष 2014 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 पारित किया गया था जिसने तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया था।
  - तेलंगाना के लिये अलग राज्य की मांग कई कारकों पर टिकी हुई है जैसे कि अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं के कारण क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, अपर्याप्त औद्योगिक बुनियादी ढाँचे, शैक्षिक और रोज़गार के अवसरों की कमी, आंध्र के तटीय पूंजीपति वर्ग का तेलंगाना क्षेत्र पर आधिपत्य आदि।
- वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को प्रशासनिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिये पुनर्गठित किया गया था।
- चूँकि हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो अनुच्छेद-3 के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति देता है, इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिशीलता की विकसित प्रकृति के संबंध में एक सतत् प्रक्रिया हो सकती है।

प्रश्न: 12. भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त-काल और चोल-काल के योगदान पर चर्चा करें। (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। चोल वंश को 9वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था।

गुप्त और चोल दोनों ने ही भारतीय संस्कृति और विरासत में निम्नलिखित तरीकों से योगदान दिया है:

विषय	विषय वस्तु गुप्त काल (300-600 ई.)	चोल काल (900-1300 ई.)
मंदिर	■ गुप्त काल में ईंटों के मंदिर बनने लगे थे। ■ देवगढ़ के दशावतार मंदिर में एक घुमावदार लंबे रेखा-देवल (या रेखा-प्रसाद) प्रकार के शिखर (नागर शैली) की उपस्थिति है। ■ गुप्त काल में वर्गाकार मंदिरों का विकास शुरू हुआ, जैसे विदिशा के एरण में विष्णु और वराह मंदिर।	■ चोल शासकों ने कुछ नए रूपों के साथ पल्लव वास्तुकला की तर्ज़ पर मंदिर निर्माण जारी रखा, जिसे द्रविड़ वास्तुकला के रूप में जाना जाने लगा। इसके उदाहरण में तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर शामिल हैं।
मूर्तिकला	■ इस समय सारनाथ शैली नामक एक नई शैली का उदय हुआ। इसमें भूरे रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ■ सारनाथ में, बुद्ध को खड़े, बैठे और अन्य मुद्राओं में दिखाया गया है। ■ इस शैली से संबंधित बेसनगर से देवी गंगा और ग्वालियर से अप्सरा की मूर्ति मिली हैं।	■ चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति सृजन, विनाश, आशीर्वाद और मोक्ष के मार्ग आदि को इंगित करती है। ■ 10वीं शताब्दी ईस्वी की चोल रानी सेम्बियन महादेवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ■ 9वीं शताब्दी ईस्वी की कल्याणसुंदर मूर्ति पाणिग्रहण (विवाह की रस्म) से संबंधित है।
गुफा वास्तुकला	■ **जूनागढ़ की गुफाएँ:** इनमें एक निम्न प्रार्थना कक्ष के अलावा 'उपरकोट' नामक एक दुर्ग है। ■ **नासिक की गुफाएँ:** यह 23 बौद्ध गुफाओं (हीनयान काल) का एक समूह है, जिसे 'पांडव लेनी (Pandav Leni)' के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है। ■ **अजंता की गुफाएँ:** यह हीनयान और महायान काल से संबंधित 29 शैलकृत गुफाओं का एक समूह है। ■ **अन्य उदाहरण:** उदयगिरि की गुफाएँ, बाघ की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ आदि।	■ चोल काल के दौरान गुफा स्थापत्य का कुछ खास विकास नहीं हुआ था।
चित्रकला	■ **अजंता चित्रकला:** इसमें जातक कथाओं के रूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। ■ इन्हें अलग-अलग फ्रेमों का उपयोग किये बिना निरंतरता में बनाया गया है और यह अनिवार्य रूप से दो आयामी हैं। ■ मरणासन्न राजकुमारी का चित्र इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। ■ **एलोरा गुफा चित्र:** इसमें तीन धर्मों- जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव है।	■ बृहदेश्वर मंदिर में हिंदू देवताओं के चित्र, चोल काल के दौरान बनाए गए थे। ■ इन चित्रों में भगवान शिव, कैलाश शिव और त्रिपुरांतक के रूप में शिव आदि से संबंधित पहलुओं को दर्शाया गया है।

दोनों ही वंशों के महत्त्वपूर्ण योगदान ने भारत की संस्कृति और विरासत को समृद्ध आकार प्रदान किया है, जिसमें गुप्तकालीन गुफाएँ 1500 वर्षों के बाद भी अच्छी स्थिति में हैं और चोलकालीन नटराज की मूर्ति की पूजा आधुनिक भारत के विभिन्न मंदिरों में की जाती है।

प्रश्न: 13. भारतीय मिथक, काल और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्त्व पर विचार करें।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: मनुष्यों के आगमन के बाद से, जानवर भी पृथ्वी पर एक पूरक साथी रहे हैं। मानव पशु संबंधों के प्रमाण लगभग 12,000 साल पहले ऊपरी पुरापाषाण काल के चित्रों से मिलते हैं।

मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहे महत्त्वपूर्ण जानवरों में से दो 'शेर' और 'बैल' हैं। पाषाण काल से लेकर आधुनिक भारत तक, विभिन्न पहलुओं में उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें विस्तृत तरीके से समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है।

मिथक

- **देवी दुर्गा का वाहन:** सिंह माँ दुर्गा का 'वाहन' है। यह माँ दुर्गा की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- **शिव का नंदी बैल:** नंदी, जिसका अर्थ है 'प्रसन्नता देना' या 'खुशी देना' जो हिंदू देवता शिव का पवित्र बैल है।

कला

स्थापत्य

- **भारत का राजकीय चिह्न:** भारत का राजकीय चिह्न (राष्ट्रीय प्रतीक) सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।
  - मूल रूप में इसमें चार शेर हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किये खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है। जिस पर हाथी, घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है।

- **सिंधु घाटी का कांस्य निर्मित बैल:** सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य निर्मित बैल सिंधु घाटी सभ्यता यानी कांस्य युग की सभ्यता में कांस्य की उपस्थिति का प्रतीक है।
- **तमिलनाडु में बैल रॉकआर्ट:** तमिलनाडु में रॉकआर्ट की खोजों ने प्रागैतिहासिक मानवों को बैलों को पकड़ते हुए और उन्हें वश में करने का प्रयास करते हुए दर्शाया है।

वास्तुकला

मौर्य स्तंभ

- स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैल, सिंह, हाथी आदि की बड़ी आकृतियाँ उकेरी गई हैं।
- मौर्यों द्वारा सिंह के चिह्न का प्रतीक के रूप में उपयोग 'एक सार्वभौमिक सम्राट' (चक्रवर्ती) की शक्ति का संकेत देता है जिसने अपने सभी संसाधनों को धर्म की जीत के लिये समर्पित कर दिया।

साँची का स्तूप

- मध्य प्रदेश में साँची स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है।
- स्तूप के तोरण में वृक्ष के साथ सिंह और बैल की नक्काशी पाई गई है।

प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान में देश के राष्ट्रीय प्रतीक तक शेर और बैल भारत की भूमि के विकास और परिवर्तन के चरणों के साक्षी रहे हैं।

प्रश्न: 14. समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य-उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: महासागरीय/सागरीय धाराएँ महासागरों में नदी प्रवाह के सामान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएँ इन दो प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होती हैं-

प्राथमिक बल

- **सौर ऊर्जा द्वारा ताप:** सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होने से जल का विस्तार होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेमी. अधिक है। यह बहुत मामूली ढाल का कारण बनता है और पानी ढाल से नीचे बह जाता है।
- **हवा:** समुद्र की सतह पर बहने वाली वायु जल को गति प्रदान करने के लिये उसे धक्का देती है। हवा और जल की सतह के बीच घर्षण जलराशि की गति को प्रभावित करता है।
- **गुरुत्वाकर्षण:** गुरुत्वाकर्षण जलराशि को नीचे खींचता है और ढाल भिन्नता पैदा करता है।
- **कोरिऑलिस बल:** कोरिऑलिस बल जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है एवं पानी के उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर बहने का कारण बनता है।
- इन बड़ी जलराशियों और उनके चारों ओर बहने वाले प्रवाह को वलय (Gyres) कहा जाता है।
- ये सभी महासागरीय घाटियों में बड़ी वृत्ताकार धाराएँ उत्पन्न करते हैं।

द्वितीयक बल

- **जल घनत्व में अंतर:** यह महासागरीय धाराओं की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को प्रभावित करता है।
- उच्च लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल से घनत्व में अधिक होता है, उसी प्रकार ठंडे जल का घनत्व गर्म जल से अधिक होता है।
- अधिक घनत्व वाला जल नीचे की तरफ बढ़ता है, जबकि अपेक्षाकृत हल्का जल ऊपर उठने लगता है।
- **जल का तापमान:** ठंडे पानी की समुद्री धाराएँ तब उत्पन्न होती हैं, जब ध्रुवों पर ठंडा जल नीचे की तरफ उतरता है और धीरे-धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है।
- गर्म जल की धाराएँ सतह पर भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ती हैं, तो ध्रुवों की ओर बहते हुए ठंडे जल को गर्म कर देती हैं।

महासागरीय धाराएँ मत्स्य उद्योगों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती हैं

- **मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण:** ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं के मिलने से समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण होता है। प्रमुख उदाहरण उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र, न्यूफाउंडलैंड (लैब्राडोर और गल्फस्ट्रीम जलधारा), जापान के साथ उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र (क्युरोशियो और ओयाशियो जलधारा) आदि हैं।
- **प्लैंकटन की गति:** प्लैंकटन वे जीव हैं जो समुद्री जलधाराओं के साथ आते हैं। वे समुद्री खाद्य शृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं और मत्स्य आबादी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे एक विशेष क्षेत्र में मछलियों का संचय होता है।
- अपवेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें धाराएँ समुद्र की सतह पर गहरा, ठंडा जल लाती हैं। ऊपर उठने के दौरान सतह पर जो गहराई से जल आता है वह पोषक तत्त्वों से भरपूर होता है। ये पोषक तत्त्व सतही जल को 'पोषक तत्त्वों से समृद्ध' बनाते हैं, जिससे पौधों के जीवन के विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसमें फाइटोप्लांकटन भी शामिल है।
- **लंबी शेल्फ लाइफ:** गर्म समुद्री जलधाराओं की तुलना में ठंडी समुद्री जलधाराओं में मछलियों की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे अधिक समय तक चलने वाले मछली के उत्पाद बनते हैं।
- **पारिस्थितिक संतुलन:** महासागरीय जलधाराएँ कम महासागरीय जलधारा वाले क्षेत्रों में जल के स्थानांतरण तथा ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने के द्वारा मछलियों की कमी वाले क्षेत्र में मछलियों को बनाए रखने के लिये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती हैं। उदाहरण: सारगैसो सागर; डेड ज़ोन।

हालाँकि मत्स्य उद्योग क्षेत्र के निर्माण में महासागरीय धाराओं की मुख्य भूमिका है किंतु अन्य संभावित क्षेत्रों में भी मत्स्य उद्योगों को विकसित करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: 15. रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किये जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिये। (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो एक कार्बनिक यौगिक है। रबर एक सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसमें 'हेवेया ब्रासीलियेन्सिस' सबसे महत्त्वपूर्ण है।

- रबर के पेड़ों के रोपण के बाद लगभग 32 वर्षों तक ये आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
- **रबर उत्पादक देशों का वितरण:** थाईलैंड ने वर्ष 2020 में वैश्विक प्राकृतिक रबर के 35% भाग का निर्माण किया और उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान रहा।
- उष्णकटिबंधीय जलवायु रबर के पेड़ों के लिये अनुकूल है। वर्ष में कम-से-कम 100 वर्षा वाले दिनों के साथ समान रूप से वितरित वर्षा और लगभग 20 से 34°C की तापमान सीमा हेविया रबर के पेड़ के विकास के लिये अनुकूल स्थितियाँ प्रदान करते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिये लगभग 80% आर्द्रता, 2000

घंटे की धूप और तेज़ हवाओं की अनुपस्थिति भी आवश्यक है।

- प्राकृतिक रबर अमेजन बेसिन का मूल पौधा होने के बावजूद, वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% एशिया में उगाया जाता है। इसमें से अधिकांश दक्षिण-पूर्व एशिया से आता है- विशेष रूप से थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया।
- दुनिया के अन्य देश जो रबर का उत्पादन कर रहे हैं, वे हैं आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, मेक्सिको, गैबॉन, गिनी, इक्वाडोर और श्रीलंका आदि।

पर्यावरण संबंधी मुद्दे

रबर की खेती एक बागानी फसल है और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिये एक फलदायी फसल निर्माण में लंबी अवधि लगती है। इस वृक्षारोपण में कई नकारात्मक बाह्यताएँ होती हैं, जैसे:

- रबर की खेती के कारण मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपने प्राकृतिक वन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है।
- यह जैव विविधता को विलुप्ति की ओर भी ले जाता है और इसके कारण कुछ महत्त्वपूर्ण प्रजातियों, जैसे-ओरंगउटान की आबादी कम हो गई है।
- रबर जैसी बागानी फसलों को वरीयता देने से खाद्यान्न फसलों की खेती कम हो जाती है और एसडीजी प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है।
- स्थायी फसल पैटर्न मृदा उत्पादन क्षमता को कम कर देता है और सिंथेटिक उर्वरक के त्वरित अनुप्रयोग से मिट्टी अनुर्वर हो जाती है।
- रबर के रोपण की लंबी अवधि (7-8 वर्ष) इसे कीटों और अन्य जलवायु प्रेरित बीमारियों और रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है जो छोटे फसल धारकों के हित में बाधा डालती है और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- रबर उत्पादन विभिन्न प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का भी स्रोत है जैसे:
  - भूमि समाशोधन (मलेशिया में) के बाद रबर के पेड़ के डंठलों को बड़ी मात्रा में खुले में जलाया जाता है।
  - प्रति किलोग्राम शुष्क रबर आठ किलोग्राम अपशिष्ट उत्पन्न करती है और इसके प्राकृतिक क्षरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन उत्सर्जित होती हैं।
  - रबर उद्योग के उत्सर्जन को विभिन्न बीमारियों और मानव स्वास्थ्य पर विविध प्रभावों से जोड़ा गया है।
- रबर उद्योग प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है। यह रबर उत्पादक देशों में पानी की कमी की समस्या को बढ़ाता है।

औद्योगिक विस्तार के कारण रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये रबर की सतत् कृषि ही एकमात्र उपाय है। आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ स्थानीय और वैश्विक ज्ञान का संश्लेषण उद्योग में शामिल सभी हितधारकों के हित में हो सकता है।

प्रश्न: 16. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जलसंधि व स्थलसंधि के महत्त्व का उल्लेख कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: जलसंधि एक संकीर्ण समुद्री जल निकाय है जो दो समुद्रों या दो अन्य बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह जल निकायों के बीच जल में जहाज़ों के आवागमन के लिये एक मार्ग या गलियारा के रूप में कार्य करता है। जैसे- मलक्का जलडमरूमध्य, जिब्राल्टर जलसंधि आदि।

स्थलसंधि भूमि की एक सँकरी पट्टी है जो दो बड़े भू-भागों को जोड़ती है और दो जल निकायों को अलग करती है। जैसे- स्वेज़ स्थलसंधि जो कि अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जलसंधि और स्थलसंधि का महत्त्व

- ये स्थानों के बीच की दूरी को कम करती हैं और व्यापार की सुविधा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिये, स्वेज़ स्थलसंधि पर स्थित स्वेज़ नहर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार में कम समय लेने वाला मार्ग प्रदान करती है तथा जहाज़ों द्वारा अफ्रीका की परिक्रमा को रोकती है।
- जलसंधि और स्थलसंधि अच्छे बंदरगाह उपलब्ध कराती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा के लिये भी बंदरगाह प्रदान कराती हैं। उदाहरण के लिये- मलक्का जलसंधि पर सिंगापुर बंदरगाह।
- ये वृहत् लैंडमास और जल निकायों के बीच संपर्क भी प्रदान करती हैं। जैसे पनामा स्थल संधि पर पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है।
- ये कुशल परिवहन को सुगम बनाकर जहाज़रानी उद्योगों में भी क्रांति लाती हैं।
- ये वस्तु की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिये, जापान भारत का लौह अयस्क मलक्का जलसंधि से खरीदता है।
- ये पाक जलसंधि की तरह पर्यावरण के अनुकूल नौवहन प्रदान करती हैं, जो विजाग बंदरगाह से कोचीन के बीच जहाज़ों द्वारा श्रीलंका के चारों ओर यात्रा की गई लंबी दूरी को कम करती है।
- ये स्थलसंधि और जलसंधि के तटों पर मनोरंजक सेवाएँ प्रदान करके पर्यटन सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा भी प्रदान करती हैं।
- ये मछली पकड़ने और जलीय कृषि के लिये भी अच्छा आधार प्रदान करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री उत्पादों की अच्छी आपूर्ति को बनाए रखती हैं।
- ये रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये रणनीतिक स्थान भी प्रदान करती हैं और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा प्रदान करती हैं।

प्रश्न: 17. क्षोभमंडल वायुमंडल की एक महत्त्वपूर्ण परत है, जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान (लगभग 75-80%) क्षोभमंडल में है और यह वह स्थान है जहाँ अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं।

मौसम अल्पकालिक तापमान, वायु और वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है।

मौसम संबंधी प्रक्रियाओं के विभिन्न घटक: मेघावरण, वर्षा, हिमपात, निम्न या उच्च तापमान, तूफान और हवा।

वायुमंडल की परतें	ऊँचाई (km में)
बाह्य मंडल	400 से अधिक
ताप मंडल	80-400
मध्य मंडल	50-80
समताप मंडल	10-50
क्षोभमंडल	0-10

मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभमंडल का महत्त्व

- ऊँचाई बढ़ने से क्षोभमंडल में तापमान कम हो जाता है, जिससे जलवाष्प इस वायुमंडलीय परत में बनी रहती है।
- यही कारण है कि क्षोभमंडल में, वायुमंडल में जल वाष्प और एरोसोल के कुल द्रव्यमान का 99% होता है और इसलिये यह अधिकांश बादलों का स्रोत है जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करता है।

- ओज़ोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिये समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार समताप मंडल में तापमान आमतौर पर ऊँचाई के साथ बढ़ता है (क्षोभमंडल के मामले में विपरीत)।
- समताप मंडल एक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप मौसमी घटनाएँ होती हैं जो केवल क्षोभमंडल में देखी जा सकती हैं।
- जल पृथ्वी की सतह से वाष्पित होकर क्षोभमंडल में जाता है और यहाँ से वायु के द्वारा यह अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है।
- वायु के आरोहण, प्रसार और शीतलन से जलवाष्प बादलों में संघनित हो जाती है, जिससे अस्थिर वातावरण का निर्माण होता है जो वर्षा का कारण बनता है।
- क्षोभमंडल में वैश्विक वायुराशियों और वाताग्रों के कारण गरज, तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और मौसम की प्रकृति बदल रही है, जिससे क्षोभमंडल में असामान्य मौसम की घटनाएँ, जैसे- हीटवेव्स (हाल ही में यूरोप और भारत में) आदि घटित हो रही हैं। इसलिये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव (सतत् विकास लक्ष्य 13) से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 18. भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर 'पंथ' की विशेषता की विवचेना कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: पंथ या संप्रदाय आस्था का एक छोटा समूह है जो या तो एक पारंपरिक धर्म का पालन करता है या एक अलग धर्म के रूप में इसके मूल सिद्धांत हैं।

- पंथ एक ही विश्वास या धर्म के उपसमूह हैं, जैसे- ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और अन्य।
- पंथ या संप्रदाय उन धार्मिक समूहों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने खुद को एक स्थापित धर्म से अलग कर लिया है और अब अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं।
- दूसरी ओर एक पंथ एक सामाजिक समूह है जो जीवन में एक सामान्य रुचि या लक्ष्य प्राप्त करने के लिये असामान्य धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन करता है।

जाति की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- पंथ अपने सदस्यों को भाईचारे, समानता और लक्ष्यों की एक सामान्य दृष्टि के लिये कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। पंथ का निर्णय तब होता है जब समाज तेज़ी से परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा होता है।
- भारत में उप-जातियों की बढ़ती सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण वे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। उदाहरण के लिये- गुज्जर, जाट, पाटीदार आदि।
- भले ही उप-क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी समरूपता, संस्कृति की प्रथा अभी भी प्रचलित है, जिसे आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता है।

क्षेत्र की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- पंथ भौगोलिक पहलुओं से भी उभरते हैं, उदाहरण के लिये गद्दी जैसी पहाड़ी जनजातियाँ अपने व्यवहार में भी खानाबदोश हैं, शेख उत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाने वाले मुस्लिम समुदाय है तथा शेख में चार मुख्य समुदाय सिद्दीकी, फारूक, उस्मानी, अब्बासी हैं।
- समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से धर्म के पालन में असमानता के अनुभव, मुसलमानों के आक्रमण और हिंदू समाज पर मुस्लिम शासकों द्वारा अर्जित राजनीतिक प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ।

धर्म की तुलना में 'पंथ' का महत्त्व

- हिंदू धर्म चार प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है: वैष्णव, शैव, स्मार्त और शक्तिवाद। संप्रदाय मुख्य रूप से सर्वोच्च के रूप में पूजे जाने वाले देवता और उस देवता की पूजा के साथ आने वाली परंपराओं में भिन्न होते हैं।
- इस्लामी कानून (फिक्ह) और इस्लामी इतिहास की समझ के आधार पर मुसलमानों को कई संप्रदायों में विभाजित किया गया है जबकि संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को दो भागों में बाँटा गया है- सुन्नी और शिया।
- बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था अर्थात् महायान और हीनयान।
- ईसाई दो संप्रदायों में विभाजित हैं - कैथोलिक और प्रोटैस्टेंट। पूर्व को परंपरावादी और बाद वाले को सुधारवादी माना जा सकता है। दोनों मुख्य रूप से चर्च के अधिकार के सवाल पर विभाजित हैं।
- भारतीय समाज सिंधु सभ्यता से आज के वैश्वीकृत विश्व की यात्रा का परिणाम है।
- इस यात्रा में यह बाहरी दुनिया और समाज के भीतर सुधार आंदोलनों के प्रभाव में कई परिवर्तनों से गुज़रा है। हालाँकि, जो अद्वितीय और सराहनीय है वह यह तथ्य है कि यह अपने अतीत को संरक्षित करते हुए विभिन्न विशेषताओं को अपनाने और स्वीकार करने में कामयाब रहा है।

प्रश्न: 19. क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्त्व हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: धर्मनिरपेक्षता शब्द 'सर्वधर्म समभाव' नामक वैदिक संकल्पना से प्रेरित है जिसका अर्थ है धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव का होना।

- पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता, धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध विच्छेद पर आधारित है (अर्थात चर्च और राज्य का अलगाव होना)।
- धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन 'सर्वधर्म समभाव' से संबंधित है (जिसका शाब्दिक अर्थ है कि सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले साधनों का साध्य समान है, हालाँकि साधन भिन्न हो सकते हैं) जिसका अर्थ है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्त्व के रूप में सहिष्णुता

- इसका अर्थ है विभिन्न धर्मों के लोग अथवा संप्रदाय एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखते हैं।
- भारत वह जगह है जहाँ बौद्ध और जैन धर्म सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। इन धर्मों ने शांति और सहिष्णुता का संदेश दिया।
- सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे (सहनशीलता) का उपदेश दिया।
- कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग किसी भी देशी राजा ने अपनी प्रजा को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिये मजबूर नहीं किया।
- मुगल राजा अकबर और बौद्ध राजा अशोक की धार्मिक सहिष्णुता नीतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम्' महा उपनिषद में एक वाक्यांश है, जिसका अर्थ है 'समस्त संसार एक परिवार है'।
- राज्य के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), यह गारंटी

देता है कि इसके सभी निवासियों को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। यह अधिकार सभी धर्मों के प्रति राज्य की सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरुप के मुख्य तत्त्व के रूप में आत्मसात

- आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न जातीय विरासत के समूहों को एक समाज की प्रमुख संस्कृति में समाहित किया जाता है।
- भारत में सभी प्रमुख धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में हैं। भारत बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का जन्मस्थान रहा है। फारस और अफगानिस्तान के आक्रमणकारियों के साथ, इस्लाम भारत में आया। हालाँकि सबसे आकर्षक तथ्य यह है कि यहाँ विकसित हुए नए धर्म आक्रमणकारियों द्वारा पेश किये गए थे, फिर भी वे अपनी विशिष्ट पहचान खोए बिना शेष समाज के साथ सह-अस्तित्व में थे।
- जब कई धार्मिक समुदाय सहअस्तित्व में होते हैं, तो समय के साथ वे एक-दूसरे की कला, वास्तुकला, संस्कृति और धर्म के तत्त्वों को शामिल करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिये, मुगल काल ने फारसी इस्लामी वास्तुकला और देशी भारतीय कला के मिश्रण के परिणामस्वरूप एक विशिष्ट मुगल शैली का निर्माण किया। मुगल काल ने जयपुर और अंबर के राजपूत चित्रों को बहुत प्रभावित किया।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप के मुख्य तत्त्व के रूप में आत्मसात बहुलवाद

- इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों के लोग एक साथ सद्भाव से रहते हैं।
- प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग निवास करते रहे हैं। भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व है। इनमें इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म शामिल हैं।
- प्रत्येक धर्म में कई उपसमूह भी होते हैं। उदाहरण के लिये, हिंदू धर्म में शैव और वैष्णववाद के अनुयायी हैं तथा मुस्लिमों में सुन्नी और शिया मुसलमान हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों और पंथों के निवासी हैं।
- भारत के आसपास, बौद्ध धर्म पहली बार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट हुआ था। भारत में, जैन धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विकसित हुआ। 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, भारत ही वह देश था जहाँ इस्लाम सबसे तेज़ी से फला-फूला। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। आठवीं शताब्दी ई. में पारसी धर्म का भारत में आगमन हुआ। इसलिये बहुलवाद हमेशा से भारत का अंग रहा है।

कुछ अपवादों को छोड़कर शासकों ने लोगों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। बजाय इसके उन्होंने उन्हें धार्मिक उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता और भूमि की पेशकश की। इसलिये धर्मनिरपेक्षता कई वर्षों से भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा रही है।

प्रश्न: 20. अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक सीमाहीन दुनिया की परिकल्पना करता है या दुनिया को एक वैश्विक गाँव के रूप में देखता है। इसे सीमाओं के पार वस्तु, लोगों, पूंजी, सूचना और ऊर्जा के त्वरित प्रवाह के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अक्सर तकनीकी विकास द्वारा सक्षम होता है।

- मानव जगत में 'संसाधन' वह सब कुछ है जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिये किया जा सकता है। अक्सर कुछ देशों में कुछ संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं जबकि अन्य देशों में वही संसाधन दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। इन देशों की पारस्परिक आवश्यकताएँ ही इनके बीच सहयोग को आगे बढ़ाती हैं।
- दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में वैश्वीकरण और नई तकनीक के बीच संबंधों के बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं।

दुर्लभ संसाधनों के संदर्भ में वैश्वीकरण और नई तकनीक के बीच संबंधों के सकारात्मक पहलू इस प्रकार हैं:

- **प्राकृतिक संसाधन:** वैश्वीकरण संसाधन के कुशल उपयोग के लिये आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। जैसे:
  - **ऊर्जा:** जीवाश्म ईंधन की कमी से निपटने के लिये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु भारत की वैश्विक पहल यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) इसका अच्छा उदाहरण है।
  - **बुनियादी ढाँचा:** भारत द्वारा वैश्विक योगदान के लिये आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (सीडीआरआई) का निर्माण किया गया जो कि तकनीकी ज्ञान और सतत् भावना से प्रेरित है।
- **रक्षा:** सुरक्षा चुनौती का प्रबंधन करने के लिये भारत वैश्विक दिग्गजों जैसे इजराइल (बराक मिसाइल), फिलीपींस (ब्रह्मोस मिसाइल), रूस (AK-203) जैसे भागीदारों के साथ जुड़ा हुआ है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** महँगे संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिये रूस और फ्राँस (गगनयान), यूएस (एनआईएसएआर उपग्रह) जैसे देशों के साथ भारत का वैश्विक सहयोग है।
- **परिवहन और संचार:** जापान (बुलेट ट्रेन), यूरोपीय संघ (5G), आदि जैसे वैश्विक देशों के साथ सहयोग द्वारा इन क्षेत्रों में प्रगति की जा रही है।

सकारात्मक के अलावा कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे:

- **ब्रेन ड्रेन:** भारतीय प्रशिक्षित युवा विकसित देशों को चुनते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास के लिये देश की उपेक्षा करते हैं।
- डेटा गोपनीयता, बोलने की स्वतंत्रता आदि के नाम पर बड़े तकनीकी दिग्गजों द्वारा नव-तकनीक-उपनिवेशीकरण।
- प्रौद्योगिकी अनुकूलन (बुलेट ट्रेन) के लिये दुर्लभ संसाधनों का पथांतर करना और इस प्रकार मानवीय विकास पर होने वाले खर्च को कम करना।
- वैश्विक संबंध अत्याधुनिक तकनीकों के आयात को बढ़ावा देते हैं। यह एक ओर विदेशी मुद्रा और दूसरी ओर तकनीकी अनुसंधान को कम करता है। उदाहरण के लिये, भारतीय बाज़ार में एक भी सफल भारतीय हैंडसेट नहीं है।
- सामरिक प्रौद्योगिकियों के एकाधिकार और कमी ने भारतीयों की सुरक्षा से समझौता किया जैसे कि चीनी उपकरणों द्वारा मुंबई में बिजली की आपूर्ति पर रेड इको हमले।

दुर्लभ संसाधनों के युग में वैश्विक दुनिया के साथ भारत के संबंधों के लाभ और हानि को देखते हुए, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये उपयुक्त और रणनीतिक वैश्विक समर्थन के साथ आत्मनिर्भर बनना होगा। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II

प्रश्न: 1. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: पर्यावरणीय समस्या के संविधानीकरण का अर्थ है पर्यावरणीय समस्या को व्यक्ति या समुदाय के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ जोड़ना अथवा सरकार द्वारा नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की ज़िम्मेदारी को मूलाधिकारों में रूपांतरित करना ताकि पर्यावरणीय समस्याओं पर सार्थक ध्यान आकर्षित किया जा सके।

पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण करने वाली न्यायिक घोषणाएँ-

- **प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार:** सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को संवैधानिकता प्रदान की।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'पूर्ण दायित्व का सिद्धांत' पेश किया। इसने सक्षम किया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरणीय क्षति के लिये उत्तरदायी होंगे।
- **स्वच्छ वायु का अधिकार:** नागरिकों के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और NCR क्षेत्र में **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2020)** वाद में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) पेश किया, जिसने धीरे-धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया।
- **प्रतिपूरक वनारोपण का अधिकार:** इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वनारोपण के लिये जुटाई गई धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप CAMPA अधिनियम, 2016 संबंधी प्रावधान अनिवार्य बन गए।

इस प्रकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिये कानूनों और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है।

प्रश्न: 2. "भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं हैं।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत के पूरे क्षेत्र में विचरण और निवास का अधिकार भारत के नागरिकों के लिये उपलब्ध सबसे महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (घ) प्रत्येक नागरिक को देश के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण का अधिकार देता है। इसके अलावा, यह केवल नागरिकों और किसी कंपनी के शेयरधारकों के लिये उपलब्ध है, लेकिन विदेशियों या कानूनी संस्थाओं जैसे कंपनियों अथवा निगमों आदि के लिये नहीं।

विचरण की स्वतंत्रता के दो आयाम- आंतरिक और बाह्य हैं। अनुच्छेद 19(1)(घ) केवल आंतरिक आयाम यानी देश के अंदर विचरण के अधिकार की रक्षा करता है।

इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल दो आधारों पर लगाया जा सकता है जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(5) में किया गया है, अर्थात् जनता के हित और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा।

अनुच्छेद 19(1)(ङ) भारतीय नागरिकों को "भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने" का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(क) की तरह, यह अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

हालाँकि, ये अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं। उदाहरण के लिये, भारत में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिये भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण की सीमा या निषेध के साथ-साथ भूमि के आवंटन के नियमन से संबंधित हैं।

इसके अलावा, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या (1963)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्याओं के विचरण के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इस प्रकार, यह अधिकार, भारतीय नागरिकों की गतिशीलता को बढ़ाते हुए, कुछ प्रतिबंधों के अधीन भी है जो लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

प्रश्न: 3. आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने औपचारिक रूप से ज़मीनी स्तर पर सरकार के तीसरे स्तर को मान्यता दी, जिससे स्थानीय स्व-शासन यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिये कानूनी प्राधिकार प्रदान किये गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिये कदम उठाएँगे और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार प्रदान करेंगे।

सत्ता के विकेंद्रीकरण की उपलब्धि

- **निर्णयन:** स्थानीय स्तर के मुद्दों पर स्थानीय लोग निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं।
- **महिला प्रतिनिधित्व:** महिलाओं के लिये 33% आरक्षण ने हमारे लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में मदद की है।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** वर्ष 2019 में, स्थानीय निकायों द्वारा ज़मीनी स्तर पर काम करने के कारण भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया।
- **साक्षरता अभियान:** ओडिशा के गंजम ज़िले के एक गाँव की सरपंच आरती देवी को महिलाओं के लिये साक्षरता अभियान शुरू करने और गंजम में पारंपरिक लोक कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है।
- **स्वयं सहायता समूह:** गुजरात के एक गाँव की सरपंच मीना बहन ने स्वयं सहायता समूह (SHG) में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिये काम किया है।

शक्ति के विकेंद्रीकरण को रोकने वाले मुद्दे

- **अपर्याप्त वित्त:** उपकर और कर लगाने की सीमित शक्ति।
- **कार्यों का अवैज्ञानिक वितरण:** पंचायत और पंचायत समिति के कार्य अधिव्यापन/ओवरलैप होते हैं, जिससे भ्रम, प्रयासों का दोहराव होता है।
- **समन्वय का अभाव:** सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच समन्वय का अभाव।
- **कोई वास्तविक कार्य नहीं:** शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी जैसे कार्य राज्य सरकारों के पास केंद्रित हैं।

स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिये मानव पूंजी के हस्तक्षेप में बड़ी भूमिका निभाने के लिये, कार्यों और कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्यों को शासन के लिये जिस प्रकार की स्वायत्तता प्रदान की गई है, उसे सभी राज्यों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 4. राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत के उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति हैं। भारत के संविधान के भाग V में अनुच्छेद 63-71 उप-राष्ट्रपति से संबंधित हैं।

राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका

- वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सदन की कार्यवाही प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों तथा परंपराओं के अनुसार संचालित हो।
- राष्ट्रपति से समन्वय, सभापति के माध्यम से किया जाता है और वह सदन के निर्णय से संबंधित प्राधिकारियों को भी सूचित करता है।
- उसे गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक को स्थगित करने का अधिकार है।
- वह पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन को छोड़कर सदन की चर्चा में भाग नहीं लेता है।
- जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राज्यसभा के पास होता है, तो सभापति उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करने से पहले प्रमाणित करता है।
- वोटों की समानता के मामले में वह केवल निर्णायक वोट का प्रयोग करता है।
- वह सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संवाहक और संरक्षक है।
- वह दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करता है।
- राज्यसभा का सचिवालय सभापति के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति को कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दोहरी क्षमता प्रदान की गई है।

प्रश्न: 5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है वर्ष 2018 के 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

NCBC में नए बदलाव

- एक सांविधिक निकाय के रूप में, यह अपनी शक्तियाँ संसद द्वारा बनाई गई विधियों या कानूनों से प्राप्त करता है, जबकि अब एक संवैधानिक निकाय के रूप में यह भारतीय संविधान से अपनी शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त करता है।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) में अनुच्छेद 338B सम्मिलित किया गया जो शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जाँच करने के लिये NCBC से संबंधित है। इसके पूर्व NCBC में इसकी कमी थी।
- 102वें CAA द्वारा एक नया अनुच्छेद 342A भी डाला गया, जो अधिक पारदर्शिता लाता है क्योंकि इस अधिनियम में संसद की सहमति को निर्दिष्ट किया गया है जो पिछड़े वर्गों की सूची के संशोधन में अनिवार्य है।
- वर्तमान NCBC में, आरक्षण से पिछड़ा वर्ग के विकास और शिकायत निवारण को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हालाँकि, NCBC की सिफारिश अनिवार्य नहीं है और पिछड़ेपन को परिभाषित करने की इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि कुछ अंतर्निहित मुद्दे इससे संबंधित हैं। इस प्रकार, NCBC सामाजिक प्रगति के लिये एक महत्त्वपूर्ण आयोग है। इसे लैंगिक संवेदनशील होना चाहिये और इसके नियमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिये इसे वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिये।

प्रश्न: 6. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: PM गति-शक्ति आर्थिक विकास और सतत् विकास के लिये एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 घटकों अर्थात् रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक अवसंरचना द्वारा संचालित है।

इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के एक साथ प्रयास करने तथा सभी के लिये बेहतर रोज़गार और उद्यमशीलता के अवसरों के लिये अग्रणी होने जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

सरकार और निजी क्षेत्र के समन्वय की आवश्यकता

- सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार।
- विशेषज्ञता और प्रबंधकीय क्षमता का आदान-प्रदान।
- संचालक निवेश और वित्त उपलब्धता।
- गतिविधियों के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना।
- उद्यमिता और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
- सरकारी निवेश और बुनियादी ढाँचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- लागत-प्रभावशीलता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता।
- संरचनात्मक मुद्दों और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना
- समन्वय, सहयोग और सहकारी विकास को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- परियोजना की व्यवहार्यता मानचित्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये व्यवहार्यता अंतर निधि का उपयोग।
- विवेकपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के साथ जोखिम आवंटन की निगरानी।
- पी.पी.पी मॉडल को रिडिज़ाइनिंग के साथ परिपक्वता के अगले स्तर पर ले जाएँ।

'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' में इन 7 घटकों से संबंधित परियोजनाओं को PM गति-शक्ति ढाँचे के साथ जोड़ा जाएगा। यह भारतीय बुनियादी ढाँचे द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने को सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र परियोजना निष्पादन और दक्षता में सुधार होगा।

प्रश्न: 7. दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 केवल विधिक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों को प्रभावी बनाने के लिये 19 अप्रैल, 2017 को दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके साथ ही नि:शक्तताओं का ध्यान व्यक्ति से हटकर समाज की ओर अर्थात् नि:शक्तता के चिकित्सा मॉडल से दिव्यांगता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है।

RPD अधिनियम, 2016 से जुड़ी चुनौतियाँ

- **क्रियान्वयन की कमी:** सुगम्य भारत अभियान के बावजूद भारत में ज़्यादातर भवन डिसेबिलिटी/दिव्यांग फ्रेंडली नहीं हैं। आरक्षण का कोटा निर्धारित है लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।
- **स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार:** जागरूकता, देखभाल और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। विशेष विद्यालयों की उपलब्धता का अभाव और अन्य वर्गों की तुलना में कम रोज़गार दर।
- **भेदभाव और दोहरे बोझ की समस्या:** उनके अधिकारों की समझ की कमी से जुड़े कलंक, उनके लिये अपने मूल्यवान 'कार्यकलाप' को प्राप्त करना मुश्किल बना देते हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी:** लाइव समग्र डेटा का अभाव, मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता, पार्टी की राजनीति में भागीदारी के लिये बाधाएँ।

संवेदीकरण की आवश्यकता

- संस्थागत बाधाओं को कम करना और न्यायिक घोषणाओं को लागू करना।
- सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं और पहलों को पूरी तरह तथा तेज़ी से संसाधित करना।
- लोगों को दिव्यांगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये और संस्था को आजीविका प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिये।
- अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता और अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता।
- गैर-भेदभाव, पहुँच और अवसर की समानता सुनिश्चित करने हेतु।

आगे की राह

- समुदाय आधारित पुनर्वास (CBR) दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता।
- दृष्टिकोण बदलने के लिये जन-जागरूकता और अक्षमता की समझ बढ़ाना।
- राज्यों के साथ सहयोग और आवंटित धन की उचित जाँच तथा ट्रैकिंग।

जबकि सरकार और न्यायपालिका ने दिव्यांग लोगों के संबंध में एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये नियमित निगरानी की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के प्रावधानों को उनकी भावनाओं के साथ एकीकृत करके लागू किया गया है।

प्रश्न: 8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से, सरकार ने अपने कल्याण कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की है। वर्ष 2011 में नंदन नीलेकणी समिति ने DBT योजना की अवधारणा की सिफारिश की। DBT के तहत, सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करने से धोखाधड़ी और रिसाव को कम किया जा सकता है। DBT योजना के कुछ उदाहरण PM किसान योजना, मनरेगा योजना, पहल योजना आदि हैं।

सरकारी वितरण प्रणाली के क्षेत्र में DBT कई मायनों में एक प्रगतिशील कदम है जैसे-

- यह लाभार्थियों के दोहराव, धोखाधड़ी को रोकता है।
- यह लक्षित वितरण प्रदान करता है और भुगतान के विलंब समय को कम करता है।
- DBT बिचौलियों या बिचौलियों की संस्कृति को मिटा देता है। यह भ्रष्टाचार और गरीब लाभार्थियों के शोषण को कम करता है।
- इसमें लक्षित धन और सेवाओं का तेज़ प्रवाह शामिल है। इस तरह यह सिटीजन चार्टर की सकारात्मक आकांक्षाओं को पूरा करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि DBT सरकारी वितरण प्रणाली में एक सकारात्मक मील का पत्थर है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। कुछ सीमाएँ इस प्रकार हैं-

- कई लाभार्थियों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं होने के कारण बाहर रखा गया है
- जनता के बीच वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण, DBT अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकता है।
- आधार कार्ड डेटा और बायोमेट्रिक डेटा बेमेल सेवा वितरण प्रणाली में समस्या पैदा करता है।
- दूर-दराज़ के क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग के कुछ मुद्दे हैं। इससे सेवा वितरण में देरी हुई।

आगे की राह

- मज़बूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण की ज़रूरत है।
- लक्षित लाभार्थियों को सेवाओं के तेज़ी से वितरण के लिये विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय की बहुत आवश्यकता है।
- प्रत्यक्ष लाभ योजना की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिये सरकार को वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिये।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित सभी गड़बड़ियों और मुद्दों के लिये सिंगल विंडो रिड्रेसल प्लेटफॉर्म का प्रावधान होना चाहिये।

प्रश्न: 9. "भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल से ही दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी बातचीत की विरासत है।

वर्तमान में, श्रीलंका सात दशकों में सबसे खराब एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल की चपेट में है, जिससे लाखों लोग भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

श्रीलंकाई संकट के पीछे के कारण

- वर्ष 2019 में हुए ईस्टर बम विस्फोट के पश्चात् श्रीलंका में पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है।
- वर्ष 2019 में नई सरकार ने कम कर दरों का वादा किया था।
- कोविड-19 महामारी ने चाय, रबर और कपड़ों के निर्यात को प्रभावित किया है।
- उच्च सरकारी व्यय के कारण वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से अधिक हो गया।
- वर्ष 2021 में, जैविक खेती में रातों-रात बदलाव ने खाद्य उत्पादन को प्रभावित किया।

हाल के संकट में श्रीलंका को भारत का समर्थन

- खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा पैकेज के साथ-साथ 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी भंडार की सहायता।
- 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण।
- डीज़ल, पेट्रोल और विमानन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद के वित्तपोषण के लिये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC)।
- LOC सुविधा के बाहर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 40,000 मीट्रिक टन ईंधन की एक खेप की आपूर्ति की गई।
- SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22 के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी स्वैप फैसिलिटी।
- श्रीलंका के विभिन्न अस्पतालों को दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की एक बड़ी खेप भेंट की गई।
- याला सत्र की खेती के लिये भारत द्वारा 65000 मीट्रिक टन यूरिया की खरीद के लिये 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है।

श्रीलंका का संकट केवल एक घरेलू समस्या नहीं है, बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका को भारत की सहायता उसकी पड़ोस पहले की नीति और सभी के लिये सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण (सागर) के अनुरूप है। ये जुड़वाँ सिद्धांत इस क्षेत्र में पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहले प्रतिवादी के रूप में उभरने पर भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

प्रश्न: 10. आपके विचार में क्या बिमस्टेक (BIMSTEC) सार्क (SAARC) की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) की दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने में विफलता ने क्षेत्रीय प्लेयर्स को एक विकल्प की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रों का एक समूह है, जिसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में लोकप्रिय रूप से पसंद किया जाता है।

SAARC के समानांतर संगठन के रूप में BIMSTEC

- BIMSTEC का प्राथमिक फोकस दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर है।
- BIMSTEC सदस्य देशों के आम तौर पर सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, जिसका SAARC में अभाव है।
- उरी, पठानकोट पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमले ने भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध बंद करने के लिये मजबूर कर दिया है।
- वर्ष 2016 में पाकिस्तान की आपत्ति के बाद SAARC उपग्रह परियोजना को रद्द कर दिया गया था।
- SAARC के पास विवादों को सुलझाने या विवादों में मध्यस्थता करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

SAARC और BIMSTEC के बीच समानताएँ और असमानताएँ

समानताएँ	■ दोनों दक्षिण एशिया के अंतर-क्षेत्रीय संगठन हैं। ■ भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश दोनों के सदस्य हैं। ■ दोनों आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
असमानताएँ	■ SAARC के पास एक मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन BIMSTEC के पास ऐसा नहीं है। ■ SAARC संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थायी राजनयिक संबंध रखता है, लेकिन BIMSTEC के पास यह नहीं है। ■ SAARC में क्षेत्रीय संपर्क (BBIN मोटर वाहन समझौता) अधिक है जबकि BIMSTEC समुद्री सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है BIMSTEC

- पाकिस्तान के असहयोग के रूप में SAARC की विफलता ने अंतर-क्षेत्रीय संपर्क को रोक दिया है, जिसने भारत को SAARC के विकल्प की तलाश करने के लिये मजबूर किया है।
- BIMSTEC विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य के मामले में दक्षिण एशियाई तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
- दो प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तियाँ, थाईलैंड और भारत, एक बड़ी शक्ति द्वारा प्रभुत्व के डर को कम करके छोटे पड़ोसियों की चिंताओं को न्यून करते हैं।
- SAARC की तुलना में BIMSTEC देशों की व्यापार क्षमता बहुत अधिक है। मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण एशिया की विकास गाथा के लिये फायदेमंद होगा।
- हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा प्रदाता के भारत के लक्ष्य को भी BIMSTEC देशों के बीच समन्वय और संचार के साथ एक बल मिलता है।

दोनों संगठन भौगोलिक रूप से अतिव्यापी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, यह BIMSTEC को SAARC का विकल्प नहीं

बनाता है। BIMSTEC की सफलता दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में केवल एक नया अध्याय जोड़ती है। SAARC का पुनरुत्थान भारत-अफगानिस्तान संबंधों के लिये भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं।

प्रश्न: 11. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम चुनावों से उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।

चुनावी विवादों को तय करने के लिये, प्रक्रिया संसदीय या स्थानीय सरकार के चुनावों के परिणाम की वैधता की जाँच के लिये एक चुनाव याचिका दायर करने के साथ शुरू होती है। याचिका किसी भी उम्मीदवार, या चुनाव से संबंधित मतदाता द्वारा व्यक्तिगत रूप से संबंधित उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। इसके अलावा, चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक चुनाव याचिका परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर की जाती है।

उच्च न्यायालय की राय में किसी विशेष उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है यदि-

- चुनाव के दिन जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिये योग्य नहीं था।
- चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, उसके पोल एजेंट या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है।
- विजेता उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति या नामांकन की अनुचित अस्वीकृति।
- मतगणना प्रक्रिया में कदाचार, जिसमें अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना, किसी भी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी भी अमान्य वोट को स्वीकार करना शामिल है।
- संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों या आरपी अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम अथवा आदेश का पालन न करना।

उच्च न्यायालय के आदेश (आदेशों) के खिलाफ पीड़ित पक्षों के लिये कुछ उपाय उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के 30 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी मामले (1985) में, अजहर हुसैन की चुनाव याचिका को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने रिटर्निंग उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के आरोपों की पुष्टि करने वाले सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पीड़ित पक्ष की याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के संचालन पर भी रोक लगा सकता है।

उदाहरण के लिये इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले (1975) में उनके चुनाव को आरंभ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्ट आचरण के आरोप में रद्द कर दिया था। बाद में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जिसने उनके चुनाव को बरकरार रखा।

इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारतीय लोकतंत्र के कुशल कामकाज के लिये महत्त्वपूर्ण, है क्योंकि यह सुव्यवस्थित चुनावों के संचालन को सक्षम बनाता है और इसमें शामिल पीड़ित पक्षों को आवश्यक निवारण तंत्र प्रदान करता है।

प्रश्न: 12. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिये। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुन: प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: राज्यपाल भारत में राज्य कार्यकारिणी का एक हिस्सा है और भारत के संविधान ने उसे संविधान के भाग VI के तहत विभिन्न विधायी शक्तियाँ दी हैं।

राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग विभिन्न आवश्यक शर्तों के तहत करता है-

- हर नए वर्ष में राज्य विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है।
- यदि राज्य विधानसभा (SLA) की अध्यक्षता करने के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष (विधानपरिषद् के मामले में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) का पद रिक्त है, तो राज्यपाल बैठक की **अध्यक्षता करने हेतु SLA से किसी भी सदस्य** को नियुक्त कर सकता है।
- राज्यपाल राज्य विधानसभा के किसी भी विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिये सुरक्षित रख सकता है।
- राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के मुद्दे पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद इसका निर्णय करता है।
- राज्यपाल की सबसे महत्त्वपूर्ण विधायी शक्ति यह है कि जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो वह अध्यादेश पारित कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानसभा सत्र में न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है।

डीसी वाधवा मामले, 1987: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिये न कि विधायिका की विधि बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में।

कृष्ण कुमार सिंह मामले, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं है, यह सशर्त है। यदि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिये। अध्यादेशों का लगातार प्रयोग संविधान पर आस्था के प्रति धोखा है एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुचित प्रयोग है।

भारतीय संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को अलग करने का प्रावधान किया है जहाँ विधियों का निर्माण विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका को यह शक्ति विशेष परिस्थितियों में तत्काल आवश्यकताओं के लिये की जाती है एवं इस प्रकार बनाए गए कानून की समाप्ति स्वत: तय होती है। कोई भी अध्यादेश दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात् छह सप्ताह की समयसीमा तक ही लागू रहता है (यदि सदनों से समर्थन प्राप्त न हो तो) किंतु अध्यादेशों को पुन: आगे बढ़ाना इस समय सीमा को नज़रअंदाज़ करता है।

प्रश्न: 13. "भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में।" टिप्पणी कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: केंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने और योजना को एक इकाई में केंद्रित करना ताकि प्रक्रिया में एकरूपता लाई जा सके। इसका अर्थ अक्सर शक्ति या अधिकार का समेकन होता है। राज्य की स्वायत्तता से तात्पर्य किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र संसाधनों पर नियंत्रण की डिग्री से है। विकास, मंचों पर प्रतिनिधित्व और वित्त जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच खींचतान होती रही है।

लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों या राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाती है। एक राष्ट्रीय या एक राज्य पार्टी के रूप में सूचीबद्ध होने की शर्तें चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत निर्दिष्ट हैं।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण का पक्ष लेते हैं

- राजनीतिक दलों के लक्ष्यों और उद्देश्यों में एकरूपता प्राप्त करने के लिये
- पार्टी कैडर के सदस्यों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिये
- राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में एकरूपता प्राप्त करने के लिये
- बड़े पैमाने पर जनता को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिये
- आगामी चुनाव जीतने की उनकी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये

हालाँकि, केंद्रीकरण आम तौर पर क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय मुद्दों की प्रतिकूलता से जुड़ा होता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को प्रमुख महत्त्व देता है। यह अक्सर आज्ञाकारिता की मांग करता है, जवाबदेही एवं पारदर्शिता की अनदेखी करता है। इस प्रकार, केंद्रीकरण को क्षेत्रीय मुद्दों, जैसे- क्षेत्र के विकास, रोज़गार आदि की अनदेखी नहीं करनी चाहिये।

क्षेत्रीय दल राज्य की स्वायत्तता के पक्ष में हैं

- क्षेत्रीय दल पहचान, राज्य का दर्जा, जातीयता, विकास की तर्ज पर बनते हैं।
- वे स्थानीय मुद्दों, ज़रूरतों और मांगों के साथ निकटता में हैं।
- वे नौकरशाही की अड़चन के खिलाफ हैं।
- ज़मीनी स्तर पर निर्णय लेने में तेज़ी लाने के लिये।
- जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को बेहतर ढंग से जुटाने के लिये।
- राष्ट्रीय दल बनने की उनकी महत्त्वाकांक्षा को बेहतर बनाने के लिये।

भारत में क्षेत्रीय दलों की राय है कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हैं। हालाँकि, क्षेत्रीय दलों के उदय ने सदस्यों के खरीद-फरोख्त की एक और समस्या को जन्म दिया है, जिसने कुछ राजनीतिक लाभ के लिये राज्य की स्वायत्तता और विकास की मांग को पीछे धकेल दिया है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय दलों की मांग भारत की एकता और अखंडता के अनुरूप हो।

प्रश्न: 14. भारत और फ्राँस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: फ्राँस आधुनिक विश्व के शुरुआती गणराज्यों में से एक है। भारत ने फ्राँस के संविधान से गणतंत्र शब्द को अपनाया। भारत और फ्राँस के राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में दोनों अपने-अपने सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कुछ औपचारिक पदों का निर्वहन करते हैं।

भारत और फ्राँस के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बीच समानताएँ

- चुनाव प्रति 5 वर्ष बाद होता है।
- जब तक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर लेता, तब तक चुनाव प्रक्रिया के दौर चलते हैं।
- चुनाव जीतने के लिये दोनों राष्ट्रपतियों को अलग-अलग कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स से पूर्ण बहुमत हासिल करना होता है।

भारत और फ्राँस के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बीच असमानताएँ

- फ्राँस के राष्ट्रपति का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति के नामांकन के लिये प्रस्तावक के रूप में 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है, जबकि फ्राँस के राष्ट्रपति के लिये प्रस्तावक के रूप में 500 निर्वाचित अधिकारियों की आवश्यकता होती है।
- फ्राँस के राष्ट्रपति चुनाव को दो दौर में बाँटा गया है। पहले दौर में लोग 500 हस्ताक्षर वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो दूसरे दौर में उम्मीदवार केवल शेष उम्मीदवार को वोट दे सकता है जो पहले दौर में पहले और दूसरे स्थान पर रहे।
- भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत फ्राँस के राष्ट्रपति चुनावों में जमानत राशि की कोई प्रक्रिया नहीं है।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि भारत और फ्राँस के राष्ट्रपतियों की चुनाव प्रक्रिया में कुछ समानताएँ और असमानताएँ हैं। हालाँकि, चुनाव की प्रक्रिया अलग हो सकती है लेकिन राष्ट्र के विकास और संवृद्धि की राह पर चलने के लिये संबंधित गणराज्यों के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका और विविध राष्ट्रों में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की उनकी क्षमता समान है।

प्रश्न: 15. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारत का चुनाव आयोग (ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता (MCC) एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिये चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है। MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक लागू रहती है।

आदर्श आचार संहिता का विकास

- आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिये एक 'आचार संहिता' तैयार की थी। केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गए थे।
- इसके पश्चात् वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग (EC) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों

को फीडबैक के लिये आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है।

- वर्ष 1991 में, चुनाव आयोग ने चुनाव मानदंडों के बार-बार उल्लंघन और निरंतर भ्रष्टाचार के कारण आदर्श आचार संहिता को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया।

MCC के प्रवर्तन में चुनाव आयोग की भूमिका

- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने जनादेश के हिस्से के रूप में, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल संहिता का पालन करें।
- चुनावी अपराधों, कदाचारों और मतदाताओं को प्रलोभन देने, रिश्वतखोरी, धमकी या किसी अनुचित प्रभाव जैसे भ्रष्ट आचरण के मामले में, चुनाव आयोग उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है।
- चुनाव आयोग ने MCC के कुशल प्रवर्तन के लिये कई तंत्र स्थापित किये हैं जैसे-
  - प्रवर्तन अभिकरणों और उड़न दस्तों के संयुक्त टास्क फोर्स।
  - सी-विजिल मोबाइल ऐप की शुरुआत जिसके माध्यम से कदाचार के ऑडियो-विजुअल साक्ष्य की सूचना दी जा सकती है।

आदर्श आचार संहिता का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, चुनाव आयोग द्वारा इसे सख्ती से लागू किये जाने के कारण पिछले एक दशक में इसे मज़बूती मिली है। विभिन्न तकनीकी प्रगति ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के रास्ते में नई चुनौतियाँ पेश की हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा की गई पहल सार्थक प्रतीत होती है।

प्रश्न: 16. कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारत में प्रमुख जनसांख्यिकीय लाभांश है, सांकेतिक GDP के अनुसार पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समानता के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ महँगाई का मौजूदा अनुमान 6.7% के आस-पास है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल बेरोज़गारी दर 6.8% है। PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं में कल्याणकारी निधि के बड़े हिस्से के बावजूद, भारत की काफी आबादी गरीबी में रहती है।

महँगाई और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता

- यह मांग-आपूर्ति शृंखला और सकारात्मक विकास चक्र के सुचारु रूप से कार्य करने में मदद कर सकता है जो बेरोज़गारी को कम कर सकता है।
- यह उत्पादन लागत को कम कर सकता है जिससे बेरोज़गारी दर कम हो सकती है।
- यह अनुकूल निवेश और रोज़गार के नए अवसर पैदा कर सकता है।
- यह राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद कर सकता है जिससे कल्याणकारी योजनाओं को अधिक धन प्राप्त हो सकता है।
- यह कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित आर्थिक अराजकता को दूर करने में मदद कर सकता है।
- यह गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति के SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की कल्पना हेतु महत्त्वपूर्ण है।

आवश्यक कदम

- FRBM अधिनियम के दिशा-निर्देशों, वित्त आयोग की सिफारिशों, मौद्रिक नीति के गुणात्मक और मात्रात्मक साधनों का कड़ाई से अनुपालन।
- शहरी गरीबों के लिये 'शहरी मनरेगा' जैसी अवधारणा के प्रावधान की आवश्यकता (7.8% शहरी बेरोज़गारी दर)।
- जनसांख्यिकीय लाभांश की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिये और अधिक कौशल विकास पहल की आवश्यकता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रभाव से बचाने के लिये बफर पहल तैयार करने की आवश्यकता है।
- गरीबों और वंचित वर्गों की सेवा के लिये मुद्रास्फीति प्रबंधन और अन्य योजनाओं को रणनीतिक बनाने के लिये उन्नत कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण।
- अधिक वित्तीय समावेशन पहल गरीबी को कम करने और नागरिक को सशक्त बनाने में मदद कर सकती है।

चुनौतियाँ

- वैश्वीकरण के युग में, रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान मुद्दों आदि जैसे विभिन्न भू-राजनीतिक प्रकरणों से अछूता रहना चुनौतीपूर्ण है।
- बाढ़, चक्रवात और सूखा जैसी प्राकृतिक घटनाएँ मुद्रास्फीति प्रबंधन को कुप्रबंधित करती हैं। इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर पलायन, गरीबी और भुखमरी होती है।
- राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के तत्त्वों और लालफीताशाही के कारण कल्याणकारी कार्यों की प्रगति में बाधा आ सकती है।

आगे की राह

- स्थानीय स्तर पर अधिक रोज़गार सृजन के लिये स्थानीय सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- भारत का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एकीकृत और मज़बूत होना चाहिये। इससे उत्पादन लागत कम होगी और नए रोज़गार सृजित होंगे।
- रोज़गार के अवसरों में सुधार के लिये और अधिक विविध कौशल वृद्धि पहल होनी चाहिये।

प्रश्न: 17. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: दाता अभिकरण ऐसे अभिकरण हैं जो विकास प्रक्रिया में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हो सकता है, जैसे कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आदि। हाल के दिनों में धन की आसान पहुँच के कारण विकास प्रक्रियाएँ दाता अभिकरणों पर निर्भर हो रही हैं।

हालाँकि सामुदायिक भागीदारी से रहित यह बढ़ती निर्भरता जोखिमों से भरी है। सरल शब्दों में, सामुदायिक भागीदारी का अर्थ है विकास प्रक्रिया में ज़मीनी स्तर के हितधारकों को शामिल करना।

इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है जो दाता अभिकरणों के कामकाज से संबंधित हैं-

- दाता अभिकरणों के मज़बूत वित्तीय समर्थन को देखते हुए विकास प्रक्रिया मे बाधा सीमित है। हालाँकि पूरी प्रक्रिया में उनकी जवाबदेही कम होती है क्योंकि वे भागीदारी की बजाय प्रकृति में अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं।
- विकास प्रक्रिया में दाता अभिकरणों के पास श्रम मज़दूरी और उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित अपने नियम हो सकते हैं। यह अक्सर सामुदायिक भागीदारी को इस हद तक सीमित या अलग-थलग कर देता है जिनके लिये यह प्रतिज्ञा की जाती है।
- वे अधिक प्रौद्योगिकी-उन्मुख और उत्पादकता-केंद्रित हैं। यह अक्सर श्रम बल की भागीदारी में कमी का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त दाता अभिकरण भी पक्षपात को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी पसंद के अनुसार मदद करते हैं न कि आवश्यकता के अनुसार। इससे क्षेत्रीय रूप से असुंतलन फैल सकता है।

इस प्रकार प्रभावी विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये जनजातीय क्षेत्रों पर विचार करने के लिये सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। इसके विकास को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका जनशक्ति योगदान, सामाजिक अंकेक्षण, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने, सहकारी संस्कृति को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से जनजातियों को इस प्रक्रिया में शामिल करना है।

यदि कोई केवल दाता अभिकरणों पर निर्भर हो जाता है तो यह विकास प्रक्रिया के लिये एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण की तरह है जो अक्सर ज़मीनी हकीकत से दूर हो सकता है।

इस प्रकार दाता अभिकरण मानवीय हैं लेकिन अगर हम उन पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो वे घरेलू या स्थानीय ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर देंगे और किसी तरह यह उपनिवेशवाद की तरह है एवं यह सामुदायिक भागीदारी को प्रभावित करेगा। इसलिये दाता अभिकरणों और समुदायों के बीच किसी भी विकास प्रक्रिया में एक संतुलित दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है।

प्रश्न: 18. स्कूली शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किये बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्द्धन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE अधिनियम 2009) 4 अगस्त, 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत उन 135 देशों में से एक है जिसने हर बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है।

RTE अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएँ

- कक्षा 8 तक सभी के लिये अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा।
- निम्नलिखित से संबंधित उचित मानदंड और मानक बनाए रखना-
  - छात्र-शिक्षक-अनुपात
  - कक्षाओं
  - छात्र और छात्राओं के लिये अलग शौचालयय
  - पेयजल सुविधा
- स्कूल से बाहर के बच्चों के प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान। उन्हें आयु-उपयुक्त वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा।
- भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस।
- कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल में आने से रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है।
- सभी निजी स्कूल सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिये अपनी 25% सीटें आरक्षित करेंगे।

माता-पिता और बच्चों को शिक्षा पूरी करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया प्रोत्साहन

- नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आइटम।
- **मध्याह्न भोजन योजना (PM पोषण):** इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के 11.80 करोड़ बच्चे शामिल हैं।
- **सर्व शिक्षा अभियान**
  - अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने की सुविधाओं को जोड़ने के लिये।
  - दिव्यांगों/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
  - बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करके डिजिटल अंतराल को समाप्त करना।
- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये सुदृढ़ीकरण (SPQEM)
  - गुणात्मक शिक्षा लाना और विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मानकों का पालन करना।
  - माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रदान करना।

RTE के समक्ष प्रमुख मुद्दें

- बाल मज़दूरों, प्रवासी बच्चों, दिव्यांग बच्चों में मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता का अभाव।
- समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण के बारे में जागरूकता की कमी।
- मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के बारे में जागरूकता की कमी।
- अल्पसंख्यक बच्चे विशेष रूप से गरीब वर्ग SPQEM योजना के विशेष प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं।

जागरूकता पैदा करने के लिये आवश्यक कदम

- **अभियान:** स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और पंचायतों के सरपंच अपने स्थानीय क्षेत्रों में अभियान का आयोजन करें।
- फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- मध्याह्न भोजन जैसे सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु सरकारी शिक्षकों को पिछड़े क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये।

RTE अधिनियम को लागू हुए बारह वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी भी अपने उद्देश्य में सफल कहे जाने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भोजन मिले, लेकिन सीमित जागरूकता के कारण योग्य बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसलिये, डिजिटल मीडिया अभियान परिदृश्य को बदल सकता है तथा भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश राष्ट्र के लिये संपत्ति में बदल जाएगा।

प्रश्न: 19. I2U2 (भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका) समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: I2U2 भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की संयुक्त पहल है। इसे 'वेस्ट

एशियन क्वाड' भी कहा जाता है। I2U2 को वर्ष 2021 में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु गठित किया गया था।

वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को बदलने में I2U2 की भूमिका

पश्चिम एशिया के साथ संबंध

- I2U2 समूहन के कारण भारत को इज़राइल और उसके खाड़ी भागीदारों के साथ बातचीत करने की अधिक स्वतंत्रता होगी।
- 'अब्राहम एकॉर्ड' भारत को इज़राइल और खाड़ी देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा।

कच्चा तेल और रक्षा

यूएई और सऊदी अरब भारत के शीर्ष तेल निर्यातकों में से एक हैं। और इजराइल भारत का महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार है।

पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति की सफलता

- गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इज़राइल के मिसाइल हमले के बावजूद भारत ने इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सफलतापूर्वक संतुलित किया है।
- I2U2 समूह संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल दोनों के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करेगा।
- साथ ही, यह भारत को खुद को इज़राइल और अरब के बीच एक मज़बूत सेतु के रूप में पेश करने में भी मदद करेगा।

भारत और अमेरिका

- अब, भारत और अमेरिका के पास हिंद महासागर क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिये दो प्लेटफॉर्म यानी QUAD और I2U2 समूह हैं।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को और मज़बूत करता है।

खाद्य सुरक्षा

- आधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भारत में कई एकीकृत खाद्य पार्क बनाने के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा।
- यह दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा में सहायता करेगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को बढ़ावा देता है, जो खाड़ी से भारत में FDI का सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।

स्वच्छ ऊर्जा

- गुजरात में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के साथ पवन और सौर ऊर्जा की एक हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी।
- यह ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण एशिया में ऊर्जा की कमी को कम करेगा।

I2U2 समूह पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में अत्यधिक मायने रखता है। भारत के लिये, यह आर्थिक और राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिये इज़राइल, खाड़ी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने अच्छे संबंधों का लाभ उठाता है। लेकिन इज़राइल और अरब विश्व के बीच विश्वास बहाली के उपायों की ज़रूरत है क्योंकि दोनों एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ, भारत इज़राइल और अरब विश्व के बीच विश्वास कायम करने हेतु एक संचार चैनल के रूप में कार्य कर सकता है।

प्रश्न: 20. 'स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है।' भू-राजनीति के संदर्भ में, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: भारत की जलवायु परिवर्तन नीति में पिछले कुछ वर्षों में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (Conference of Parties) में ऊर्जा सुरक्षा की मांग से लेकर वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पहल करने तक भारत का राजनयिक रुख इसके पर्यावरण-समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए, भारत ने अपने रुख को दोहराया है कि जलवायु परिवर्तन पर उसकी नीति सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है।

भारत ने प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा दिया है। यह पेरिस समझौते के प्रति देश की प्रतिबद्धता और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की स्वीकृति से और अधिक प्रमाणित हो सकता है, यह साबित करता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के महत्त्व से अवगत है।

इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पंचामृत का पाँच सूत्री एजेंडा, जिसमें देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अक्षय ऊर्जा के उपयोग से संबंधित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन में कमी, अर्थव्यवस्था में तीव्रता, नेट-ज़ीरो को प्राप्त करने का लक्ष्य, भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के अपने इरादे का एक स्पष्ट बयान है।

- लगातार विकसित हो रही वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के आधार पर भारत का भू-राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण, 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (UNFCCC) में देश की कूटनीति द्वारा देखा जा सकता है।
- भारत कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों को लागू करने के लिये सहमत नहीं है, क्योंकि इससे अपने घरेलू विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक विधि की पहचान करने हेतु रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता है।
- भारत, अपनी वैश्विक प्रोफाइल और शक्ति संवृद्धि बढ़ाने की महत्त्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिक्रियावादी से सहभागी दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया है। इसे पेरिस समझौते की तुलना में क्योटो प्रोटोकॉल प्रतिबद्धताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से भारत की स्थिति में बदलाव के साथ देखा जा सकता है।
- इसके अलावा, विश्व स्तर पर अपने राजनयिक प्रयासों और स्वच्छ ऊर्जा के महत्त्व की मान्यता के अनुरूप, भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड कार्यक्रम और पर्यावरण के लिये जीवन शैली (LiFE) आंदोलन में अन्य प्रमुख वैश्विक अभिकर्त्ताओं के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है।
- इसके अलावा, भारत ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिये विकासशील देशों के साथ आवश्यक प्रौद्योगिकियों को साझा करने में विकसित देशों की अनिच्छा के बारे में भी अपनी चिंताओं को उठाया है।

इस प्रकार, भारत ने वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों के अनुसार अपनी जलवायु परिवर्तन नीति को संशोधित किया है और अपने भू-राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को कम करने की पहल की है। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III

प्रश्न: 1. बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सार्वजनिक-निजी भागीदारी पी.पी.पी निजी क्षेत्र के संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करके सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की खरीद तथा कार्यान्वयन के लिये सरकार हेतु एक तंत्र है।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

- विकासशील देशों की सरकारों को बेहतर अवसंरचना सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पी.पी.पी की शुरुआत से अच्छी परिचालन दक्षता के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढाँचा सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के पास प्राय: समय पर परियोजना को लागू करने हेतु उपलब्ध धन का अभाव होता है और उनकी क्षमता भी अपेक्षाकृत सीमित रहती है, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति को बढ़ाने और इस क्षेत्र में सुधार करने का एक आकर्षक विकल्प है।
- पी.पी.पी बुनियादी ढाँचे के विकास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये सीमित सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमताओं के पूरक के रूप में काम कर सकता है।
- यह नागरिक संबंधी कार्य, विद्युत संबंधी कार्य, सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा सेवाओं, सफाई सेवाओं, रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ी फर्मों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से स्थानीय निजी क्षेत्र का विकास करेगा।
- किसी परियोजना के कुल जीवनकाल के दौरान निर्माण से लेकर संचालन तक निजी क्षेत्र को उचित जोखिम हस्तांतरण के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी. मॉडल की भूमिका

- स्टेशन पुनर्विकास में दो घटक शामिल हैं:
  - **अनिवार्य स्टेशन पुनर्विकास:** यह सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेगा।
  - **स्टेशन एस्टेट (वाणिज्यिक) विकास:** यह पूरी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये राजस्व प्रवाह को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- भारत सरकार पी.पी.पी की मदद से रेलवे के बुनियादी ढाँचे में सुधार पर ज़ोर दे रही है। पी.पी.पी प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्विकसित पहला स्टेशन गुजरात का गांधीनगर है।
- नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे स्टेशनों के अलावा कई अन्य टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में भी पुनर्विकास किया जाएगा।
- ट्रेन संचालन और सुरक्षा प्रमाणन की ज़िम्मेदारी भारतीय रेलवे के पास है।
- पी.पी.पी बुनियादी ढाँचा सेवा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र की संभावित लागत, गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर लाभ प्रदान करते हैं। नए भारत/75 के लिये नीति आयोग की रणनीति में रेलवे के बुनियादी ढाँचे में कई लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है जिनमें बुनियादी ढाँचे की गति को वर्तमान 7 किमी/दिन से बढ़ाकर 19 किमी/दिन करना, वर्ष 2022-23 तक ब्रॉड-गेज ट्रैक का 100% विद्युतीकरण करना आदि शामिल हैं।

प्रश्न: 2. क्या बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिये वित्तीय समावेश के महत्त्व का उल्लेख कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: एक बाज़ार अर्थव्यवस्था में, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपूर्ति और मांग के नियमों के माध्यम से तथा बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के लाभ प्राप्ति के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) समावेशी विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करता है जो पूरे समाज में उचित रूप से संसाधनों को वितरित करता है और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है।

एक बाज़ार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास हासिल करना एक कठिन संभावना है।

- सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति सामाजिक कल्याण संबंधी योजनाओं के लिये कोई पर्याप्त गुंजाइश नहीं छोड़ती है।
- लाभ-संचालित यह व्यवस्था आबादी के हाशिये के वर्गों द्वारा सामना किये जाने वाले अभावों को ध्यान में नहीं रखती है।
- इसका परिणाम यह होता है कि ये वर्ग सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और इन्हें नौकरी न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- बाज़ार अर्थव्यवस्था अनियंत्रित तरीके से निजीकरण को प्रोत्साहित करती है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये हानिकारक साबित हो सकता है (उच्च शिक्षा शुल्क और टीकों की अत्यधिक कीमतें, आवश्यक दवाएँ आदि इसके परिणाम हो सकते हैं)।

वित्तीय समावेशन वहनीय लागत पर कमज़ोर समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

- सरकार ने देश में वित्तीय समावेशन को प्रभावित करने के उद्देश्य से पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं।
- ये योजनाएँ मुख्य रूप से देश में औपचारिक वित्तीय सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने और बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सक्षम बनाने के लिये हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश की औपचारिक आर्थिक प्रणाली में अधिक संख्या में लोगों का एकीकरण करना और बचत की आदत का विकास करना है जो आगे आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है।
- ऋण का विस्तार (पीएम मुद्रा योजना) भी वित्तीय समावेशन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। पूंजी की उपलब्धता से अधिक एमएसएमई, स्टार्ट-अप आदि स्थापित किये जा सकते हैं जो आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- पेंशन संबंधी योजनाएँ (अटल पेंशन योजना आदि) भी वित्तीय समावेशन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह देश की बुजुर्ग आबादी को आर्थिक रूप से उत्पादक बने रहने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देती हैं।

- प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय समावेशन (यूपीआई) से भी आर्थिक विकास हो सकता है क्योंकि यह लीकेज को रोकने में मदद करता है और वृद्ध लोगों को देश में औपचारिक वित्तीय सेवाओं के साथ खुद को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।

बाज़ार अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से कुशल होने के बावजूद समावेशी विकास के कार्यान्वयन के लिये आदर्श प्रणाली नहीं है जो समता और सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर आधारित होती है।

प्रश्न: 3. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

भारत में पी.डी.एस. प्रणाली से जुड़े कई मुद्दे हैं

- विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जबकि जो अपात्र हैं वे इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं।
- टी.पी.डी.एस. (लक्षित पी.डी.एस.) में परिवहन के दौरान खाद्यान्न का बड़ी मात्रा में रिसाव देखा गया है।
- ओपन-एंडेड प्रोक्योरमेंट यानी, किसानों द्वारा लाए जाने वाले सभी अनाज को स्वीकार किया जाता है, भले ही बफर स्टॉक भरा हो, इससे खुले बाज़ार में अनाज की कमी उत्पन्न होती है।
- कैग द्वारा दिये गए एक निष्पादन ऑडिट में सरकार की भंडारण क्षमता में गंभीर कमी की जानकारी मिली है।

हालाँकि, इसे प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा सकते हैं:

- प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के साथ इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। डी.बी.टी. की ओर बढ़ना एक अच्छा विचार है, लेकिन इसमें भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी।
- सामाजिक अंकेक्षण और एसएचजी, सहकारिता और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि करके ज़मीनी स्तर पर पी.डी.एस. प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।
- आधार को टी.पी.डी.एस. के साथ जोड़ने से लाभार्थियों की बेहतर पहचान में मदद मिलेगी और कौन व्यक्ति पात्र है तथा कौन अपात्र है जैसी त्रुटियों की समस्या का समाधान होगा। इससे पी.डी.एस. और अधिक प्रभावी होगी।

पी.डी.एस. सरकार के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है। मौजूदा टी.पी.डी.एस. प्रणाली को क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ लीकेज को बंद करने जैसे प्रयासों के साथ और मज़बूत किया जा सकता है।

प्रश्न: 4. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्त्व का सविस्तार वर्णन कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है।

संभावनाएँ

- भारत में कृषि भूमि के रूप में लगभग 60.4 प्रतिशत भूमि है।
- भारत फलों, सब्ज़ियों, दूध, मांस और अनाज का अग्रणी उत्पादक है।
- भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाज़ारों में से एक है।

महत्त्व

- यह किसानों को एक लाभदायक बाज़ार प्रदान कर सकता है। लाभदायक बाज़ार किसानों की आय को दोगुना करने में योगदान दे सकता है।
- यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बीच एक कड़ी है। यह रोज़गार सृजन में योगदान दे सकता है।
- आसानी से उपलब्ध प्रसंस्कृत भोजन की संगठित आपूर्ति भारत में पोषण संबंधी अभाव को कम करने में मदद कर सकती है।
- फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के सुचारू कामकाज से खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जा सकता है और बाज़ार के लिये तैयार उत्पादों में देरी को कम किया जा सकता है।
- उद्योग स्तर पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय व्यापार की निर्यात क्षमता को बढ़ा सकता है।

सीमाएँ

- इस उद्योग की असंगठित प्रकृति एक व्यापक और केंद्रित नीति बनाने के लिये अव्यवस्था उत्पन्न करती है।
- मज़बूत लॉजिस्टिक अवसंरचना की कमी से खाद्य संसाधनों की बर्बादी होती है।
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के उचित कामकाज की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग पक्ष संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- निवेश की कमी और तकनीकी उन्नयन इस उद्योग की वास्तविक क्षमता के दोहन के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है।

आगे की राह

- इस उद्योग की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिये, इस क्षेत्र का औपचारिकीकरण महत्त्वपूर्ण है।
- अधिक निवेश और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इस उद्योग में नए प्रयास और नौकरी के अवसर पैदा कर सकता है।
- ग्रीनफील्ड्स परियोजनाओं और पहले से चल रही परियोजनाओं के लिये विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के समन्वय की आवश्यकता है।
- फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिये एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता है। इससे कृषि उत्पादों की आपूर्ति में और वृद्धि होगी।

प्रश्न: 5. देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: जीवन प्रत्याशा एक दी गई आयु के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवनकाल का अनुमान है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि, आरोग्य और स्वच्छता में सुधार आदि जैसे कारकों के कारण जीवन प्रत्याशा में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में यह भारत में लगभग 70 वर्ष है।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ने समाज में कई नई चुनौतियों को जन्म दिया है

- पहले से ही तनावग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है।

- वायु प्रदूषण के संपर्क में आने, बार-बार आने वाले वायरस और महामारी आदि जैसे कई कारकों के कारण बीमारियों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
- भारत में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के कारण अब बीमारी और विकलांगता के साथ लंबे समय तक जीने वाले लोगों के चलते "स्वस्थ जीवन प्रत्याशा" में वृद्धि नहीं देखी गई है।
- बढ़ती उम्र की आबादी (स्वास्थ्य बीमा कवरेज, चिकित्सा उपचार, आदि) की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण परिवारों और राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा है।
- संसाधनों के त्वरित उपयोग से उनके वितरण और प्रबंधन में समस्याएँ पैदा होती हैं।

फिर भी, इन चुनौतियों से निपटने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं

- विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने से जनसंख्या के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- यह लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिये प्रेरित कर सकता है जिससे बाद में उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिये कम संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- इससे परिवारों और राज्य दोनों पर उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल के लिये कम आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में इसकी गुणवत्ता और पहुँच के संबंध में सुधार की भी आवश्यकता है।

इस प्रकार, बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। उचित प्रबंधन के साथ, इसका उपयोग बड़े समुदाय और देश में सकारात्मक परिणाम लाने के लिये किया जा सकता है।

प्रश्न: 6. पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ, सेलुलोस, जमा हो जाता है। यह सेलुलोस किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुज़रता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सेलुलोस को पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक माना जा रहा है। एक शृंखला के रूप में सेलुलोस का रासायनिक सूत्र $(C_6H_{10}O_5)n$ है। सेलुलोस हरे पौधों की प्राथमिक कोशिका भित्ति का एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है, शैवाल और ओमीसीट्स भी इसके कई अन्य रूप हैं। बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियाँ इसे बायोफिल्म बनाने के लिये स्रावित करती हैं।

सेलुलोस के गुण

- जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं।
- बिना किसी गंध के एक काइरल, स्वादहीन यौगिक।
- जैव अपघटनीय और पानी में अघुलनशील है।

सेलुलोस से संबंधित प्राकृतिक प्रक्रियाएँ

जैवसंश्लेषण

- पौधों में, रोसेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्स (RTCs) द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में सेलुलोस को संश्लेषित किया जाता है।
- आरटीसी में सेलुलोस सिंथेज एंजाइम होते हैं जो व्यक्तिगत सेलुलोस शृंखलाओं को संश्लेषित करते हैं।

ब्रेकडाउन (सेल्युलोलिसिस)

- सेल्युलोलिसिस, सेलुलोस को छोटे पॉलीसेकेराइड या पूरी तरह से ग्लूकोज इकाइयों में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसे सेलोडेक्सट्रिन कहा जाता है।
- ब्रेकडाउन उत्पादों का उपयोग बैक्टीरिया द्वारा अपने प्रजनन तथा प्रसार के लिये किया जाता है।
- जीवाणु संबंधी द्रव्यमान बाद में जुगाली करने वाले जीवों द्वारा अपने पाचन तंत्र (अमाशय और छोटी आँत) में पचाया जाता है।

ब्रेकडाउन (थर्मोलिसिस)

- 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर, सेलुलोस ताप अपघटन (पायरोलिसिस) की प्रक्रिया से गुज़रता है।
- यह ठोस चर (बींत), वाष्प, एरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में विघटित हो जाता है।
- अर्द्ध-क्रिस्टलीय सेलुलोस पॉलिमर कुछ सेकंड में पायरोलिसिस तापमान (350-600 डिग्री सेल्सियस) पर प्रतिक्रिया करते हैं।
- यह परिवर्तन ठोस से तरल और फिर तरल से वाष्प में होता है।
- वाष्प की अधिकतम मात्रा जो कि जैव ईंधन नामक तरल में संघनित होती है, 500 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त की जाती है।

आमतौर पर सेलुलोस का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेपरबोर्ड और पेपर बनाने के लिये किया जाता है। लेकिन, जैव ईंधन जैसे सेलुलोसिक इथेनॉल में इसका रूपांतरण नवीकरणीय ईंधन स्रोत के रूप में विकास के अधीन है। सेलुलोस से जैव ईंधन का उत्पादन एक क्रांतिकारी तकनीक होगी क्योंकि यह पेरिस जलवायु समझौते में भारत के लक्ष्य को पूरा कर सकती है।

प्रश्न: 7. इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्त्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिये। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे लॉस एंजिल्स स्मॉग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOs) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (हाइड्रोकार्बन) के वायुजनित प्रदूषक मिश्रणों के साथ सौर विकिरण की प्रतिक्रिया के कारण होता है।

फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण

- फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण वातावरण में प्राथमिक प्रदूषकों (नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तथा अधिकांश VOCs) की सांद्रता से निकटता से संबंधित है। कुछ मामलों में, यह द्वितीयक प्रदूषकों (एल्डिहाइड, ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन और PAN) की सांद्रता से भी उत्पन्न होता है।
- फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण की प्रक्रिया नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा शुरू होती है।
- सूर्य के प्रकाश की दृश्य या पराबैंगनी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद, यह ऑक्सीजन (O) के परमाणुओं को मुक्त करने के लिये नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) बनाता है, जो आणविक ऑक्सीजन (O_2) के साथ मिलकर ओज़ोन (O_3) का निर्माण करते हैं।
- फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के लिये हाइड्रोकार्बन तथा कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं।

प्रभाव

- इसमें मौजूद रसायन, हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर अणु बनाते हैं जो आँखों में जलन पैदा करते हैं।
- ज़मीनी स्तर की ओज़ोन मानव के लिये बेहद विषाक्त साबित हो सकती है।
- अन्य नकारात्मक लक्षणों में दृष्टि में कमी और साँस की तकलीफ शामिल हैं।
- अम्लीय वर्षा और सुपोषण।

शमन

- उत्प्रेरक परिवर्तक (Catalytic converter) नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के वाहन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- जैव ईंधन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस और हानिकारक शहरी उत्सर्जन को कम करना।
- हाइड्रोजन संचालित और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों को अपनाना।

गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल:

- यह 30 नवंबर, 1999 को गोथेनबर्ग (स्वीडन) में UNECE के देशों द्वारा अम्लीकरण (Acidification), सुपोषण (Eutrophication) और भू-स्तरीय ओज़ोन (Ground Level Ozone) को कम करने के लिये अपनाया गया था तथा यह कन्वेंशन ऑन लॉन्ग-रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक हिस्सा है।
- इसे म्यूटी-इफेक्ट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है।
- **इसने चार प्रदूषकों:** सल्फर, NOs, VOCs और अमोनिया के लिये वर्ष 2010 तक की उत्सर्जन सीमा निर्धारित की थी।
- प्रदूषण के प्रभावों और उपशमन विकल्पों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर इन सीमाओं पर बातचीत की गई।

वर्तमान में इस प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिये बातचीत चल रही है। इसे वर्ष 2012 में पार्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन को शामिल करने के लिये अपडेट किया गया था।

प्रश्न: 8. भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइये। हाल के दो उदाहरणों की चर्चा कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना है। यह लगभग 20-30 वर्ग किमी. के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी./घंटा से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है।

- भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर यह घटना तब घटित होती है जब मानसून उत्तर की ओर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मैदानी इलाकों में और फिर हिमालय की ओर बढ़ता है जो कभी-कभी प्रति घंटे 75 मिलीमीटर वर्षा करता है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में, आमतौर पर यह घटना हिमालयी क्षेत्र में देखी जाती है।

बादल फटने का तंत्र

जब आर्द्र वायु पहाड़ी इलाकों में प्रवाहित होती है, तो यह बादल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ का निर्माण करती है, जिसे क्यूम्यलोनिंबस क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है। ये बादल आमतौर पर वर्षा, गरज और बिजली चमकने से जुड़े होते हैं। ये अस्थिर बादल एक छोटे से क्षेत्र में तीव्र वर्षा का कारण बनते हैं और पहाड़ियों के बीच की चोटियों तथा घाटियों में सीमित हो जाते हैं।

बादल फटने की घटना

- सापेक्षिक आर्द्रता और मेघ आवरण, निम्न तापमान एवं धीमी हवाओं के साथ अधिकतम स्तर पर होता है, जिसके कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप बादल फट सकते हैं।
- जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वातावरण अधिक-से-अधिक नमी धारण कर सकता है और यह नमी कम अवधि में बहुत तीव्र वर्षा (शायद आधे घंटे या एक घंटे लिये) का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आती है और शहर भी जलमग्न हो जाते हैं।

हाल की घटनाएँ

- जुलाई 2022 में अमरनाथ में बादल फटने की घटना घटी जिससे यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों को भारी नुकसान हुआ।
- अगस्त 2022 में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने तथा अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही में कई लोग मारे गए हैं।

हर साल बादल फटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिये मौसम उपकरणों तथा कंप्यूटिंग क्षमताओं के घने नेटवर्क को स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

प्रश्न: 9. संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिये। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: शक्तिशाली आपराधिक समूहों द्वारा संगठन और योजना के माध्यम से लाभ के लिये बड़े पैमाने पर की गई अवैध गतिविधियों को संगठित अपराध के रूप में जाना जाता है।

- संगठित अपराध की श्रेणी में नशीली दवाओं और मानव तस्करी, ठग व्यापार आदि आते हैं।
- संगठित अपराधों को मोटे तौर पर 'पारंपरिक' और 'गैर-पारंपरिक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक अपराधों में जबरन वसूली, अनुबंध हत्या, तस्करी आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जबकि गैर-पारंपरिक अपराधों में साइबर अपराध, उद्यम और राजनीतिक भ्रष्टाचार, सफेदपोश अपराध आदि शामिल हैं।
- आतंकवाद को एक संगठित अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे से प्रेरित होता है न कि लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से। फिर भी, संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं।
- आतंकवादियों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है- वित्तपोषण और रसद सहायता, जो अक्सर संगठित अपराध में लिप्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। कभी-कभी आतंकवादी भी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं जो संगठित अपराध के दायरे में आती हैं। उदाहरण के लिये, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा राज्य के खिलाफ अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये जबरन वसूली।
- इसके अलावा, जैसा कि मुंबई में वर्ष 1993 के बम विस्फोटों द्वारा दिखाया गया है, संगठित अपराध में शामिल संस्थाएँ और व्यक्ति भी आतंकवादियों को खतरनाक सामग्री की तस्करी, मानव संसाधन, संचार नेटवर्क और सूचना प्रदान करना, वित्तीय सहायता की व्यवस्था आदि सहायता प्रदान करते हैं।
- इस प्रकार, संगठित अपराध और आतंकवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा देश की सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न: 10. भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिये की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भारत 7000 किमी से अधिक लंबी समुद्री सीमा को विश्व के सात देशों के साथ साझा करता है। समुद्री सुरक्षा के उपकरण संभावित समुद्री खतरों से राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हैं।

चुनौतियाँ

- समुद्री सीमा के पार तस्करी और मानव तस्करी के मुद्दे।
- सीमापार आतंकवाद के मुद्दे।
- अवैध प्रवास की घुसपैठ।
- समुद्री व्यापार में समुद्री डकैती संबंधित मुद्दे।
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित खतरे।

भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम

संगठनात्मक

- भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ एकीकृत सहयोग के लिये 'सागर' (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) पहल की शुरुआत की।
- भारत ने एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना की है।
- भारत ने गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संलयन केंद्र (IFC) की स्थापना की।
- हाल ही में, क्वाड ने बेहतर समन्वय और जागरूकता के लिये समुद्री डोमेन जागरूकता (आईपीएमडीए) हेतु इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप शुरू की है।
- भारत आईओएनएस, आईओआरए और भारत-यूरोपीय संघ समुद्री संवाद जैसे विभिन्न संगठनों और संवाद का हिस्सा है।

तकनीकी

- नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की मिशन आधारित तैनाती। जैसे, INS विक्रांत, न्यूक्लियर सबमरीन और प्रोजेक्ट 75 आदि।
- भारत समुद्री सुरक्षा की दक्षता बढ़ाने के लिये डिजिटल कार्गो और बे अरेंजमेंट ऑप्टिमाइज़ेशन पर काम कर रहा है।
- भारत ने भारतीय नौसेना में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'शक्ति' की शुरुआत की।
- भारत ने समुद्री सीमा पर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल निगरानी का इस्तेमाल किया।

प्रक्रियात्मक

- सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के नाते, भारत अपने सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है।
- भारत संयुक्त अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) निगरानी के माध्यम से मित्र राष्ट्रों के साथ परिचालन बातचीत की प्रक्रिया का पालन करता है।

आगे की राह

- समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न सुरक्षा संस्थानों के त्वरित समन्वय और सहयोग की बहुत आवश्यकता है। यह समुद्री सुरक्षा सेवाओं में दक्षता बढ़ा सकता है।
- समुद्री खतरों को रोकने के लिये बहुपक्षीय सूचना साझा करना महत्त्वपूर्ण है। इसलिये, एक एकीकृत बहुपक्षीय डेटा साझाकरण मंच होना चाहिये।
- अन्य समुद्री राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सभी मित्र राष्ट्रों के बीच समग्र रूप से साझा किया जाना चाहिये।

प्रश्न: 11. "हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।" इस कथन को समझाइये। ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिये जो श्रम उत्पादकता से समझौता किये बिना अधिक रोज़गार उत्पत्ति में सहायक हो।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, श्रम उत्पादकता- एक निश्चित समय संदर्भ अवधि के दौरान श्रम की प्रति इकाई (नियोजित व्यक्तियों की संख्या या काम किये गए घंटों के संदर्भ में मापा जाता है) उत्पादित उत्पादन की कुल मात्रा (सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापा जाता है) का प्रतिनिधित्व करता है।

- हालिया समय में, भारत ने श्रम गतिविधि में वृद्धि से प्रेरित आर्थिक विकास देखा है। कई प्रमुख कारकों ने इस विकास में योगदान दिया।
- कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। वर्क फ्रॉम होम के कारण लोगों को अपने संबंधित आर्थिक कार्यों और व्यवसायों के लिये अधिक समय देने का मौका मिला, जिसके तहत श्रम गतिविधि बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान शैक्षिक तकनीक (एड-टेक) और अन्य डिजिटल रूप से संचालित क्षेत्रों जैसे कार्यक्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसने उच्च श्रम गतिविधि तथा बाद में उत्पादकता और अंतत: उच्च आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं (जैसे- कौशल भारत) को लॉन्च किया गया जिनका उद्देश्य कार्यबल के उत्थान और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप एक कुशल और बेहतर सुसज्जित कार्यबल का निर्माण हुआ है।
- इसके अलावा, लगभग दो वर्षों के कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों की बहाली से श्रम गतिविधि और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- एक विकास प्रतिरूप बनाने के लिये कई कदम उठाए जा सकते हैं, जो श्रम उत्पादकता से समझौता किये बिना रोज़गार सृजन सुनिश्चित करता है।
- श्रम उत्पादकता से समझौता न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त संख्या में रोज़गार का सृजन आश्वस्त करने हेतु विनिर्माण-गहन उद्योगों, MSME क्षेत्र और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- पूंजीगत व्यय के माध्यम से सरकार रोज़गार सृजित कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम उत्पादकता से समझौता न किया जाए।
- इसके अलावा, यह कार्यबल को बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण तरीकों को अपनाकर सरकारी नियुक्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से कार्यक्रम भी शुरू कर सकता है।
- ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई तथा कुशल प्रौद्योगिकियों की शुरुआत श्रम उत्पादकता को बनाए रखने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का एक और तरीका है।
- आबादी के उन वर्गों को कार्यबल की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिये, जो अब तक श्रम गतिविधि में सक्रिय योगदान देने में सक्षम नहीं हैं।

इस प्रकार, श्रम गतिविधि में वृद्धि और उत्पादकता तथा आर्थिक विकास में नतीजन बढ़ोतरी महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ रही हैं। इस प्रकार निरंतरता सुनिश्चित करने वाला एक आर्थिक विकास प्रतिरूप बहुत महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: 12. क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिये। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइये।

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की COP-26 बैठक में भारत 5-सूत्रीय एजेंडा कार्यक्रम के लिये प्रतिबद्ध है। उनमें से एक, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है उपरोक्त प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिये भारत ने पहले ही अपने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिये हैं:

- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी विद्युत क्षमता का 40% पहले ही पूरा करके COP-21 पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को प्राप्त कर लिया है।
- आधुनिक जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
- आज, भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसकी स्थापित विद्युत क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है।
- भारत के उजाला LED बल्ब अभियान के माध्यम से सालाना 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

हालाँकि, इस लक्ष्य को हासिल करने में कई चुनौतियाँ भी हैं

- उपरोक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिये भारत को बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी। BNEF रिपोर्ट दर्शाती है कि केवल सौर एवं पवन ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत को 223 खरब डॉलर की ज़रूरत होगी।
- अल्पावधि में बढ़ती ब्याज दरों के तहत, रुपए में गिरावट और उच्च मुद्रास्फीति नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- यहाँ तक कि, लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत सरकार को वर्ष 2030 तक अपने करों में लगभग 2 लाख करोड़ की कटौती करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढाँचे जैसे अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे।

वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन अनुदान में 742% की गिरावट आई है, लेकिन 2021-22 में कोयला, तेल और गैस पर अनुदान नौ गुना बढ़ा है। फिर भी भारत में जीवाश्म ईंधन अनुदान, नवीकरणीय ऊर्जा से नौ गुना अधिक है। इसलिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अनुदान में कोई पूर्ण बदलाव नहीं है।

हालाँकि, अनुदान को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करने से ई-वाहनों के लिये अनुदान में मदद मिलेगी और जीवाश्म ईंधन पर कर बढ़ाने से उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि नवीकरणीय स्रोतों को अनुदान देने से यह सस्ता होगा तथा यह जीवाश्म-ईंधन के प्रतिस्थापन का भी काम करेगा, जो बाज़ार में नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेशकों की पहुँच को रोक रहे हैं। उदाहरण के लिये, ई-वाहनों के लिये अनुदान से और जीवाश्म ईंधन पर कर बढ़ाने से वर्ष 2030 तक आवश्यक स्तरों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें 1.5-2°C के पेरिस लक्ष्य के लिये भूमंडलीय ऊष्मीकरण शामिल होगी।

प्रश्न: 13. भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ तक कि, अन्य क्षेत्रों के विकास के साथ, कृषि अभी भी भारत के समग्र आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। कृषि विपणन मुख्यत: राज्यों का विषय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है। कृषि विपणन की ऊर्ध्वप्रवाह प्रक्रिया में कृषि के लिये बीज, उपकरण और प्रौद्योगिकी जैसे निवेश शामिल हैं और अनुप्रवाह प्रक्रिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। हालाँकि, कृषि विपणन की ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह प्रक्रिया में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं:

- ऊर्ध्वप्रवाह प्रक्रिया में, सुधार नीतियों की कमी कृषि विपणन के मुद्दों को संबोधित करने में मुख्य बाधाओं में से एक है। उदाहरण के लिये केवल कुछ राज्यों ने कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (सवर्द्धन और सरलीकरण) (APLMA) अधिनियम, 2017 को पूरी तरह से अपनाया है।
- अनुबंध खेती को हितों के टकराव का हवाला देते हुए कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है और इससे ऊर्ध्वप्रवाह के साथ-साथ अनुप्रवाह प्रक्रिया में भी कमी आती है।
- एक अन्य अनुप्रवाह बाधा दोषपूर्ण MSP प्रावधान है, जो निजी व्यापारियों को MSP पर या उससे अधिक मूल्य पर उत्पाद खरीदने के लिये मजबूर करता है या ऐसा नहीं करने के लिये दंडित करता है, जो कृषि उत्पादों के लिये निजी बाज़ारों को समाप्त कर सकता है।
- राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और उत्पादक कंपनियों जैसे स्थानीय संस्थानों की भागीदारी के साथ खरीद का प्रभावी प्रावधान होना चाहिये, क्योंकि यह ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह प्रक्रिया में मूल गतिविधियों और खरीद गतिविधियों को प्रभावित करता है।
- सबसे निराशाजनक बात यह है कि कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 (APLMA, 2017) APMCs में आढ़तियों (कमीशन अभिकर्त्ता या CAs) की भूमिका के जटिल मुद्दे की अनदेखी करता है और उन्हें प्रणाली में केंद्रीय अभिकर्त्ता के रूप में बरकरार रखता है। यह पूरी कृषि विपणन प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

हालाँकि, कुछ सुधारों जैसे प्रवेश बाधाओं को हटाने, अन्य हितधारकों की भागीदारी तथा बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक निपटान के साथ, कृषि उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। कृषि बाज़ार की चुनौतियों से निपटना मुश्किल है, फिर भी संभव है, क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करना कृषि के संपन्न बाज़ार को विकसित किये बिना नहीं हो सकता है। इसलिये, यह उचित समय है कि कृषि उत्पादन से कृषि विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

प्रश्न: 14. समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिये यह कैसे लाभदायक हो सकती है?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: समेकित कृषि प्रणाली (IFS) एक अन्योन्याश्रित और अंतर्ग्रथित उत्पादन प्रणाली है। IFS प्रतिमान विभिन्न सुसंगत उद्यमों जैसे फसलों (खेत की फसलों, बागवानी फसलों), कृषि वानिकी (कृषि-वन संस्कृति, कृषि-बागवानी), पशुधन (दुग्धशाला, मुर्गी पालन), मत्स्य पालन, मशरूम

और मधुमक्खी पालन को एक सहक्रियात्मक तरीके से जोड़ता है। ताकि एक प्रक्रिया का अपव्यय इष्टतम कृषि उत्पादकता हेतु अन्य प्रक्रियाओं के लिये निवेश बन जाए।

यह किस प्रकार से छोटे और सीमांत किसानों के लिये सहायक है

- अनुपूरक और संपूरक उद्यम संबंध सुनिश्चित करने के लिये कृषि प्रणाली के एक घटक के उप-उत्पादों का दूसरे में निवेश के रूप में उपयोग करना। इस प्रकार, प्रभावी निवेश लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिये, मवेशियों के गोबर को फसल अवशेषों और खेत के कचरे के साथ मिलाकर पोषक तत्त्वों से भरपूर केंचुआ खाद (वर्मीकंपोस्ट) में बदला जा सकता है।
- उच्च स्तर पर संतुलित और स्थिर आय प्रदान करने के लिये सभी घटक उद्यमों की उपज को अधिकतम करना।
- व्यवस्था उत्पादकता का कायाकल्प/सुधार और कृषि-पारिस्थितिकी संतुलन हासिल करना।
- प्राकृतिक फसल प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से कीटों, रोगों और खरपतवारों को नियंत्रित करना और उनकी तीव्रता को कम करना।
- बड़े पैमाने पर समाज को प्रदूषण मुक्त, स्वस्थ उत्पाद और पर्यावरण प्रदान करने हेतु रासायनिक उर्वरक और अन्य हानिकारक कृषि रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना।
- यह पर्यावरण पर कृषि या पशुधन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।
- अंडा, दूध, मशरूम, सब्ज़ियों और रेशमकीट कोकून आदि उत्पादों के माध्यम से नियमित स्थिर आय।

कृषि जनगणना 2015 के अनुसार, भारत में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं, इसलिये समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिये उनकी आजीविका सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। IFS को लागू करने के लिये छोटे और सीमांत किसानों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यह सरकार को किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि के कुल GVA को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। हालाँकि, IFS के समक्ष कुछ समस्याएँ भी हैं:

- वित्तीयन, छोटे और सीमांत किसानों को बड़े मवेशियों को पालने या मत्स्य पालन के लिये तालाब के निर्माण में बाधा डालते हैं।
- किसानों में जागरूकता की कमी और नई कृषि प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने में झिझक।
- MSP केवल 23 फसलों के लिये प्रदान किया जाता है। यह अन्य फसलों जैसे मशरूम और मधुमक्खी पालन उद्योगों पर लागू नहीं होता है।

IFS कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिये संतुलित आहार सुनिश्चित करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, कुल निवल प्रतिफल को अधिकतम करके जीवन स्तर को बढ़ाना तथा अधिक रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण समुदाय का समग्र उत्थान और प्राकृतिक संसाधनों एवं फसल विविधता का संरक्षण शामिल है।

प्रश्न: 15. 25 दिसंबर, 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन-कौन सी अनन्य विशेषताएँ हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिये इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं?
(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी (जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप), (जिसे कभी-कभी JWST या वेब भी कहा जाता है) 6.5-मीटर प्राथमिक दर्पण के साथ एक बड़ी अवरक्त दूरबीन है। इसे 25 दिसंबर, 2021 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यह दूरदर्शी नासा (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए एक सहयोग का परिणाम है।

अन्य दूरदर्शियों की तुलना में जेम्स वेब दूरदर्शी की विशेषताएँ

विशेषताएँ	जेम्स वेब दूरदर्शी	हबल दूरदर्शी	हर्शल अंतरिक्ष वेधशाला दूरदर्शी
तरंगदैर्ध्य	अवरक्त क्षेत्र में पर्यवेक्षण	पराबैंगनी और वर्ण-पट (स्पैक्ट्रम) के दृश्य भाग में पर्यवेक्षण	अवरक्त क्षेत्र में पर्यवेक्षण
प्रसारण	0.6 से 28	0.8 से 2.5	60 से 500
क्षेत्र	माइक्रोन	माइक्रोन	माइक्रोन
दर्पण का आकार	व्यास: 6.5 मीटर	व्यास: 2.4 मीटर	व्यास: 3.5 मीटर

- जेम्स वेब दूरदर्शी और हर्शल दूरदर्शी L2 क्षेत्र की परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि अन्य पिछली दूरबीनों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण बेहतर छवि हासिल करने में मदद करेगा।
- जेम्स वेब दूरदर्शी के दर्पण का आकार अन्य दूरबीनों की तुलना में काफी बड़ा है, जो अन्य की तुलना में बड़े क्षेत्र को संग्राही करने में मदद करेगा।
- जेम्स वेब दूरदर्शी के हबल दूरदर्शी की सीमा से आगे जाने की उम्मीद है, जो 13.7 अरब साल पहले सितारों और आकाशगंगाओं को सारगर्भित करने में मदद करेगी।

मुख्य लक्ष्य

- महाविस्फोटक (बिग बैंग) के बाद बनने वाली पहली आकाशगंगा की खोज।
- आकाशगंगा के उसके पूर्व निर्माण से अब तक के विकास का निर्धारण।
- पहले चरण से लेकर ग्रह तंत्रों के निर्माण तक सितारों के निर्माण का निरीक्षण।
- मानव जाति के लिये जेम्स वेब के संभावित लाभ
- वेब टेलीस्कोप पूर्व आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास को समझने का अवसर प्रदान करता है।
- यह अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगा। बहिर्ग्रहों के वातावरण में उपस्थित जल और मीथेन का पता अवरक्त तरंगदैर्ध्यों से लगाया जा सकता है।
- यह सितारों के उद्गम को देखने में मददगार होगा, क्योंकि तारों से निकलने वाली अवरक्त रोशनी धूल के माध्यम से प्रवेश कर सकती है।
- यह कृष्ण विवर (ब्लैक होल) के विभिन्न कोणों के अध्ययन में मदद करेगा। यह कृष्ण विवर (ब्लैक होल) के तापमान, गति, रासायनिक संरचना से संबंधित मूल्यवान आँकड़े प्रदान करेगा।
- यह हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद गैर-सौरीय ग्रहों के वातावरण का निरीक्षण करने में भी मदद करेगा।

जेम्स वेब दूरदर्शी, हबल दूरदर्शी का परवर्ती है। दूरदर्शी की विशेषताएँ प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना के बारे में जानने में सहायक होंगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अन्वीक्षण प्रदान करेगा।

प्रश्न: 16. वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या-क्या पद्धतियाँ अपनाई हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 15

उत्तर: टीका एक जैविक उत्पाद है, जिसका उपयोग एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सुरक्षित रूप से प्रवृत करने के लिये किया जा सकता है, जो एक रोगजनक के बाद के संपर्क में संक्रमण तथा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकांश टीकों का आवश्यक घटक एक या उससे अधिक प्रोटीन प्रतिजन होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रवृत करके सुरक्षा प्रदान करते हैं।

टीके के विकास के पीछे के मूल सिद्धांत

- मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ इसकी प्राकृतिक अंत:क्रिया का अनुकरण करके रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा को प्रवृत करना।
- टीके, टी और बी लसीकाणुओं के आधार पर प्रतिरक्षा प्रणाली को एक प्रतिरक्षात्मकता उत्पन्न करने के लिये प्रेरित करते हैं।
- यह प्रतिरक्षात्मकता लक्षित रोगजनकों के संपर्क में आने के लिये तीव्र और प्रभावी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में मदद करती है।

प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य

- जब कोई रोगजनक शरीर को संक्रमित करता है, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और रोगजनक पर हमला किया जाता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है।
- रोगजनक का वह उप-भाग जो प्रतिरक्षी के निर्माण का कारण बनता है, प्रतिजन कहलाता है।

टीकों का कार्य

- टीकों में एक प्रतिजन के कमज़ोर या निष्क्रिय भाग होते हैं, जो शरीर के भीतर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को लक्षित करते हैं।
- प्रतिजन का यह कमज़ोर प्रारूप प्रतिरक्षा प्रणाली को उतनी ही प्रतिक्रिया के लिये प्रेरित करेगा, जितना कि वास्तविक रोगजनक के प्रति इसकी पहली प्रतिक्रिया पर होता है।

भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिये अपनाया गया दृष्टिकोण

कोवैक्सिन

- भारत-बायोटेक द्वारा विकसित की गई।
- यह एक निष्क्रिय टीका (Inactivated Vaccine) है, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है।
- इसे पूर्ण-विरियन निष्क्रिय वेरो कोशिका (Whole-Virion Inactivated Vero Cell) व्युत्पन्न तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है।

कोविशील्ड

- इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्वीडिश -ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के सहयोग के साथ विकसित किया गया है।
- भारतीय सीरम संस्थान (SII), भारत में इस टीके का विनिर्माण साझेदार है।
- यह एक सामान्य कोल्ड वायरस या एडेनोवायरस के कमज़ोर संस्करण पर आधारित है जो चिम्पैंजी में पाया जाता है।
- इस वायरल वेक्टर में वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन (प्रोट्रूशियंस) का आनुवंशिक पदार्थ शामिल होता है, जो इसे मानव कोशिका के साथ आबद्ध करने में सहायता करता है।

एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत, भारत का टीकाकरण अभियान जुलाई 2022 में 200 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया है। भारत ने हमेशा "मेक-इन-इंडिया" और "मेक-फॉर-वर्ल्ड" रणनीति के तहत कोविड-19 टीकों के अनुसंधान, विकास और निर्माण का समर्थन किया है, जो CoWIN जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर आधारित है।

प्रश्न: 17. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नियंत्रण उपायों को समझाइये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 15

उत्तर: भूमंडलीय तापन मानव गतिविधियों के कारण पूर्व-औद्योगिक काल (वर्ष 1850 और 1900 के मध्य) के बाद से पृथ्वी की सतह का दीर्घावधि ताप है, मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा के प्रग्रहण (Capture) वाली ग्रीनहाउस गैस के स्तर को बढ़ाने जीवाश्म ईंधन के जलने से हुआ है।

वैश्विक जलवायु पर प्रभाव

- पूर्वकालीन हिमपात, लुप्त होते हिमनद और भयंकर सूखे के कारण पानी की अधिक कमी हो रही है।
- समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ रही है।
- ग्रीष्म लहर, भारी वर्षा और बाढ़ का बढ़ता स्तर खेतों, जंगलों और शहरों के लिये परेशानी उत्पन्न करता है।
- प्रवाल भित्तियों और अल्पाइन शाद्वल के मैदानों के विघटन से कई पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं।
- वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण एलर्जी, अस्थमा और संक्रामक रोग अधिक आम हो जाएँगे।

भूंडलीय ऊष्मीकरण हेतु उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों के नियंत्रण हेतु उपाय

- क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये देश की नीतियों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 में प्रभाव में आया।
- क्योटो प्रोटोकॉल छह गैसों के उत्सर्जन को लक्षित करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (NO_2), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6), हाइड्रोकार्बन समूह (HCF) और प्रति फ्लोरोकार्बन (PFC) के समूह शामिल हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये विभिन्न तंत्र हैं:
  - स्वच्छ विकास तंत्र, देश को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धता के साथ विकासशील देशों में परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति देता है।
  - कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाणपत्र है, जो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। यह ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता की वृद्धि को सीमित करने का प्रयास करता है। कार्बन क्रेडिट वनारोपण, कार्बन अधिग्रहण, मीथेन प्रग्रहण आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कमी लाने हेतु अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को निवारक परियोजनाओं को अपनाने पर बल दिया गया है।
- उत्सर्जन व्यापार, देशों को अप्रयुक्त उत्सर्जन इकाइयों को अन्य देशों को बेचने की अनुमति देता है, जो अपने लक्ष्य से अधिक हो गई हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्त्व के सिद्धांत पर आधारित है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमाओं के साथ केवल वैश्विक संधि है।

प्रश्न: 18. भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइये। खतरे का मुकाबला करने के लिये उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 15

उत्तर: तटीय अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मज़बूत लहरों की क्रियाओं द्वारा तटीय क्षेत्र में आई बाढ़ अपने साथ चट्टानों, मिट्टी या रेत को नीचे (समुद्र में) की ओर ले जाती है जिसके कारण स्थानीय समुद्र का जल स्तर बढ़ता है।

तटीय अपरदन के लिये उत्तरदायी कारक

(A) प्राकृतिक कारण

- **भूमंडलीय ऊष्मीकरण:** वायुमंडल में CO_2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्रह का ताप बढ़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप हिमनद पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार तटीय अपरदन का खतरा कई गुना बढ़ गया है।
- **ग्रहों की अवस्थिति:** पृथ्वी और चंद्रमा की अवस्थिति समुद्र में ज्वार का कारण बनती है।
  - इसके कारण पृथ्वी पर चलने वाली तेज हवाएँ भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं; यह उत्पन्न ऊर्जा बहुत तीव्र लहरों को उत्पन्न करती है जो दीर्घ अवधि में चट्टानों के टूटने के लिये उत्तरदायी होती हैं जिससे रेत का निर्माण होता है।
  - पूरे ग्रह पर प्रवाहित होने वाली प्रबल वायु भारी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं; यह उत्पन्न ऊर्जा दीर्घकालिक रूप से चट्टानों को रेत में खंडित करने वाले तटों पर तरंगों के रूप में टकराती हैं।
- **समुद्री जल का ऊष्मीकरण:** इसने भारतीय प्रायद्वीप में चक्रवातों के निर्माण में वृद्धि की है और तटीय क्षेत्रों के विनाश में योगदान दिया है।

(B) मानवीय कारण

- निर्माताओं द्वारा तटीय प्रबंधन क्षेत्र (CMZ) के नियमों का उल्लंघन;
- तटीय क्षेत्रों के पास परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों का निर्माण;
- नदी से समुद्र में रेत का प्रवाह कम होना।

तटीय अपरदन का प्रभाव

- समुद्र के स्तर में वृद्धि से छोटे द्वीपों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है।
- तटीय आवासों के विनाश से तटीय वनस्पतियों और जीवों के विनाश की संभावना बढ़ जाती है।
- तटीय अपरदन से समुद्री संसाधनों में कमी आती है जिससे आय की हानि भी होती है।

अपरदन को रोकने के लिये प्रमुख तटीय प्रबंधन तकनीकें

प्राकृतिक प्रतिक्रिया

मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और लैगून आदि को समुद्री तूफानों तथा अपरदन के नियंत्रण का सबसे अच्छा प्रतिरोध माना जाता है, जो समुद्री तूफानों की ऊर्जा को बहुत अधिक विक्षेपित व अवशोषित करते हैं। इसलिये तटीय सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु इन प्राकृतिक आवासों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

कृत्रिम प्रतिक्रिया

- **जियो-सिंथेटिक ट्यूब/बैग का उपयोग:** जियो-सिंथेटिक ट्यूब एक बड़े आकार का बैग है जो रेत के घोल से भरा होता है और छिद्रयुक्त तथा मौसम प्रतिरोधी जियो टेक्सटाइल के साथ बनाया जाता है। जिसका उपयोग कृत्रिम तटीय संरचनाओं जैसे तरंगरोध, टिब्बा या तटबंध के निर्माण हेतु किया जाता है। यह तरंग ऊर्जा को कमज़ोर करने और तटीय अपरदन से सुरक्षा हेतु तटरेखा के साथ सरेखित होते हैं।
- **कृत्रिम तरीके से समुद्र तट में वृद्धि :** इसे अक्सर "सॉफ्ट आर्मरिंग" तकनीक के रूप में जाना जाता है। इसमें समुद्र तटों में बड़ी मात्रा में रेत या तलछट को भरा जाता है। यह तकनीक कटाव से निपटने और समुद्र तट की चौड़ाई बढ़ाने के लिये अत्यंत उपयोगी है।
- **पुलिन रोध (ग्रोइन):** यह एक सक्रिय संरचना है जो तट से समुद्र तक विस्तारित होती है तथा प्राय: तटरेखा के लंबवत् या थोड़ी तिरछी होती है, पुलिन रोध या ग्रोइन कहलाती है। इसका प्राथमिक कार्य सर्फ जोन के माध्यम से गुज़रने वाले तलछट को अवरुद्ध करना है।

जलवायु परिवर्तन के खतरों में तीव्र वृद्धि के साथ, समुद्र का बढ़ता स्तर इस प्रक्रिया का एक निश्चित परिणाम है। चूँकि, पूरे भारत में तटीय क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, इसलिये यह अपरिहार्य हो गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के विकल्प को ध्यान में रखते हुए तटीय योजना पर ठोस विचार किया जाए।

प्रश्न: 19. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है।
(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 15

उत्तर: साइबर सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के हमलों, क्षति, दुरुपयोग तथा आर्थिक जासूसी से साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने से है। इसमें विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिये तैयार की गई तकनीकों और कार्य प्रणालियों का समुच्चय भी शामिल है। साइबर सुरक्षा के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे-

- **अनुप्रयोग सुरक्षा:** इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं, जिन्हें किसी अनुप्रयोग की विकास प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाना चाहिये, ताकि इसे एप निर्माण, विकास और परिनियोजन आदि में कमियों से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाया जा सके।
- **सूचना सुरक्षा:** यह पहचान की चोरी से बचने और गोपनीयता की सुरक्षा के लिये अनधिकृत पहुँच से जानकारी को बचाने से संबंधित है।
- **नेटवर्क सुरक्षा:** इसमें नेटवर्क की उपयोगिता, विश्वसनीयता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिये गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **डिजास्टर रिकवरी प्लान:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें साइबर हमले के मामले में जोखिम मूल्यांकन, प्राथमिकताएँ स्थापित करना और पुनर्प्राप्ति रणनीति विकसित करना शामिल है।
- **अंतिम-हितधारक को जागरूक करना:** इसमें सूचना का प्रसार और व्यापक स्तर पर जनता के बीच साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ

- हालिया समय में महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई है।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये प्रशिक्षित पर्याप्त आवश्यक अवसंरचनाओं और मानव संसाधनों की कमी।
- साइबर हमलों से निपटने के लिये मुस्तैदी को विकसित करने पर निजी क्षेत्र द्वारा साइबर सुरक्षा पर अपर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करना।
- देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और अपर्याप्त अवसंरचना तथा प्रक्रियाओं ने बड़ी मात्रा में डेटा को साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
- इसके अलावा, भारत बुडापेस्ट, अभिसमय का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, जो जाँच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि कर साइबर अपराधों को संबोधित करने का उद्देश्य रखता है।

भारत ने साइबर अपराध से निपटने के लिये एक बहुआयामी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति अपनाई है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में पारित हुआ और वर्ष 2008 में संशोधित किया गया, जो साइबर अपराध के लघुकरण और संबंधित मुद्दों स निपटने के लिये है।
- साइबर अपराध से निपटने वाली विशेष एजेंसियों जैसे भारतीय कंप्यूटर आपात अनुक्रिया दल (CERT-In), राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का गठन।
- साइबर अपराध से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता के प्रसार और उन्हें कम करने से संबंधित अन्य सरकारी पहलें- साइबर सुरक्षित भारत पहल, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC), साइबर स्वच्छता केंद्र और सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता परियोजना (ISEA) आदि हैं।
- साइबर अपराधों से निपटने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू की गई थी।
- इसके अलावा, वर्ष 2020 में, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद् (DSCI) द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की अवधारणा निर्मित की गई थी। इसे केंद्र द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इस प्रकार, साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति के साथ, भारत ने भी उनसे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये कई प्रयास किये हैं। हालाँकि, साइबर अपराधों से उत्पन्न खतरों के विरुद्ध प्रभावी तौर पर निपटने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 20. नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिये और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिये।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) 15

उत्तर: नक्सलवाद को देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई है। नक्सल आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में एक भूमि विवाद को लेकर स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई थी। यह आंदोलन पूर्वी भारत और कम विकसित राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था।

उभरते मुद्दे

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत आदिवासी वन उत्पादों पर अपनी निर्भरता से वंचित हैं और विकास तथा खनन परियोजनाओं के कारण जनजातीय आबादी का बड़े स्तर पर विस्थापन हो रहा है।
- प्रशासन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और भोजन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहा है। नक्सलवाद से सामाजिक मुद्दे या सुरक्षा के खतरे के तौर पर निपटने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
- कुछ गाँव संचार और संपर्क जैसी संरचनात्मक समस्याओं से प्रभावित हैं। नक्सलियों से लड़ने के लिये तकनीकी खुफिया जानकारी का अभाव है।
- आदिवासी समुदाय द्वारा राजनीतिक रूप से भागीदारी की कमी है और वंचित वर्गों के संरचनात्मक उत्थान के लिये मार्ग प्रदान करने में राजनीतिक प्राधिकारी अक्षम हैं।

नक्सलवाद के खतरे से निपटने हेतु रणनीति

सामाजिक आयाम

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं पात्रताओं को सुनिश्चित करने और शासन तथा प्रबंधन में सुधार हेतु वामपंथी अतिवाद (LWE) से निपटने में सहायक है।
- सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना, केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा बलों की ज़रूरतों की प्रतिपूर्ति के लिये लागू की गई है, जैसे वामपंथी अतिवाद की हिंसा में मारे गए/घायल नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान, समर्पण तथा पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी अतिवाद के कैडरों को मुआवज़ा।
- सरकार को चाहिये कि वह नक्सलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच संपर्क को बढ़ाए। मतदान और चुनाव लड़ने में समान भागीदारी से यह स्थिति बेहतर हो सकती है।
- वन, शिक्षा, स्वच्छता और भोजन जैसे बुनियादी संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना। प्रभावित हुई आबादी के पुनरूद्धार और पुनर्वास पर ज़ोर देने की ज़रूरत है।

आर्थिक आयाम

- आर्थिक अंतर को दूर करके नक्सलवाद से निपटने में मदद मिल सकती है।
- उच्च स्तरीय मज़दूरी के साथ अधिक रोज़गार के सृजन से इस क्षेत्र के लोगों को उनके कौशल को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
- नक्सलवाद को समाप्त करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली अनुकूल राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है।

विकासात्मक आयाम

- LWE प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने के लिये वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE) लागू की गई है।
- LWE मोबाइल टावर परियोजना को LWE क्षेत्रों में मोबाइल की संयोजकता को सुधारने के लिये लागू किया गया है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे संबंधी चिंताओं को दूर करने की ज़रूरत है।

भारत ने नक्सलवाद से निपटने में बहुत कम सफलता हासिल की है, लेकिन मूल कारणों को अभी तक संबोधित नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अपने काम को जारी रखना चाहिये और साझी रणनीति को सामने रखना चाहिये। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-IV

प्रश्न: 1 (a). बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य-प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: ज्ञान और अनुभव के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धिमत्ता कहा जाता है। किसी भी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति का निर्णय उसके अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है कि वह किसका ध्यान रखे या किसे अनदेखा करे।

हालाँकि, परिधि में लीन रहने वाले और मुख्य मुद्दों को अनदेखा करने वाले अधिकारी को पूर्वव्यस्तता नहीं दर्शानी चाहिये। एक नौकरशाह के ऊपर विभिन्न प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ऐसे में इस बात का कोई संदेह नहीं है कि वह किसी बात को याद रख सकता है तो किसी बात को भूल भी सकता है। लेकिन, कानूनी ढाँचे के भीतर इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। नैतिक स्तर पर, इसे कुछ समय के लिये तो स्वीकार किया जा सकता है लेकिन जब कानून की बात आती है तो इन गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ अन्याय और खराब शासन की ओर अग्रसारित करती हैं।

उपरोक्त संदर्भ में कुछ उदाहरण

- निर्माण स्थल से संबंधित अनुबंध को स्वीकृति देते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से भारी जनहानि हो सकती है जो कि एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।
- यदि कोई नौकरशाह केवल यह जानने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल खुल रहा है या नहीं और इस बात की उपेक्षा करता है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं, तो इस तरह के व्यवहार से खराब शासन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्न: 1 (b). बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: एक सिविल सेवक को विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निपटने या महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये विभिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। इसके लिये उसे बौद्धिक योग्यता और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। करुणा और सहानुभूति जैसे गुण समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं

- किसी निर्माण स्थल पर हादसा हो गया और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना गलती से हुई क्योंकि उनमें से एक कर्मचारी कुछ मशीनों को बंद करना भूल गया था। अब वहाँ मौजूद अधिकारी पर अपराधी को सज़ा दिलाने का काफी दबाव है। लेकिन, अधिकारी जानता है कि यह कार्यकर्ता का इरादा नहीं था। इधर अधिकारी को इस स्थिति से निपटने के लिये करुणा और सहानुभूति की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिये कि कार्यकर्ता को कोई कड़ी सज़ा न दी जाए।
- दहेज के झूठे मामलों से निपटने के लिये करुणा और सहानुभूति के गुणों की आवश्यकता होती है, अन्यथा निर्दोष लोगों को कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
- कोविड-19 की स्थिति में कई अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया है, उन्होंने काम किया है और अपनी कार्य समय सीमा से परे मदद की है। ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये सिविल सेवकों में सहानुभूति और करुणा जैसे लक्षणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

अत: बौद्धिक क्षमता और नैतिक गुणों के साथ व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय ले सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस निर्णय में सहानुभूति और करुणा शामिल हो।

प्रश्न: 2 (a). सभी सिविल सेवकों को प्रदान किये गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सोदाहरण विवेचन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: नियम और विनियम नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जो जीवन के लिये आवश्यक मूल्यों और पालन की जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ये नियम और विनियम सभी के लिये समान तो होते हैं लेकिन इन्हें व्यावहारिक स्थिति तथा उद्देश्य के अनुसार लागू करने की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, नैतिक लोक अधिकारी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं वहीं अनैतिक लोक अधिकारी के व्यवहार से विकास अवरुद्ध होने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आती है।

दृष्टिकोण में अंतर

सकारात्मक सोच वाले अधिकारी

- ये न्याय प्रदान करने के लिये नियमों और विनियमों की कुशल तरीके से व्याख्या करने के साथ लोगों की मदद करने के लिये अपने विवेक का उपयोग करते हैं।
- ये लाभार्थियों की समस्या का बेहतर समाधान करते हैं।
- ये योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं और कानूनी तथा नैतिक नियम सुनिश्चित करने के लिये सफलतापूर्वक कार्य करते हैं।
- ये यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना के कार्यान्वयन के प्रशासनिक पहलू के बारे में चिंता करने के बजाए योजना को उसी उद्देश्य के लिये चलाया जाना चहिये जिसकी प्राप्ति हेतु इसे बनाया गया था।
- **उदाहरण:** जब बैंक का कोई अधिकारी किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को सेवा के लिये मना करने के बजाए किसी अधिकारी को बैंकिंग सेवाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक के घर भेजता है।

नकारात्मक सोच वाले अधिकारी

- वे नियमों में खामियाँ खोजते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिये उनका फायदा उठाते हैं तथा प्रक्रिया में देरी भी करते हैं। वे लोगों को परेशान करने के लिये अपने विवेक का उपयोग करते हैं।

- वे योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के प्रति असंवेदनशील होते हैं।
- **उदाहरण:** किसी व्यक्ति को राशन की दुकान पर खाद्यान्न से वंचित करना क्योंकि कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों के कारण उसके बायोमेट्रिक्स विवरण डेटाबेस में अपडेट नहीं किये गए थे।

प्रश्न: 2 (b). यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन/व्यवस्था के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: नैतिकता को नैतिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है जो समाज के मूल्यों और रीति-रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता है। यह समाज को सही या गलत की पहचान करने हेतु शिक्षित करता है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में है।

नैतिक समाज शांति, प्रेम और करुणा सुनिश्चित करता है क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं।

सरकार में लोगों का विश्वास लोक प्रशासन के माध्यम से बना रहता है। यदि लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव है, तो एक समाज और राष्ट्र विफल हो जाएगा। नैतिक समाज चोरी, बलात्कार, उत्पीड़न आदि जैसे सामाजिक अपराधों से रहित होता है।

मानव जीवन में नैतिकता और मूल्य

- व्यक्ति पारदर्शी तरीके से निर्णय लेता है और लागू करता है। इससे यह उस समूह के लोगों के लिये खुलापन लाता है जो निर्णय से प्रभावित होते हैं।
- नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि दिन-प्रतिदिन के जीवन में भ्रष्टाचार जैसे कदाचार पर अंकुश लगे। इसके अलावा दुराचार, शक्ति के दुरुपयोग और आत्म-उत्पीड़न आदि से भी मानव को दूर रखती है।
- किसी भी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, समय की पाबंदी आदि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक कर्त्तव्य पवित्र है और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।
- ज़िम्मेदारी और जवाबदेही पारदर्शिता के साथ आती है।
- एक व्यक्ति को कानून को तोड़े बिना समाज के गरीब और वंचित वर्ग के प्रति अपने कार्यों में सहानुभूति दिखानी चाहिये।

दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सामने आने वाले संघर्षों में नैतिक मूल्यों की भूमिका:

- एक नैतिक व्यक्ति किसी भी संघर्ष का समाधान कानून, न्याय और करुणा के अनुसार संबंधित समाज के सर्वोत्तम हित में करता है जबकि एक अनैतिक व्यक्ति संघर्ष को समाज के बजाए उसके स्वयं के हित के आधार पर हल करता है।
- सहानुभूति और करुणा यह सुनिश्चित करती है कि संघर्ष का समाधान सभी के लिये लाभ की स्थिति पैदा करे।
- नैतिकता गुस्से के प्रबंधन में भी मदद करती है।
- नैतिकता हमें एक-दूसरे के प्रति द्वेष रखने के बजाए क्षमा करना सिखाती है। अत: निष्पक्षता एवं विश्वास के कारण नैतिक व्यक्ति का निर्णय स्वीकार्य होता है।

प्रश्न: 3. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

3. (a) "आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है।" - पॉटर स्टीवर्ट

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: नैतिकता मानव आचरण में सही या गलत का अध्ययन है। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही और गलत अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, उनका बचाव करना तथा अनुशंसा करना शामिल है। नैतिकता अच्छे-बुरे, सही-गलत, गुण-दोष एवं अन्याय की चिंताओं से संबंधित है। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को जनसभाएँ, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिक सड़क, रेलवे और अन्य परिवहन सेवाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसलिये हड़ताल करना और दूसरों के लिये बाधा उत्पन्न करना नैतिक नहीं है।
- इसी तरह, अनुच्छेद 25 के तहत, प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन, रिश्वत, ज़बरदस्ती, हिंसा के ज़रिये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना गलत और अवैध कार्य है।
- पीएम आरोग्य योजना के तहत, सरकार माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। लेकिन छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड के अस्पतालों में धोखाधड़ी से किये गए लेन-देन के लगभग 23,000 मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ, लाभार्थियों को सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन इसका इस प्रकार का दुरुपयोग इसके उद्देश्य के विरुद्ध है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि नैतिकता ही है जो हमें यह अंतर करने में मदद करती है कि हमें क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है। व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने के अधिकार प्रदान किये जाते हैं, जो किसी व्यक्ति की क्षमता निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग इस उद्देश्य को विफल कर देता है।

3. (b) "अगर किसी देश को भ्रष्टाचारमुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं- पिता, माता और शिक्षक।" - ए.पी. जे. अब्दुल कलाम

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिये शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सत्तासीन लोगों द्वारा किया गया असन्निष्ठ व्यवहार भ्रष्टाचार है। यह देश के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

नवजात शिशु एक कोरे पन्ने की तरह होता है। माता-पिता और शिक्षक ही एक बच्चे को आकार देते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन को उसके निर्माता द्वारा आकार दिया जाता है। जिस प्रकार बचपन में हमारे माता-पिता और शिक्षक हमें नैतिक कहानियाँ सुनाते थे। इसके माध्यम से वे हमारे राष्ट्र के लिये एक मानव पूंजी का निर्माण करते हैं और मूल्यवान नागरिक बनाने के लिये बच्चे में विभिन्न मूल्यों को विकसित करते हैं।

नगालैंड की जेम जनजाति से संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम, जनको "मिरेकल मैन" के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के मणिपुर को नगालैंड और असम से जोड़ने वाली 100 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया।

लेकिन, अगस्त 2022 में, आईएएस अधिकारी के. राजेश को हथियार लाइसेंस जारी करने के लिये रिश्वत लेने, अपात्र लाभार्थियों को सरकारी भूमि आवंटित करने और अन्य अवैध लाभ प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ये दो उदाहरण किसी व्यक्ति के मूल्यों में बड़ा अंतर दिखाते हैं। यह माता-पिता की विफलता है क्योंकि वे अपने बच्चे में नैतिक मूल्यों को विकसित करने में विफल रहे।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2021 में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। इसलिये, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है कि भारत के भविष्य को आकार देने में माता-पिता और शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

3. (c) "आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिये आपको क्या छोड़ना पड़ा।"- दलाई लामा

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आपके लिये केवल आप ही परिभाषित कर सकते हैं, आपके लिये इसका निर्धारण कोई और नहीं कर सकता। सफलता का अर्थ दुनिया को कुछ वापस देने और कुछ अलग करने की भावना हो सकती है। इसका मतलब उपलब्धि और करियर की प्रगति की भावना भी हो सकती है।

सफलता सही प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और अपने जीवन में कम महत्त्वपूर्ण चीजों को छोड़ने का परिणाम है। फोगाट बहनों (गीता और बबीता) ने कुश्ती में अपने पिता के स्वर्ण पदक के सपने को साकार करने के लिये अपने बचपन का बलिदान दिया। भारत का गौरव बनने के लिये उन्हें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी थीं।

IIT और NEET की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने और बेहतर जीवन जीने के लिये अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। परिवार के प्रति यह उनका उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें गरीबी से उबारें और बेहतर जीवन शैली प्रदान करें।

कुछ बड़ा हासिल करने के लिये, हमें अपने कुछ अल्पकालिक सुखों का त्याग करना होगा। महात्मा गांधी ने भी अपने पश्चिमी वस्त्र त्याग दिये थे और खादी धोती को अपनाया। भारत को आज़ाद कराने के लिये वे जेल भी गए। वह जानते थे कि पश्चिमी जीवन शैली और आधिपत्य को त्यागकर ही भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी।

इसलिये, दलाई लामा ने ठीक ही कहा है कि आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिये आपको क्या छोड़ना पड़ा। प्राथमिकताओं को निर्धारित करके हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि असफल व्यक्तियों द्वारा अल्पकालिक सुखों को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न: 4. (a) 'सुशासन' से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: जब किसी देश की सरकार अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और नागरिकों की भलाई के लिये करती है तो इस प्रकार किये गए शासन को सुशासन के रूप में जाना जाता है।

इसकी 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं

ई-गवर्नेंस (Electronic-Governance) में शासन को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) का उपयोग किया जाता है।

ई-गवर्नेंस के चार स्तंभ हैं:

- जनसमुदाय
- प्रक्रिया
- प्रौद्योगिकी
- संसाधन

ई-गवर्नेंस से संबंधित हालिया पहलें

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के तहत प्रदान किये जाने वाले DBT ने लगभग 4 करोड़ नकली और गैर-मौजूदा राशन कार्डों हटाने में मदद की है, जिससे योजना का उचित लक्ष्यीकरण हो पाना सुनिश्चित हुआ है।
- **आरोग्य सेतु:** इस एप्लिकेशन को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं इस संक्रमण से जुड़े उपायों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये लॉन्च किया गया था। इसने संभावित हॉटस्पॉट की पहचान करने में सफलतापूर्वक मदद की थी।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP):** यह पोर्टल छात्रों को किसी भी छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।
- **भूमि परियोजना:** यह कर्नाटक के किसानों को ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकृत वितरण हेतु शुरू की गई एक आत्मनिर्भर ई-गवर्नेंस पहल है।
- **ई-कोर्ट:** इस एकीकृत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत प्रौद्योगिकी की सहायता से न्याय तक पहुँच की प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **डिजी लॉकर:** इसका उद्देश्य प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान कर नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण करना है।
- **PayGov इंडिया:** यह एक नागरिक के लिये शुरू से अंत तक लेन-देन का अनुभव प्रदान करेगा जिसमें ऑनलाइन भुगतान हेतु भुगतान गेटवे इंटरफेस के साथ इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
- **प्रगति:** यह एक बहु उद्देश्यीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। यह मंच तीन प्रौद्योगिकियों (डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंरेसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी) को एक साथ लाता है। इस मंच के तीन उद्देश्य- शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं परियोजना की निगरानी हैं।

4. (b) ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिये बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषत: समाज के कमज़ोर समुदाय के लिये ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: महामारी के आगमन ने सभी गतिविधियों, व्यवसायों, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक अंत:क्रियाओं को ऑनलाइन मोड में ला दिया है। पारंपरिक शिक्षा एवं चिकित्सा जाँच पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास में स्थानांतरित हो गई हैं जैसे- शिक्षक प्रशिक्षण के लिये NISTHA एप और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिये मिशन कर्मयोगी।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के लाभ

- बुनियादी ढाँचे पर कम निवेश।
- कुशल, किफायती और लागत प्रभावी।
- लचीलापन प्रदान करता है।
- सार्वभौमिक पहुँच।
- ऑनलाइन कार्यप्रणाली ने 'वर्क फ्रॉम होम' को व्यापक स्वीकृति दी है, जिसने करियर को प्रोत्साहित करने और कार्यशील-जीवन संतुलन के प्रबंधन को बढ़ावा दिया है।
- टेली-परामर्श ने मरीज़ों और डॉक्टरों 'विशेष रूप से महामारी के समय में' के बीच संपर्क स्थापित करने की क्रिया को आसान बना दिया है।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के नुकसान

- विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में लगातार बने रहने वाले नेटवर्क संबंधी मुद्दे और तकनीकी समस्याएँ।
- शिक्षा एवं अन्य सेवाओं के ऑनलाइन होने के कारण बेरोज़गारी में वृद्धि।
- जवाबदेही, सहानुभूति और टीम वर्क की भावना का अभाव।
- डिजिटल डिवाइड ऑनलाइन माध्यमों के सार्वभौमिक उपयोग के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दे

- अंग्रेज़ी बोलने वाले, शहरी, अमीर लोगों को अधिक लाभ मिलता है, जिनके पास कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजली तक पहुँच है।
- अधिकांश गाँव अभी भी फाइबर-नेट से नहीं जुड़े हैं और कंप्यूटर और स्मार्टफोन का खर्च भी सभी नहीं उठा सकते हैं।
- जो बच्चे इंटरनेट का अधिक उपयोग करते हैं, वे सुरक्षा और साइबरबुलिंग जैसे मामलों से भी जुड़ सकते हैं, यह उनके नैतिक विकास को बाधित कर सकता है।
- बच्चों की सीखने की क्षमता तब बहुत अधिक प्रभावित होती है जब वे इंटरनेट पर पहले से तैयार सामग्री का उपयोग करते हैं, इससे उनके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न: 5 (a). पिछले सात महीनों से रूस और युक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन-से नैतिक मुद्दे हैं, जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: मानव जाति के इतिहास में, युद्ध मानव जाति द्वारा बनाए गए विनाशकारी उपकरणों में से ही एक है। युद्ध के नकारात्मक प्रभाव केवल इस पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके खतरनाक प्रभाव अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं।

हम देख रहे हैं कि किस प्रकार रूस -यूक्रेन युद्ध ने सकल मानवाधिकारों के उल्लंघन, वैश्विक मांग आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, कीमती संसाधनों की बर्बादी, दर्दनाक प्रवास के माध्यम से समाज के सभी संभावित हिस्सों को गंभीरता से प्रभावित किया।

इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिये, राष्ट्रों को अपने स्वतंत्र रुख और व्यक्तिगत राष्ट्रीय हित की बजाए अपने सामूहिक वैश्विक हित को ध्यान में रखते हुए सामूहिक निर्णय लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिये।

युद्ध शुरू करते समय संभावित नैतिक मुद्दे और इसकी निरंतरता

- **मानवाधिकारों के नैतिक मुद्दे:** युद्ध के समय मानव अधिकार का घोर उल्लंघन होता है। महिलाओं, बच्चों और अन्य कमज़ोर वर्गों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये - मानव नरसंहार, जघन्य नरसंहार, महिलाओं तथा बच्चों के प्रति क्रूरता मानव अधिकारों के उल्लंघन के बदतर स्वरूपों में शामिल हैं।
- **भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के अधिकारों के नैतिक आयाम:** वर्तमान पीढ़ी के युद्ध की कीमत अगली पीढ़ी चुकाती है। उदहारण के लिये- दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा-नागासाकी बमबारी। यहाँ नैतिक चिंता यह है कि आने वाली पीढ़ी को वर्तमान पीढ़ी की कीमत क्यों चुकानी चाहिये?
- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व के मुद्दे:** युद्ध के समय में कौन उत्तरदायी है और किसके प्रति जवाबदेह है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है।
- **राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित:** गंभीर नैतिक चिंता यह है कि राष्ट्र सामूहिक वैश्विक हितों से ऊपर अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों को रखते हैं।
- **व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बनाम सामूहिक महत्त्वाकांक्षा:** राजनीतिक समकक्षों की व्यक्तिगत आकांक्षाएँ लाखों लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं पर हावी हो जाती हैं।
- **साधन बनाम साध्य:** प्रादेशिक और विस्तार प्राप्त करने हेतु साध्य राष्ट्र युद्ध, सीमा संघर्ष आदि के गलत साधनों का उपयोग करते हैं। इसके खतरनाक परिणाम देखने को मिले है जो संपूर्ण समाज और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं।
- **युद्ध संबंधी आनुपातिक बनाम अनुपातहीन आयाम के मुद्दे:** युद्ध की नैतिकता उसकी आनुपातिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये लेकिन परमाणु हमले, सामूहिक नरसंहार और युद्ध नैतिकता के घोर उल्लंघन की गतिविधियाँ युद्ध के विषम आयामों को उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिये- रूस द्वारा यूक्रेन के परमाणु रिएक्टर पर हमला दुनिया के लिये गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है।

युद्ध के बारे में, नोबल पुरस्कार विजेता जॉन स्टीनबेक ने प्रसिद्ध रूप से उद्धृत किया कि सभी युद्ध एक विचारशील जानवर के रूप में मनुष्य की विफलता का परिणाम है। मानव जाति को इस तथ्य को समझना चाहिये कि युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का लक्ष्य संवाद, कूटनीति, शालीनता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

5 (b). निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये:

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

(i) संवैधानिक नैतिकता

(ii) हितों का संघर्ष

(iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा

(iv) डिजिटीकरण की चुनौतियाँ

(v) कर्त्तव्यनिष्ठा

उत्तर:

(i) संवैधानिक नैतिकता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ के महत्त्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा ने लिखा है कि "संवैधानिक नैतिकता अपने सख्त अर्थों में दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में निहित संवैधानिक सिद्धांतों का सख्त और पूर्ण पालन है। यह आवश्यक है कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी 'संवैधानिकता की भावना को निर्मित और विकसित करें'। जहाँ उनके द्वारा की गई हर कार्रवाई संविधान के मूल सिद्धांतों द्वारा शासित होती है और उनके अनुरूप होती है।" उदाहरण के लिये- सबरीमाला और हादिया मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, धारा 377 का उन्मूलन आदि।

(ii) हितों का संघर्ष

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक कर्त्तव्य हितों का व्यक्तिगत हितों के साथ टकराव होता है। यह वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्तिगत और पेशेवर साध्यों के बीच अंतरात्मा को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिये- ICICI की पूर्व अध्यक्ष चंदा कोचर का इस्तीफा, NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण का मामला।

(iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा एक महत्त्वपूर्ण गुण है। उच्च सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति में अकर्मण्यता, ईमानदारी, शालीनता और नैतिकता का स्तर उच्च होता है। निष्पक्षता और गैर-पक्षपात सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की योग्यता के प्रमुख साधन हैं। उदाहरण के लिये- अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन।

(iv) डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण संभावित जानकारी को डिजिटल डेटा प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है।

चुनौतियाँ

- डिजिटल निरक्षरता और लोगों के बीच डिजिटल विभाजन का मुद्दा।
- साइबर फ्रॉड और डिजिटल इकोनॉमिक फ्रॉड।
- साइबर युद्ध।
- बड़े पैमाने पर निगरानी और डिजिटल फिशिंग हमले।
- खराब नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मुद्दे।
- उच्च ऊर्जा खपत उपकरण।

(v) कर्त्तव्यनिष्ठा

यह कर्त्तव्य के प्रति मज़बूत भावना, अखंडता, निष्ठा, दृढ़ संकल्प और प्रशंसा को व्यक्त करता है। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध उद्धरण भी है कि "कर्त्तव्य के प्रति समर्पण भगवान की पूजा का सर्वोच्च रूप है।" उदाहरण के लिये भगवत् गीता की निष्काम कर्म अवधारणा, मदर टेरेसा की जीवन शैली।

प्रश्न: 6 (a). भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल ब्लोअर) की सुरक्षा के लिये मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: ह्विसल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो अवैध गतिविधि में लिप्त किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में सूचित करता है। ऐसे कई आयोग हैं जिन्होंने सिफारिश की थी कि ह्विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिये एक विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि भारतीय विधि आयोग 2001 एवं वर्ष 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। भारत में ह्विसल ब्लोअर्स को ह्विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 द्वारा संरक्षित किया जाता है।।

ह्विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिये सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के लिये नीतिगत उपाय

- ह्विसल ब्लोअर के संरक्षण के संबंध में कई नीतिगत उपाय हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत खराब है। यह महत्त्वपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा के लिये नीतियों को ठीक से लागू किया जाए।
- इस मुद्दे को एक गुमनाम व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करने से ह्विसल ब्लोअर के जीवन की रक्षा होगी।
- श्रमिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में सिखाने के लिये एवं प्रबंधकों को संबंधित कौशल, व्यवहार तथा कार्य करने के दायित्वों के साथ इन्हें सीखने के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण।
- निर्दोष ह्विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने के लिये उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिये और वर्ष 2015 के संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित अधिनियम को कमज़ोर करना छोड़ दिया जाना चाहिये।

इसलिये ह्विसल ब्लोअर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लोकतंत्र की अखंडता संरक्षित, पोषित और निरंतर बनी रहे।

6 (b). समकालीन दुनिया में धन और रोज़गार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन-स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सी.एस.आर.) कॉर्पोरेट जगत् में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिये सी.एस.आर. अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्दों में उत्तर दीजिये) 10

उत्तर: सामान्य तौर पर "कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी" (CSR) शब्द को कंपनी के पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने तथा इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिये एक कॉर्पोरेट पहल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इन गतिविधियों में भूख और गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

CSR की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं

- **स्व-विनियमन मॉडल:** CSR एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को अपने हितधारकों और जनता के लिये सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाने में मदद करता है।
- **बेहतर कार्य संस्कृति:** CSR गतिविधियाँ कर्मचारियों और निगमों के बीच एक मज़बूत बंधन बनाने में मदद कर सकती हैं, मनोबल बढ़ा सकती हैं और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों को अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकती हैं।
- **कॉर्पोरेट नागरिकता:** कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, जिसे कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जाता है, के अनुपालन से कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सहित समाज के सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक हो सकती हैं।

यद्यपि कॉर्पोरेट क्षेत्र पूंजी उत्पादन कर रहा है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन विभाजन में बहुत बड़ा अंतर विद्यमान है जिससे अमीर दिन-प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं एवं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं जो कि सामाजिक कल्याण के विरुद्ध है। भले ही कंपनी अधिनियम कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2% CSR गतिविधियों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह पर्यावरण और जलवायु समस्याओं का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

प्रश्न: 7. प्रभात एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष (विपणन) के रूप में कार्यरत था। लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पिछली दो तिमाहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रुख दिखाई पड़ रहा था। उसका डिवीजन, जो अब तक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, जब उनके लिये कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयास कर रहा था। लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों को कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली।

उसकी कंपनी पेशेवर थी और उसके स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक (भारतीय प्रमुख) द्वारा की गई पिछली कार्य-समीक्षा बैठक में उसे उसके खराब प्रदर्शन के लिये फटकार लगाई गई थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उसका डिवीजन ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थापन के लिये रक्षा मंत्रालय से एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है।

वह अत्यधिक दबाव में था और बहुत परेशान था। जिस बात ने हालात को और बदतर बना दिया, वह थी, ऊपर से एक चेतावनी कि यदि कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ तो उसका डिवीजन बंद करना पड़ सकता है और उसे अपनी लाभप्रद नौकरी छोड़नी पड़ सकती है।

एक और आयाम था, जो उसे गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुँचा रहा था। यह उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित था। वह दो स्कूल-कॉलेज जानेवाले बच्चों और अपनी बीमार बूढ़ी माँ वाले परिवार में अकेला कमाने वाला था। शिक्षा व चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसके मासिक वेतन वाले पैकेट पर भारी दबाव पड़ रहा था। बैंक से लिये गए गृह ऋण के लिये नियमित ई. एम.आई. अपरिहार्य थी और चूक करने पर उसे गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिये उत्तरदायी होना होगा।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में वह किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा था। अचानक घटनाक्रम में बदलाव आ गया। उसके सचिव ने बताया कि एक सज्जन, सुभाष वर्मा उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी में प्रबंधक के पद में दिलचस्पी है, जिसे कंपनी को भरना है। पुन: उसने उनके संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवृत्त रक्षामंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उसने उम्मीदवार, सुभाष वर्मा के साक्षात्कार के दौरान उसे तकनीकी रूप से मज़बूत, साधन-संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह निविदा प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित है और इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई व अंतर्संबंधन में निपुण है। प्रभात को लगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है, जिनका साक्षात्कार हाल में, पिछले कुछ दिनों में उसने लिया था।

सुभाष वर्मा ने यह भी संकेत किया कि उसके पास बोली दस्तावेज़ों की प्रतियाँ हैं, जिन्हें यूनीक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगले दिन रक्षा मंत्रालय को उसकी निविदा के लिये प्रस्तुत करेगा। उसने उन दस्तावेज़ों को सौंपने की पेशकश की बशर्ते उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों और शर्तों पर रोज़गार दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय का भारी-भरकम ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि यह उसकी तथा कंपनी, दोनों के लिये जीत ही जीत होगी।

प्रभात बिल्कुल स्तब्ध था। यह सदमा और रोमांच की मिली-जुली अनुभूति थी। वह असहज होकर पसीना-पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी सभी समस्याएँ तुरंत गायब हो जाएंगी और उसे बहुप्रतीक्षित निविदा हासिल करने और कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये पुरस्कृत किया जा सकता है। वह भविष्य की कार्रवाई को लेकर असमंजस में था। वह अपनी खुद की कंपनी के कागज़ात को चोरी-छिपे हटाने और नौकरी के लिये प्रतिद्वंद्वी कंपनी को पेशकश करने में सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते, वह इस प्रस्ताव/स्थिति के पक्ष-विपक्ष की जाँच कर रहा था और उसने उसे अगले दिन आने के लिये कहा।

(a) इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

(b) उपर्युक्त मामले में प्रभात के लिये उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(c) उपर्युक्त में से कौन-सा विकल्प प्रभात के लिये सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर: ऊपर चर्चा किये गए केस स्टडी में विभिन्न संभावित हितधारक-

- स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष (विपणन) के रूप में प्रभात।
- स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड का हित।
- सुभाष वर्मा बनाम यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- प्रभात और उसकी गंभीर पारिवारिक ज़िम्मेदारी।
- रक्षा मंत्रालय और उसका अनुबंध (राष्ट्रीय सुरक्षा)।

(a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे

- **व्यावसायिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता:** व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिकता के नियमों पर टिके रहने की मांग करती है। सुभाष वर्मा का गुप्त दस्तावेज़ सौंपने का प्रस्ताव पेशेवर नैतिकता के साथ-साथ व्यक्तिगत अखंडता का भी उल्लंघन है। यदि प्रभात प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो इसे पेशेवर नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता का उल्लंघन भी माना जाएगा।
- **सुभाष वर्मा के साथ ईमानदारी और विश्वास का मुद्दा:** यदि सुभाष वर्मा प्रबंधकीय पद के लाभ के लिये अपनी वर्तमान कंपनी के साथ धोखा कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि वह इस कंपनी को और अधिक लाभ के लिये धोखा नहीं देंगे?
- **कॉर्पोरेट नैतिकता उल्लंघन के मुद्दे:** यदि प्रभात सुभाष के गुप्त दस्तावेज़ों को स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रबंधक पद के रूप में पेश करते हैं। तब यह कॉर्पोरेट नैतिकता के गंभीर उल्लंघन का मामला होगा। इन बातों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर यह उल्लंघन कानूनी लड़ाई का हकदार है।
- **प्रभात के साथ अंतरात्मा के टकराव का मुद्दा:** दो स्कूल जाने वाले बच्चों और बूढ़ी बीमार माँ की ज़िम्मेदारी प्रभात की प्रमुख चिंताएँ हैं। नौकरी की असुरक्षा और गंभीर पारिवारिक ज़िम्मेदारी का दबाव उसके विवेक में संघर्ष की स्थिति पैदा करता है।
- **साध्य बनाम साधन:** यदि प्रभात सुभाष वर्मा के गुप्त दस्तावेज़ों को स्वीकार करता है तो यह गलत साधनों का उपयोग करके अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का स्पष्ट मामला होगा।
- **स्वार्थ बनाम नैतिकता:** सुभाष वर्मा का प्रबंधकीय पद प्राप्त करने के लिये प्रभात को गुप्त दस्तावेज़ सौंपने का प्रस्ताव सार्वजनिक नैतिकता की कीमत पर स्वार्थ का कार्य है।

(b) प्रभात के लिये उपलब्ध विकल्प

प्रभात, सुभाष वर्मा को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकता है और सुभाष के गुप्त दस्तावेज़ों की मदद से निविदा बोली जमा कर सकता है।

गुण

- प्रभात की कंपनी को बहुप्रतीक्षित टेंडर दिया जा सकता है।
- प्रभात की कंपनी की बिक्री और वित्तीय सेहत में सुधार हो सकता है।
- प्रभात की आकर्षक नौकरी सुरक्षित होगी। उसे पदोन्नति मिल सकती है।
- प्रभात की बूढ़ी बीमार माँ और उनके दो स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन में कोई कठोरता नहीं आएगी।
- सुभाष वर्मा को प्रबंधकीय नौकरी मिल सकती है।

दोष

- सुभाष वर्मा के साथ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मुद्दे हैं। सुभाष वर्मा पर प्रभात का भरोसा कंपनी के लिये भविष्य में संभावित जोखिम पैदा कर सकता है।
- अगर किसी तरह गुप्त दस्तावेज़ों के लीकेज का खुलासा हुआ तो प्रभात उसकी कंपनी और सुभाष वर्मा पर कानूनी मामला लगाया जा सकता है।
- दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान से सार्वजनिक रूप से खुलासा होने पर प्रभात की कंपनी की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान हो सकता है।
- यह महत्त्वपूर्ण रक्षा परियोजना है, इसलिये निविदा में कोई भी गलत काम और दस्तावेज़ धोखाधड़ी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम का हकदार हो सकता है।

प्रभात सुभाष वर्मा के आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ बोली जमा कर सकते हैं तथा परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें योजना B के रूप में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये नए अवसरों की खोज हेतु एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त करनी चाहिये।

गुण

- प्रभात खुद को और अपनी कंपनी को भविष्य के संभावित जोखिम से बचा सकते हैं।
- प्रभात और उसकी कंपनी संभावित कानूनी मुद्दों से सुरक्षित हो सकती है।
- प्रभात उत्कृष्ट कॉर्पोरेट नैतिकता और सर्वोच्च ईमानदारी का एक उदाहरण स्थापित करेंगे।
- सुभाष वर्मा के प्रस्ताव को ठुकराकर प्रभात राष्ट्र को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम से बचा सकते हैं।

दोष

- प्रभात की कंपनी बहुप्रतीक्षित निविदा प्राप्त करने में विफल हो सकती है।
- प्रभात की आकर्षक नौकरी खो सकती है, इसलिये उसके स्कूल जाने वाले बच्चों और बूढ़ी बीमार माँ को नौकरी छूटने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- उसकी कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

प्रभात छुट्टी के लिये आवेदन कर सकता है।

गुण

अगर छुट्टी दी जाती है, तो

- वह अंतरात्मा के संघर्ष से खुद को बचा सकता है।
- उनकी जवाबदेही और उत्तरदेहिता को स्थानांतरित किया जा सकता है।

दोष

- टेंडर फेल होने पर उसका विभाग बंद किया जा सकता है और उसकी नौकरी जा सकती है।
- उसकी कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य और बिक्री खराब हो सकती है।
- उसके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रभात नौकरी के नए विकल्प खोज सकता है।

गुण

तुरंत नौकरी का ऑफर मिले तो

- वह पूरी ईमानदारी के साथ और बिना किसी नौकरी असुरक्षा के दबाव के काम कर सकता है।
- विश्वास के मुद्दों का हवाला देते हुए, वह सुभाष वर्मा के प्रस्ताव को धीरे से अस्वीकार कर सकता है।
- वह कॉर्पोरेट नैतिकता मानकों और व्यक्तिगत अखंडता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- वह अपने परिवार को भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना करने से बचा सकता है।

दोष

- यह ज़रूरतमंद समय में कंपनी के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल खड़ा करेगा।
- हो सकता है कि उसे उतनी आकर्षक नौकरी न मिले, जितनी अभी है।
- कंपनी अपनी बचत और अन्य परिलब्धियों को रोक सकती है जो कंपनी के पास हैं।

(c) प्रभात के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प

प्रभात सुभाष वर्मा के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और पूरी ईमानदारी से निविदा बोली जमा कर सकता है तथा परिणाम की प्रतीक्षा कर सकता है एवं उन्हें योजना B के रूप में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये नए अवसरों की खोज हेतु एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त करनी चाहिये।

सुभाष वर्मा के साथ कुछ विश्वास और अखंडता के मुद्दे का हवाला देते हुए प्रभात को सुभाष वर्मा के प्रस्ताव और प्रबंधकीय पद के रूप में उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देना चाहिये। उन्हें सुभाष वर्मा को कड़ी चेतावनी देनी चाहिये और बताना चाहिये कि उनके खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रभात को निविदा प्राप्त करने के लिये बहुत मेहनत करनी चाहिये, क्योंकि निविदा बोली बहुत प्रारंभिक चरण में है, इसलिये उसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिये। उसे हर संभव शोध करना चाहिये और व्यावसायिकता के सभी सेटों के साथ अपनी निविदा जमा करने के लिये कड़ी मेहनत करनी चाहिये। फिर परिणाम की प्रतीक्षा करें। योजना B के रूप में वह अपनी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये कुछ नए अवसरों की तेजी से खोज करने के लिये एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त कर सकता है। उसे इस योजना और रणनीति से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराना चाहिये। यदि निविदा परिणाम पक्ष में नहीं आता है, तो वह योजना B पेश कर सकता है।

यह कई तरह से मदद करेगा

- वह अत्यधिक व्यावसायिकता और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- वह संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम से राष्ट्र को बचा सकता है।
- वह सही लक्ष्य के लिये उचित साधनों के ज्ञान पर टिका रह सकता है।
- स्वार्थ पर नैतिकता की जीत होगी।

यद्यपि, प्रभात अपने परिवार में दो स्कूल जाने वाले बच्चों और बूढ़ी बीमार माँ के साथ-साथ जीवन में गंभीर आर्थिक चिंताओं के साथ एकल कमाने वाला है, लेकिन उसे लालच, गलत साधनों और स्वार्थ पर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता और राष्ट्रीय हित को चुनना चाहिये।

प्रश्न: 8. रमेश राज्य सिविल सेवा में अधिकारी हैं, जिन्हें 20 साल की सेवा के बाद सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात होने का अवसर मिला है। रमेश की माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उन्हें शहर के प्रमुख कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके किशोरवय दो बच्चों को भी शहर के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूलों में से एक में प्रवेश मिला है। राज्य के गृह विभाग में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति में व्यवस्थित हो जाने के बाद, रमेश को खुफिया सूत्रों के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट मिली कि अवैध प्रवासी पड़ोसी देश से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने गृह विभाग की टीम के साथ सीमावर्ती चौकियों की आकस्मिक जाँच करेंगे। उनके लिये आश्चर्य था कि उन्होंने सीमा चौकियों पर सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से घुसपैठ करने वाले दो परिवारों के 12 सदस्यों को रँगे हाथों पकड़ा। आगे की पूछताछ और जाँच में यह पाया गया कि पड़ोसी देश के प्रवासियों की घुसपैठ के बाद, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जाली दस्तावेज़ बनाकर उन्हें राज्य के एक विशेष क्षेत्र में बसाया जाता है। रमेश ने विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के अतिरिक्त सचिव को सौंप दी। हालाँकि एक सप्ताह के बाद अतिरिक्त गृह सचिव ने उन्हें तलब किया और रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश दिया। अतिरिक्त गृह सचिव ने रमेश को बताया कि उच्च अधिकारियों ने उनकी सौंपी गई रिपोर्ट की सराहना नहीं की है। उन्होंने पुनः उन्हें सावधान किया कि यदि वह गोपनीय रिपोर्ट वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें न केवल राज्य की राजधानी की प्रतिष्ठित नियुक्ति से बाहर तैनात कर दिया जाएगा बल्कि उनकी निकट भविष्य में होनेवाली अगली पदोन्नति खतरे में पड़ जाएगी।

(a) सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) रमेश को कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिये और क्यों?

(c) प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(d) रमेश के सामने कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं?

(e) पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिये आप किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर: दी गई केस स्टडी एक आवर्ती मुद्दे से संबंधित है जिसका नौकरशाही में अधिकारी सामना करते हैं। यह केस स्टडी अनिवार्य रूप से वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने एवं संगठनात्मक पदानुक्रम का पालन करने बनाम उचित कार्रवाई करने के मुद्दे का प्रतिनिधित्व करती है।

(a) प्रश्न में उल्लिखित स्थिति से निपटने के लिये रमेश के पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं।

- रमेश अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर रिपोर्ट वापस ले सकते हैं।
- वह इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाकर अपने वरिष्ठों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिये राजी कर सकते हैं।
- वह रिपोर्ट को सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज सकते हैं और (a) अवैध अप्रवास के मुद्दे और (b) राज्य स्तर पर अपने वरिष्ठों के असहयोगी रवैये को उजागर कर सकते हैं।
- वह इस मुद्दे को हल करने के लिये उच्च अधिकारियों को मजबूर करने के हेतु मीडिया के साथ रिपोर्ट साझा कर सकते हैं।

(b) ऊपर वर्णित विकल्पों में से रमेश निम्नलिखित विकल्पों को उनकी व्यवहार्यता और व्यावहारिकता के आधार पर चुन सकता हैं।

- रमेश अपने वरिष्ठ के निर्देश के अनुसार, रिपोर्ट वापस ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लंबे समय में उनका करियर खतरे में न पड़े।
- रमेश को अतिरिक्त गृह सचिव को उनकी रिपोर्ट स्वीकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि इससे (a) उनके करियर को खतरा नहीं होगा और (b) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मुद्दे को उचित स्तर पर संबोधित किया जाए।
- वह अनौपचारिक तरीके से इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाकर अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं (a) अपने तत्काल वरिष्ठों के विरोध से बचने और (b) इस मुद्दे को हल करने के लिये।

- इसके अलावा वह अपनी रिपोर्ट सीधे राज्य के मुख्य सचिव या यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं ताकि (a) उच्चतम स्तर पर मुद्दे का समाधान सुनिश्चित किया जा सके और (b) राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के असहयोग के मुद्दे को उजागर किया जा सके।

(c) रमेश के लिये उपलब्ध विकल्पों का एक महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन भी आवश्यक है।

- रिपोर्ट वापस लेना
- सकारात्मक
  - नौकरशाही पदानुक्रम के लिये सम्मान
  - अपने वरिष्ठों की सद्भावना
  - सुचारु करियर विकास और प्रगति
- नकारात्मक
  - नैतिक साहस की कमी
  - अवैध अप्रवास के मामलों में और वृद्धि हो सकती है
- रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों, अर्थात मुख्य सचिव और/या केंद्रीय गृह मंत्रालय को अग्रेषित करना।
- सकारात्मक
  - नैतिक साहस का प्रदर्शन
  - निर्णय लेने की क्षमता
  - समस्या का समाधान सुनिश्चित करना
- नकारात्मक
  - भावनात्मक भागफल की कमी प्रदर्शित करता है
  - आचार संहिता के खिलाफ
- मीडिया को शामिल करना
- सकारात्मक
  - परिणामी दबाव के कारण अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिये मजबूर करना
- नकारात्मक
  - सेवा नियमों और आचार संहिता के खिलाफ
  - सूचना की आलोचनात्मक प्रकृति के कारण दुरुपयोग की संभावना

(d) रमेश निम्नलिखित नैतिक दुविधाओं का सामना करता है:

- **आचार संहिता और सेवा नियम बनाम कर्त्तव्य के प्रति समर्पण:** आचार संहिता और सेवा नियमों का पालन करने के पक्ष में अपना कर्त्तव्य करने या न करने के बीच विकल्प।
- **व्यक्तिगत हित बनाम राष्ट्रीय हित:** व्यक्तिगत हित और कॅरियर की संभावनाएँ अधिक महत्त्वपूर्ण या राष्ट्रीय हित।
- **वरिष्ठों के प्रति जवाबदेही बनाम लोगों के प्रति जवाबदेही:** अपने वरिष्ठों या लोगों के हितों की सेवा करने के बीच विकल्प।
- **नैतिक साहस बनाम पदानुक्रम का पालन:** सही कार्रवाई के लिये एक निर्णय लेने बनाम पदानुक्रम का पालन करने और श्रेष्ठ की सद्भावना अर्जित करने के बीच विकल्प।

(e) अवैध अप्रवास से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते है:

- महत्त्वपूर्ण सीमा अवसंरचना (सड़कों, बाड़, रोशनी आदि) में सुधार।
- सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों के लिये अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती।
- अवैध अप्रवास के मामलों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस।
- कुशल सीमा प्रबंधन और निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी (ड्रोन, उपग्रह इमेजरी, आदि) का उपयोग।
- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) और सीमा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रभुत्व वाली क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक (बोल्ड-क्यूआईटी) परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।

प्रश्न: 9. उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के क्षरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिये अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, कुछ भ्रष्ट वन अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती ज़िले में पत्थर-खनन फिर भी प्रचलित था। हाल ही में प्रभावित ज़िले में तैनात युवा और सक्रिय एस.पी. ने इस खतरे को रोकने के लिये खुद से वादा किया था। अपनी टीम के साथ अचानक जाँच में, उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहा पत्थर से भरा ट्रक पाया। उसने इस ट्रक को रोकने कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह इसके बाद वहाँ से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की, लेकिन करीब तीन महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, जो प्रमुख टी.वी. चैनल के साथ काम कर रहे खोजी पत्रकार थे, ने स्वत: संज्ञान से मामले की जाँच शुरू की। एक महीने में ही अशोक को स्थानीय लोगों, पत्थर-खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट तैयार की और टी.वी. चैनल के सी.एम.डी. के सामने पेश की। उन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों तथा राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाँच रिपोर्ट देखने के बाद सी.एम.डी. ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दें। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टी.वी. चैनल के मालिक के रिश्तेदार थे बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20 प्रतिशत के हिस्सेदार भी हैं। सी.एम.डी. ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जाँच रिपोर्ट उन्हें सौंप दे, तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिये टी.वी. चैनल से उधार लिये गए 10 लाख रुपए के सॉफ्ट लोन के अलावा उनकी आगे की पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी का ध्यान रखा जाएगा।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिये अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) अशोक द्वारा चिह्नित किये गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन/परीक्षण कीजिये।

(c) अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(d) आपको क्या लगता है कि अशोक के लिये किस विकल्प को अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

(e) उपर्युक्त परिदृश्य में, आप ऐसे ज़िलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिये किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे,जहाँ पत्थर-खनन की अवैध गतिविधियाँ प्रचलित हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर: यह केस स्टडी सुरेंद्र सिंह के समान प्रतीत होती है, 59 वर्षीय पुलिस उपाधीक्षक (DSP) को 19 जुलाई, 2022 को हरियाणा के पचगाँव गाँव

के पास खनन गतिविधियों को रोकने की कोशिश के दौरान एक डंपर द्वारा कुचल दिया गया था।

हितधारक:

- भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता
- एस.पी.
- अशोक (पत्रकार)
- पुलिस अधिकारी
- टीवी चैनल के सी.एम.डी.
- खनन माफिया
- न्यायतंत्र
- स्थानीय विधायक
- स्थानीय लोग
- मुख्यमंत्री

गुण और दोष सहित अशोक के पास विकल्प

विकल्प	गुण	दोष
(a) सी.एम.डी. की सलाह का पालन करें	**1.** वेतन वृद्धि और पदोन्नति। **2.** बेटे की पुरानी बीमारी के इलाज के लिये सॉफ्ट लोन दिया जाएगा।	**1.** अंत:करण की हानि। **2.** एस.पी. के साथ अन्याय **3.** मुक्त मीडिया का नुकसान।
(b) रिपोर्ट सार्वजनिक करें	**1.** पत्रकार के रूप में अशोक की लोकप्रियता बढ़ेगी। **2.** एस.पी. और उनके परिवार को न्याय मिलेगा।	**1.** नौकरी का नुकसान हो सकता है। **2.** माफिया से जान से मारने की धमकी मिल सकती है **3.** नौकरी से निकाला जा सकता है।
(c) इस्तीफा दें और अन्य रास्ते खोजें	**1.** अशोक अपने अंत: करण को बचा सकें। **2.** वह यूट्यूब के माध्यम से रिपोर्ट को प्रचारित कर सकते हैं।	**1.** बेटे के इलाज के लिये पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि वह मर भी सकता है। **2.** वह कुछ समय के लिये बेरोज़गार हो सकता है।

अशोक के समक्ष नैतिक दुविधाएँ

- **व्यक्तिगत विकास बनाम सामाजिक न्याय:** उन्हें वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिलेगी, लेकिन यह एस.पी. के परिवार के साथ अन्याय होगा। अपराधियों को कभी सज़ा नहीं मिलेगी।
- **उनके बेटे की भलाई बनाम स्वतंत्र मीडिया:** उन्हें अपने बेटे के इलाज के लिये आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेगा, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मर जाएगा।
- **भ्रष्टाचार बनाम एस.पी. के परिवार को न्याय:** भ्रष्ट राजनेताओं और माफियाओं के बीच साँठगाँठ और बढ़ेगी। भविष्य में पुलिस अधिकारी कठोर कार्रवाई करने में कम आत्मविश्वास महसूस करेंगे।
- **साँठगाँठ बनाम नैतिकता:** अशोक की नैतिकता और सदाचार मर जाएगा। भविष्य में और भी माफिया उभरकर सामने आएँगे।

(d) अशोक के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प

- विकल्प C अशोक के लिये सबसे उपयुक्त है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये और अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिये।
- इसके अलावा उन्हें अन्य मीडिया चैनलों में भी नौकरी के लिये आवेदन करना चाहिये।
- इस तरह मीडिया चैनल, भ्रष्ट राजनेताओं, लोक सेवकों और खनन माफिया के गठजोड़ के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी।

(e) ऐसे ज़िलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण का प्रारूप

- कठिन इलाके में वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- निगरानी के लिये ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण।
- आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- ऐसी साइटों पर छापेमारी के लिये मानक संचालन प्रक्रिया।
- 24×7 केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से पूर्ण समर्थन और संचार चैनल होना चाहिये।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिये मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वह सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करे और भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करे। मीडिया वह है जो सबूत पेश करती है और उसके बाद ही न्यायपालिका निर्णय दे सकती है।

प्रश्न: 10. आपने तीन साल पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान से एम.बी.ए. किया है लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न मंदी के कारण कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका। मगर, बहुत अनुनय तथा लिखित और साक्षात्कार सहित बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की शृंखला के बाद, आप एक अग्रणी जूता कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहे। आपके वृद्ध माता-पिता हैं, जो आश्रित हैं और आपके साथ रह रहे हैं। आपने भी हाल ही में यह शालीन नौकरी पाकर शादी की है। आपको निरीक्षण अनुभाग में नियुक्त किया गया था, जो अंतिम उत्पाद को मंज़ूरी देने के लिये जवाबदेह है। पहले एक वर्ष में आपने अपना काम अच्छी तरह से सीखा और प्रबंधन द्वारा आपके प्रदर्शन की सराहना की गई। कंपनी पिछले पाँच साल से घरेलू बाजार में अच्छा कारोबार कर रही है और इस साल यूरोप और खाड़ी देशों को निर्यात करने का भी फैसला किया गया है। हालाँकि, यूरोप के लिये एक बड़ी खेप को उनके निरीक्षण दल द्वारा कुछ खराब गुणवत्ता के कारण अस्वीकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया था। शीर्ष प्रबंधन ने आदेश दिया कि घरेलू बाज़ार के लिये पूर्वोक्त खेप की मंज़ूरी दी जाए। निरीक्षण दल के एक अंग के रूप मे आपने स्पष्ट खराब गुणवत्ता को देखा और टीम कमांडर के संज्ञान में लाया। हालाँकि, शीर्ष प्रबंधन ने टीम के सभी सदस्यों को इन कमियों को नज़र-अंदाज करने की सलाह दी, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान प्रबंधन नहीं सह सकता। आपके अलावा टीम के बाकी सदस्यों ने स्पष्ट दोषों को नज़र-अंदाज करते हुए तुरंत हस्ताक्षर कर दिये और घरेलू बाज़ार के लिये खेप को मंज़ूरी दे दी। आपने फिर से टीम कमांडर के संज्ञान में लाया कि इस तरह की खेप की अगर घरेलू बाजार के लिये भी मंज़ूरी दे दी जाती है तो कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा तथा लंबे समय में प्रतिकूल असर होगा। हालाँकि, आपके शीर्ष प्रबंधन द्वारा आगे सलाह दी गई थी कि यदि आप खेप को मंज़ूरी नहीं देते हैं तो कंपनी कुछ अहानिकर कारणों का हवाला देते हुए आपकी सेवा को समाप्त करने में संकोच नहीं करेगी।

(a) दी गई शर्तों के तहत, निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में आपके लिये कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(c) आप कौन-सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों?

(d) आप किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं?

(e) निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी के क्या परिणाम हो सकते हैं?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर: दी गई केस स्टडी एक काफी सामान्य समस्या का उल्लेख करती है, जिसका सामना कामकाजी पेशेवर सभी क्षेत्रों और उद्योगों में करते हैं। इसके अलावा इस मामले के अध्ययन में मुद्दे की लगभग सार्वभौमिक प्रासंगिकता और प्रयोज्यता है।

(a) नीचे दी गई शर्तों के अंतर्गत निरीक्षण दल के हिस्से के रूप में मेरे पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं।

- मैं दोषों को नज़र-अंदाज कर सकता हूँ और उत्पाद को मंजूर कर सकता हूँ।
- मैं कंपनी के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर सकता हूँ और उत्पाद संबंधी मुद्दों को अनदेखा करने तथा इसे पारित करने से मना कर सकता हूँ।
- मैं प्रबंधन को उत्पाद पारित न करने के लिये मनाने की कोशिश कर सकता हूँ।
- इसके अलावा मैं कुछ उपायों का सुझाव दे सकता हूँ, जैसे उत्पाद को रीब्रांड करना, उत्पाद को संशोधित करना और उसके अनुसार विपणन करना आदि जो (a) मुझे अपनी सत्यनिष्ठा को अक्षुण्ण रखने की अनुमति देता है और (b) कंपनी को अपनी बाज़ार स्थिति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

(b) उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है।

- उत्पाद को अनदेखा और मंजूर करना
  - सकारात्मक
    - नौकरी की सुरक्षा
  - नकारात्मक
    - नैतिक साहस की कमी
    - कंपनी के लिये उपभोक्ता विश्वास और बाज़ार प्रतिष्ठा की हानि
- उत्पाद को मंजूर करने से इनकार करना
  - सकारात्मक
    - नैतिक साहस का प्रदर्शन
    - अखंडता को बरकरार रखना
    - कंपनी की प्रतिष्ठा की निरंतरता
  - नकारात्मक
    - नौकरी का नुकसान
    - मेरी ओर से प्रतिरोध के बावजूद उत्पाद का शुभारंभ
    - भावनात्मक लब्धि की कमी का प्रदर्शन
- प्रबंधन को आश्वस्त करना और उत्पाद को संशोधित करना
  - सकारात्मक
    - व्यावहारिकता का प्रदर्शन
    - भावनात्मक लब्धि का प्रदर्शन
    - नैतिक साहस का प्रदर्शन
    - कंपनी के लिये उपभोक्ता विश्वास और बाज़ार प्रतिष्ठा के नुकसान की कम संभावना
  - नकारात्मक
    - कंपनी के निर्देशों को नज़र-अंदाज करने की संभावना
    - करियर की प्रगति और यहाँ तक कि नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव की संभावना
    - दिये गए निर्देशों की अस्वीकृति की स्थिति में कंपनी की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना

(c) मैं प्रबंधन को समझाने और तदनुसार उत्पाद को संशोधित करने, रीब्रांडिंग और इसे लॉन्च करने के लिये सुझाव देना चुनूँगा, क्योंकि यह मुझे अपना रोज़गार बनाए रखने और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं नैतिक साहस और अखंडता प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यह संभवत: कंपनी को बाज़ार में अपनी प्रतिष्ठा और विश्वास बनाए रखने की अनुमति देगा।

(d) दी गई केस स्टडी के अनुसार मुझे निम्नलिखित नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

- **जनता के प्रति जवाबदेही बनाम कंपनी प्रबंधन के प्रति जवाबदेही:** यह सुनिश्चित करने के बीच विकल्प होना कि ग्राहकों को सही उत्पाद दिया जाए या प्रबंधन के निर्देशों का पालन किया जाए।
- **नैतिकता बनाम यूथ मानसिकता:** एक स्टैंड लेने या यूथ मानसिकता का पालन करने एवं दूसरों के साथ जाने के बीच विकल्प।
- **लाभ बनाम सत्यनिष्ठा:** लाभ और मौद्रिक लाभ के बीच चयन या उत्पाद के साथ मुद्दों को चिह्नित करके अखंडता को बरकरार रखना।
- **नैतिक साहस और नौकरी छूटना:** सही कार्रवाई करने या नौकरी छूटने एवं नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालने के बीच चुनाव।

(e) निरीक्षण दल द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:

- कंपनी के लिये ग्राहक विश्वास और बाज़ार प्रतिष्ठा का नुकसान।
- यह कंपनी में आत्ममुग्धता की संस्कृति को भी जन्म दे सकता है जो बाज़ार में इसके विकास और अस्तित्व के लिये हानिकारक साबित हो सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप कंपनी के निष्पादन और कर्मचारियों में मनोबल का नुकसान भी हो सकता है।
- यह एक पूर्व विश्वसनीय कंपनी से खराब उत्पाद प्राप्त करने के कारण ग्राहकों की ओर से असंतोष और संकट का कारण भी बन सकता है।

प्रश्न: 11. राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनकी नौकरी प्रोफाइल के एक हिस्से के रूप में उन्हें नगर परिवहन विभाग के नियंत्रण और कामकाज की देखरेख का काम सौंपा गया था। नगर परिवहन विभाग के चालक संघ द्वारा, बस चलाते समय ड्यूटी पर मारे गए एक चालक को मुआवजे के मुद्दे पर हड़ताल का मामला उनके सामने निर्णय के लिये आया था।

उसने देखा कि मृत चालक बस संख्या 528 चला रहा था, जो शहर की व्यस्त और

भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गुजरती थी। हुआ यूँ कि रास्ते में एक चौराहे के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही कार और बस की टक्कर में एक हादसा हो गया। पता चला कि बस और कार चालक के बीच कहा-सुनी हुई थी। दोनों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और चालक ने उसे धक्का मार दिया। बहुत-से राहगीर इकट्ठे हो गए और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और बहुत खून बह रहा था तथा उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। हादसे में चालक ने दम तोड़ दिया और उसे बचाया नहीं जा सका। अधेड़ उम्र के चालक की भी हालत नाजुक थी, लेकिन एक दिन के बाद वह सँभल गया और उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जाँच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत बस चालक ने की थी और उसने शारीरिक हिंसा की थी। उनके बीच मारपीट हुई थी।

नगर परिवहन विभाग प्रबंधन मृत चालक के परिवार को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं देने पर विचार कर रहा है। नगर परिवहन विभाग प्रबंधन के भेदभाव और गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैये से परिवार बहुत व्यथित, उदास और आंदोलित है। मृत बस चालक की उम्र 52 वर्ष थी, उसके परिवार में पत्नी और स्कूल-कालेज जाने वाली दो बेटियाँ हैं। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था। नगर परिवहन विभाग वर्कर्स यूनियन ने इस मामले को उठाया और जब प्रबंधन से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यूनियन की माँग दोहरी थी। पहली, ड्यूटी के दौरान मरने वाले अन्य चालकों को दिया जाने वाला पूरा अतिरिक्त मुआवज़ा और दूसरा, परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए। 10 दिनों से हड़ताल जारी है और गतिरोध बना हुआ है।

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिये राकेश के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) राकेश द्वारा चिह्नित किये गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(c) वे कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं, जिनका राकेश को सामना करना पड़ रहा है?

(d) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिये राकेश क्या कार्यवाही करेंगे?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर: उपर्युक्त केस स्टडी में विभिन्न संभावित हितधारक

- राकेश एक शहर के परिवहन विभाग में संयुक्त आयुक्त के रूप में।
- नगर परिवहन विभाग का संघ।
- मृत चालक।
- मृत ड्राइवर और उसकी दो स्कूल-कॉलेज जाने वाली बेटियाँ।
- जीवित कार चालक
- पुलिस और उसका कर्त्तव्य

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिये राकेश के पास संभावित विकल्प हैं-

- राकेश परिवहन संघ की दोनों मांगें स्वीकार कर सकते हैं।
- राकेश परिवहन संघ की दोनों मांगों को अस्वीकार कर सकते हैं।
- राकेश विभाग की एक मांग को स्वीकार और दूसरी को अस्वीकार कर सकते हैं।
- राकेश एक विभागीय जाँच दल नियुक्त कर सकते हैं जिसमें आधे सदस्य संघ से और आधे विभाग से हों।
- राकेश हड़ताल में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी भेज सकते हैं और मामले को सुलझाने के लिये पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- राकेश आयुक्त (Commissioner) से सलाह ले सकते हैं।

(b) राकेश द्वारा चिह्नित किये गए प्रत्येक विकल्प का समालोचनात्मक परीक्षण:

राकेश परिवहन संघ की दोनों मांगें स्वीकार कर सकते हैं:

गुण

- गतिरोध तत्काल सुलझ सकता है और परिवहन विभाग पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य शुरू कर सकता है।
- मृत चालक के परिवार को तत्काल न्याय मिलेगा।
- गतिरोध दूर करने के बाद राकेश अपनी ऊर्जा और समय विभागीय कार्यों में लगा सकते हैं। इससे विभाग की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

दोष

- यह गतिविधि पुलिस जाँच रिपोर्ट की अवहेलना कर सकती है जिसमें बस चालक द्वारा शुरू किये गए झगड़े का हवाला दिया गया है।
- इससे अन्य बस चालकों में गलत संदेश जा सकता है।
- यह विभागीय न्याय का मामला बन सकता है।

राकेश परिवहन संघ की दोनों मांगों को अस्वीकार कर सकता है:

गुण

- विभाग के खजाने को बचाया जा सकता है।
- विभाग प्रबंधन का निर्णय प्रबल होगा।

दोष

- गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है।
- विभाग की उत्पादकता और दक्षता कम हो सकती है।
- मृत चालक के परिवार को गंभीर आर्थिक और आजीविका संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है।

राकेश विभाग की एक मांग को स्वीकार और दूसरी को अस्वीकार कर सकते हैं:

गुण

- गतिरोध किसी नतीजे पर पहुँच सकता है।
- मृतक चालक के परिवार को आधी राहत मिल सकती है।
- विभाग की उत्पादकता और दक्षता को बहाल किया जा सकता है।

दोष

- यह पुलिस जाँच रिपोर्ट की अवहेलना कर सकती है।
- गतिरोध जारी रह सकता है क्योंकि परिवहन संघ अपनी दोनों मांगों पर कायम है।

राकेश एक विभागीय जाँच दल नियुक्त कर सकते हैं जिसमें संघ और विभाग से बराबर संख्या में तथा कुछ पुलिस विभाग से सदस्य शामिल हों। संघ को फिर से कार्य शुरू

करना चाहिये और समिति के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिये। समिति का निष्कर्ष आने तक वह बफर समय में परिवार की मदद के लिये विभागीय वित्त पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं:

गुण

- यह विभाग प्रबंधन, परिवहन संघ और पुलिस विभाग के लिये जीत की स्थिति हो सकती है।
- इसका परिणाम सभी एकत्र करने योग्य समाधान बिंदुओं में हो सकता है।
- यह सर्वदलीय एकीकृत विवाद समाधान प्रणाली का उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- पुलिस विभाग उचित आनुपातिक कानूनी दृष्टिकोण का समाधान प्रदान कर सकता है जो विभाग प्रबंधन को मृत चालक के परिवार के प्रति अधिक सहानुभूति और दयालु होने के लिये प्रेरित कर सकता है।

दोष

- सभी पार्टियों के शामिल होने के कारण किसी नतीजे पर पहुँचने में समय लग सकता है।
- ऊर्जा, समय, संसाधनों की बर्बादी यदि यह किसी निर्णायक स्थिति नहीं पहुँची।

राकेश हड़ताल में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी भेज सकते हैं और मामले को सुलझाने के लिये पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकते हैं-

गुण

यह संभव है कि सख्त चेतावनी और पुलिस बल के डर से, अधिकांश संघ कार्यकर्त्ता अपना काम फिर से शुरू कर दें।

दोष

- यह कार्रवाई स्थिति को हिंसक बना सकती है।
- यह संघ कार्यकर्ताओं और विभाग प्रबंधन के बीच विश्वास की कमी और कड़वाहट के तत्त्वों को शामिल कर सकता है।
- विभाग की उत्पादकता बिगड़ हो सकती है।

राकेश आयुक्त (Commissioner) से सलाह ले सकते हैं-

गुण

- एक अधिक अनुभवी व्यक्ति के रूप में आयुक्त इस स्थिति से निपटने के लिये उचित सलाह दे सकते हैं।
- आयुक्त से परामर्श करके, वे भविष्य के निर्णयों के लिये आयुक्त को विश्वास में ले सकते हैं।

दोष

- आयुक्त के पास कूटनीतिक रूप से उनकी मदद करने से इनकार करने का विकल्प है।
- आयोग राकेश की संकट से निपटने की क्षमता पर सवाल उठा सकता है।

(c) राकेश के समक्ष आ रही संभावित नैतिक दुविधाएँ-

- **नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बनाम कानून की उचित प्रक्रिया:** नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि मृतक के परिवार को अतिरिक्त मुआवज़ा और उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिये लेकिन कानून की उचित प्रक्रिया विभाग प्रबंधन को ऐसा करने में बाधा डालती है।
- **अधिकार बनाम कर्त्तव्य:** वह संयुक्त आयुक्त के रूप में सार्वजनिक कर्त्तव्य बनाम अतिरिक्त मुआवज़े और मृतक परिवार के नौकरी के अधिकारों की दुविधा का सामना कर रहे हैं।
- **सार्वजनिक जवाबदेही बनाम व्यक्तिगत जवाबदेही:** एक लोक सेवक के रूप में वह अपने द्वारा की गई सार्वजनिक सेवा और गतिविधियों के प्रति जवाबदेह है। दूसरी ओर, करुणामय और सहानुभूति के आधार पर वह अपने व्यक्तिगत विवेक के प्रति जवाबदेह होता है।
- **आचार संहिता बनाम नैतिक संहिता:** आचार संहिता मांग करती है कि आचरण नियम और विनियम क्या कहते हैं। नैतिक संहिता नैतिकता के क्षेत्र में 'क्या करना चाहिये' के तरीके की मांग करती है।
- **नैतिकता बनाम कानून:** नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत नैतिकता को 'क्या करना चाहिये'। जबकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के क्षेत्र में या कानून के उचित पाठ्यक्रम के तहत कानून वैधानिक नियमों और विनियमों का पालन करता है।
- **अंत:करण का संघर्ष:** लोक सेवक बनाम वैयक्तिक प्राणी होने के नाते वे अंत:करण के संकट की दुविधा का सामना कर रहे हैं।

(d) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिये राकेश द्वारा कार्यवाही-

नैतिक सद्गुण के साथ कार्यवाही का संभावित तरीका जो राकेश उपरोक्त स्थिति को दूर हेतु सकता है-

राकेश के पास कार्यवाही करने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा यह है कि-

राकेश एक विभागीय जाँच दल नियुक्त कर सकते हैं जिसमें संघ और विभाग से बराबर संख्या में तथा कुछ पुलिस विभाग से सदस्य शामिल हों। संघ को फिर से कार्य शुरू करना चाहिये और समिति के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिये। चूँकि, समिति के निर्णय प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिये समिति का निष्कर्ष आने तक, वह बफर समय में मृतक के परिवार की मदद के लिये विभागीय वित्त पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं।

गुण

- यह विभाग प्रबंधन, परिवहन संघ और पुलिस विभाग के लिये जीत की स्थिति हो सकती है।
- इसका परिणाम सभी एकत्र करने योग्य संकल्प बिंदुओं में हो सकता है।
- परिवहन संघ कुछ समय के लिये कामकाज फिर से शुरू कर सकता है।
- यह सर्वदलीय एकीकृत विवाद समाधान प्रणाली का उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- पुलिस विभाग उचित आनुपातिक कानूनी समाधान प्रदान कर सकता है जो विभाग प्रबंधन को मृतक चालक के परिवार के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने के लिये प्रेरित कर सकता है।

हालाँकि, विभिन्न दलों की भागीदारी के कारण यह प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन इस समिति का अंतिम निष्कर्ष अधिक व्यापक, बहुमत से सहमत, समावेशी हो सकता है। इसलिये राकेश को उपरोक्त स्थिति को प्रचारित करने के लिये इस एकीकृत और सभी सहभागी कार्रवाई का उपयोग करना चाहिये।

यदि कोई अतिवादी मामला है और समिति का निर्णय मृतक परिवार के पक्ष में नहीं है तो राकेश को एक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु लोक सेवक के रूप में चालक के परिवार की मदद के लिये विभागीय जन सहयोग (क्राउडफंडिंग) का आयोजन करना चाहिये साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर उन्हें परिवार की बड़ी बेटी को भी तदर्थ नौकरी प्रदान करना चाहिये।

प्रश्न: 12. आपको पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अनुभाग का शीर्ष अधिकारी नियुक्त किया जाता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और इसकी अनुवर्ती का पालन हो सके। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लघु और मध्य उद्योग

थे जिन्हें अनापत्ति दी जा चुकी थी। आपको पता चला कि ये उद्योग अनेक प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के पास पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र हैं। पर्यावरणीय अनापत्ति उन उद्योगों और परियोजनाओं पर अंकुश लगाने के लिये हैं, जो इस क्षेत्र में पर्यावरण और जीवित प्रजातियों को कथित रूप से बाधित करती हैं। लेकिन व्यवहार में इनमें से अधिकांश इकाइयाँ वायु, जल और मृदा प्रदूषित इकाइयाँ बनी हुई हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

यह पुष्टि की गई कि अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय अनुपालन का उल्लंघन कर रहे थे। आपने नया पर्यावरणीय प्रमाण-पत्र आवेदन करने और सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के लिये सभी औद्योगिक इकाइयों के लिये नोटिस जारी कर दी। हालाँकि, औद्योगिक इकाइयों के एक वर्ग, अन्य न्यस्तस्वार्थी लोगों और स्थानीय राजनेताओं के एक समूह से आपकी कार्यवाही को विरोध प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। आपके प्रति कामगार भी अत्यंत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगा। कार्यवही को विरोध प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। आपके प्रति कामगार भी अत्यंत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाला क्योंकि उन्होंने सोचा कि आपकी कार्यवाही इन औद्योगिक इकाइयों को तालाबंदी की ओर ले जाएगी और इसका परिणामस्वरूप बेरोज़गारी के कारण उनकी आजीविका असुरक्षित और अनिश्चित हो जाएगी। कई उद्योग-मालिकों ने इस दलील के साथ आपके पास पहुँचकर प्रस्तावित किया कि आपको सख्त कार्यवाही शुरू नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह उसे अपनी इकाइयाँ बंद करने के लिये मजबूर करेगी और भारी वित्तीय हानि तथा बाजार में उनके उत्पादों की कमी का कारण होगा। जाहिर है कि इससे मज़दूरों और उपभोक्ताओं की परेशानी ज्यादा होगी। श्रमिक संघ ने भी आपको इकाइयों को बंद करने के खिलाफ प्रतिनिधित्व भेजा। आपको एक साथ अज्ञात कोणों से धमकियाँ मिलने लगीं। हालाँकि, आपको अपने कुछ सहकर्मियों का समर्थन मिला, जिन्होंने आपको सलाह दी कि आप पर्यावरणीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र रूप से काम करें। स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों ने भी आपका समर्थन किया और उन्होंने प्रदूषणकारी इकाइयों को तत्काल बंद करने की मांग पेश की।

(a) प्रदत्त स्थिति में आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) आपके द्वारा सूचीबद्ध किये गए विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(c) पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आप किस प्रकार की क्रियाविधि का सुझाव देंगे?

(d) अपने विकल्पों का उपयोग करने में आपको किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा?

(250 शब्दों में उत्तर दीजिये) 20

उत्तर:

(a) एक अधिकारी के रूप में हमेशा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ एक अधिकारी के पास निर्णय लेने के लिये विभिन्न विकल्प होते हैं लेकिन उसे निर्णय लेना पड़ता है जो सभी के लिये सबसे अच्छा हो। दिये गए परिच्छेद के तहत मेरे पास दो विकल्प हैं:

- मैं प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता हूँ और पर्यावरण में बाधा डालने वाले सभी उद्योगों को बंद कर सकता हूँ, इसके तात्कालिक परिणामों जैसे श्रमिकों के बीच बेरोज़गारी, श्रमिक संघों का विरोध, दवाओं की क्रय क्षमता में कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में वृद्धि आदि का विश्लेषण किये बिना।
- दूसरा विकल्प यह है कि मैं उद्योगों के सभी मालिकों और पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक बुलाऊगा और हानिकारक तत्त्वों का उपयोग करने और जहाँ भी उपलब्ध हो या संभव हो बेहतर विकल्पों का उपयोग करने की सीमा निर्धारित करने जैसे कुछ सामान्य आधार पर आने के लिये उनसे बात करूँगा। साथ ही गैर-सरकारी संगठनों की मदद से मध्यम उद्योगों को नई पर्यावरणीय मंजूरी लेने के लिये मनाऊँगा।

(b) पहले विकल्प में मैं इसके दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण किये बिना केवल अपना निर्धारित कर्त्तव्य पूरा करूँगा। तात्कालिक प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या प्रदूषण कम हो जाएँगे, लेकिन दीर्घावधि में इस निर्णय के कई अन्य परिणाम हैं जैसे गरीबी, गरीबी के कारण स्वास्थ्य में गिरावट, प्लेग आदि के कारण अन्य अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।

दूसरे विकल्प में मैं सभी के मुद्दे पर विचार करूँगा। उद्योगों को सीधे तौर पर बंद नहीं किया जाएगा। समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ बात करना और ज़मीनी स्तर पर कार्य करना सबसे अच्छा संभव तरीका है। शायद इससे अल्पावधि में सकारात्मक परिणाम नहीं दिख सकते है लेकिन यह लंबी अवधि में विरोध या बेरोज़गारी उत्पन्न किये बिना प्रदूषण को कम करेगा।

(c) मेरे द्वारा सुझाए गए पर्यावरणीय अनुपालन निम्नलिखित होंगे

- उद्योगों को पर्यावरण पर उनके हानिकारक प्रभाव के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित करना तथा सबसे हानिकारक उद्योगों पर सख्त नियम लागू करना।
- प्रत्येक उद्योग को अपना कचरा खुद साफ करना चाहिये साथ ही प्रत्येक उद्योग में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होने चाहिये।
- हानिकारक रसायनों के लिये स्थायी वैकल्पिक तत्त्वों का उपयोग और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले तत्त्वों या रसायनों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।
- दूसरी श्रेणी के उद्योगों (सबसे हानिकारक उद्योगों) द्वारा नई पर्यावरण मंजूरी ली जानी चाहिये।
- प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग करने वाले और निर्धारित सीमा से ऊपर पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को मौद्रिक दंड देना चाहिये।

(d) जिस नैतिक दुविधा का मैं सामना करूँगा वह कर्त्तव्य के पूरा होने और प्रवासी कामगारों के प्रति करुणा तथा सहानुभूति के बीच है। कर्त्तव्य पूरा करना तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के प्रति करुणा और सहानुभूति के साथ निर्णय लेना तर्कसंगत, सदाचार और नैतिक होगा। एक और नैतिक दुविधा जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा, वह पर्यावरण और कार्य की रक्षा के बीच होगा।

■■■